खण्ड-211, अंक-10
शुक्रवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1882
(25 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
कँदल, श्री
एम० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलाकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सिंह बिष्ट, श्री
गौरी राम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहुरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री

नेक राम शर्मा, श्री
ब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजुरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, (श्रीमती)
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण , श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल , श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री

शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खाँ, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :--सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पवा निवासी श्री लाड़ले काछी की शिकायत

१--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या सरकार ७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि श्री लाड़ले काछी के साथ की गई सख्ती के सम्बन्ध में उक्त सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता उपमन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--चूंकि श्री लाड़ले काछी पर भी सख्ती की शिकायत निराधार पाई गई इसलिये किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**२—श्री सुदामप्रासाद गोस्वामी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि २ दिसम्बर, १९५९ को सहकारिता उपमंत्री के पूछने पर झांसी में जांच करने वाले जिला कोआपरेटिव अधिकारी ने यह बताया था कि जांच करने की तारीख की या किसी भी प्रकार की सूचना जांच करने के पहिले प्रार्थी को नहीं दी गई और न जांच के सम्बन्ध में लाड़ले काछी या उसकी पत्नी से कोई पूछताछ ही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं । जिला कोआपरेटिव अधिकारी ने यह कहा था कि श्री लाड़ले काछी या उसकी पत्नी से कोई पूछताछ नहीं की जा सकी क्योंकि वे जांच के दिन बुलाने पर अपने घर पर नहीं मिले ।

**३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपमंत्री जी को उक्त जांच करने वाले अधिकारी ने यह भी बताया था कि जांच के पहले ए० डी० ओ० और सुपरवाइजर को जिनके विरुद्ध शिकायतें थीं, पत्र भेजा गया था कि शिकायत करने वालों को जांच के सम्बन्ध में इकट्ठा करो, और लाड़ले काछी और उसकी पत्नी के न आने का कारण उक्त कर्मचारियों ने यह बताया था कि वह दोनों जंगल में शेर को भगाने गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं । जांच करने वाले उक्त अधिकारी ने सहकारिता उपमंत्री जी से यह कहा था कि जांच करने की तारीख व समय की सूचना शिकायत करने वालों को सुपरवाइजर व कामदार के द्वारा कराई गई थी । श्री लाड़ले काछी और उसकी पत्नी के जांच के समय उपस्थित न होने के कारणों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की उप मंत्री जी से कोई बात नहीं हुई ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५९ में श्री लाड़ले काछीने कोई प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में देकर यह प्रार्थना की थी कि उससे कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई, इसलिये उसकी पुनः जांच कराई जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि २ दिसम्बर को जिला कोआपरेटिव आफिस के भवन में डिनर के समय लगभग २५, ३० व्यक्तियों के सामने उक्त अधिकारी ने यह कहा था कि वह लोग इसलिये नहीं आ सके कि जंगल में शेर को भगाने गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह तो प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी सत्यता की जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मेरे सामने तो इस बात की चर्चा नहीं थी । अलबत्ता वहां इतने आदमी थे जिसमें कि माननीय सदस्य स्वयं डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर से इस विषय में बातचीत कर रहे थे ।

बाराबंकी जिले में कुछ समय तक पुलिस कप्तान का न रहना

**४—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में पुलिस कप्तान कितने दिनों से नहीं हैं ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—बाराबंकी में पुलिस कप्तान तैनात हैं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २० मार्च से पहले पुलिस कप्तान कितने दिनों तक नहीं तैनात थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२० मार्च से एक दिन पहले तक तैनात नहीं थे ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--कितने दिनों तक वह वहां नहीं तैनात थे, जगह खाली रही ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर २० मार्च की बात न हो तो करीब दो महीने के वह तैनात नहीं थे ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि करीब दो महीने के अन्दर वहां कितने कत्ल और डकैती के मामले हुये और छिपाये गये ?

श्री उपाध्यक्ष--उसकी सूचना आप बाद में दीजियेगा ।

मेरठ में गजटेड पुलिस अधिकारी

**५--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ में ऐसे कितने गजेटेड पुलिस अधिकारी हैं जो पिछले तीन वर्षों से वहां नियुक्त हैं ?

गृह उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)--कोई भी नहीं ।

उप-संचालक आयुर्वेद के कार्यालय के कर्मचारियों एवं आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों का वेतन

**६--श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप-संचालक, आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश, कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय के कर्मचारियों से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--जी हां,क्योंकि उप-संचालक, आयुर्वेद का कार्यालय, संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, के कार्यालय की तरह Head of Department का कार्यालय नहीं है ।

**७--श्री बिहारीलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक कम्पाउन्डरों के साथ ही आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों के वेतन को भी १ अप्रैल, १९६० से वह बढ़ाने जा रहे है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं ।

श्री बिहारीलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद के वे कौन-कौन सी श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनकी योग्यता मेडिकल तथा स्वास्थ्य विभागके कर्मचारियों के समकक्ष होते हुये भी उनका वेतन कम है ?

न्याय मन्त्री(श्री हुकुमसिंह विसेन)--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेडिकल कालेज खोलने की प्रार्थना

**८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या न्यायमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेडिकल कालेज खोलने हेतु ११ मार्च, सन् १९६० को विधायकों के हस्ताक्षर से कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें मिला है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन विधायकों के आवेदन-पत्र पर सरकार ने अभी तक कोई विचार किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कई जिलों से ऐसी दरख्वास्तें आई हैं गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद और मेरठ से; लेकिन जब तक थर्ड प्लान की रूपरेखा न बने तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे क केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेज खोलने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई प्रस्ताव किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तक तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी नहीं है तो मैं कैसे बताऊं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने का विचार सरकार के सामने है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके लिये कई जिलों से दरख्वास्तें आई हैं, अभी क्या कहा जा सकता है ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार, जो विचार करने जा रही है, उसमें गोरखपुर की आवश्यकता को, वहां की बीमारी को, उनकी जनसंख्या को और वहां से दूसरी जगह जाकर पढ़ने लिखने की असुविधा को और उद्योगीकरण की असुविधा को ध्यान में रखते हुये, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम तो पार्शलिटी नहीं करेंगे। सब पर ठीक प्रकार से निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अभी तक थर्ड प्लान की रूपरेखा तय नहीं हुई है, उस पर अभी विचार होगा । तो क्या सरकार का लक्ष्य उस थर्ड प्लान में इस प्रदेश में कोई मेडिकल कालेज खोलने का है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सोच रहे हैं लेकिन धन मिल जायगा तो करेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रान्त में कोई मेडिकल कालेज खोलने की सिफारिश की है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारी ख्वाहिश है कि कुछ खोलें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसके पहले भी माननीय मंत्री जी के पास आवेदन-पत्र आया था कि गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोला जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आवेदन-पत्र की तो मुझे याद नहीं है लेकिन अक्सर गुफ्तगू में लोग कहा करते हैं कि गोरखपुर में भी खोला जाय ।

शाहजहांपुर जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन न होना

**९---श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला अस्पताल, शाहजहांपुर की एक्सरे मशीन लगभग २ वर्ष से बिगड़ी पड़ी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, करीब १ १/२ साल से बिगड़ी पड़ी है ।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले दो वर्षों से लगातार मरीज, जो एक्सरे लेते रहे हैं, वे कहां से लेते रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दिक्कत लोगों को जरूर हुई है। लोग कहां से लेते रहे हैं, मैं नहीं बता सकता। अब मैंने उसे बम्बई भेजा है रिपेयर के लिये। रिपेयर कराई थी, फिर वह बिगड़ गई। अब फिर बम्बई भेजा है, बहुत जल्द आ जायगी।

श्री हरदयालसिंह---क्या यह सही है कि वहां एक प्राइवेट प्रैक्टीशनर जयनारायण हैं और वहां के अधिकारियों ने उनसे सौदा कर रखा है और वहीं एक्सरे कराये जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आपकी जानकारी में है ही।

विकास खण्ड अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार

१०---श्री **मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास केन्द्रों में कार्य करने वाले बी० डी० ओज० व ए० डी० ओज०, जो १९५२ से विभाग में कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्थायी करने के बारे में सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री सुल्तान आलम खां)---जी हां।

११---श्री मुक्तिनाथराय---यदि हां, तो कब तक और वह योजना क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां---खंड विकास अधिकारियों में से कुछ का स्थायीकरण अगले वित्तीय वर्ष तक होने की संभावना है। सहायक विकास अधिकारियों में से सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा) का स्थायीकरण अगले वित्तीय वर्ष तक हो जाने की संभावना है, शेष सहायक विकास अधिकारी का उनके सम्बन्धित विभागों के साथ एकीकरण होने जा रहा है। उनका स्थायीकरण उन्हीं विभागों द्वारा किया जावेगा।

१२---श्री मुक्तिनाथराय---यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों का स्थायीकरण अगले वित्तीय वर्ष में होने वाला है उनकी संख्या क्या है तथा किस आधार पर यह स्थायीकरण होगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---१४७ जगहें बी० डी० ओ० की, ६४३ जगहें ए० डी० ओ० की, ४० सोशल एजूकेशन (वीमेन) और १९ जगहें सेनीटरी इंस्पेक्टर्स की ऐसी हैं कि जिनके लिये फैसला कर दिया गया है कि यह मुस्तकिल कर दी जायंगी और इसके सिलसिले में कार्यवाही हो रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० का जो स्थायीकरण किया जायगा यह सीनियारिटी के आधार पर होगा या मेरिट के आधार पर होगा या पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर किया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---इस सिलसिले में जो १४७ जगहें बी० डी० ओ० की हैं उनमें एक लिस्ट १६६ उम्मीदवारों की बना ली गई है और इसको उन लोगों के पास भेजा गया था कि अगर वे एतराज करना चाहते हैं तो कर दें। १५ मार्च तक उनके एतराज आ गये हैं और अब इसका फैसला पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से किया जायगा और सब बातों पर गौर कर के फैसला किया जायगा।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० जिन विकास खंडों में काम करते हैं वे क्या परमानेन्ट इंस्टीट्यूशन्स बना दिये जायेंगे ? इसके बारे में सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि क्या बात है ?

श्री सुल्तान आलम खां---माननीय सदस्य को यह मालूम है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वह ११ साल का है । १ साल एक्सटेंशन में रहता है और ५ साल के लिये फर्स्ट स्टेज होती है और फिर अगले ५ साल के लिये सेकिंड स्टेज होती है । तो इस तरह से ११ साल का तो यह प्रोग्राम ही है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---१९५२ में ये नियुक्त किये गये थे तो आज तक इनको स्थायी न किये जाने का कारण क्या सरकार बतलायेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---अब तक यह काम एक्सपेरीमेंटल स्टेज में हो रहा है और बड़ा काम था । १९५२ से चल रहा है । अभी हाल में फैसला किया गया है कि इनको मुस्तकिल कर दिया जाय और उसी के लिये कार्यवाही हो रही है ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राक्टर को फर्स्ट क्लास मैजिस्टीरियल पावर्स

****१३---श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या काशी विश्वविद्यालय के प्राक्टर को हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मामलों के लिये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां । यह इसलिये किया गया है कि वह अपने पद से सम्बन्धित कर्त्तव्यों का और अधिक सुचारुरूप से पालन कर सकें ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि यह फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के अधिकार काशी विश्वविद्यालय के प्राक्टर को किस नियम के मुताबिक दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---नियम के मुताबिक ही दिये गये हैं । क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ लीजिये ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १४ पढ़ने की कृपा करेगी जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का पद ऐसे मामलों में अगर दिया जाय तो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाय जो कि जुडिशियल काम पहले कर चुके हों क्योंकि उनको अनुभव रहता है ? एक प्राक्टर का, जिसका संबंध काशी विश्वविद्यालय के प्रबंध से रहता है और वे गेट पर रहते हैं, उनको यह पद कैसे दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---सेकिंड क्लास पावर्स थीं, तब भी जुडिशियल वर्क वह करते थे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राक्टर को दिये गये हैं वह एक्जीक्यूटिव काउन्सिल की किसी संस्तुति पर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस संस्तुति का आधार क्या बतलाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने रिक्वेस्ट की थी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कंसल्ट किया गया, तब यह अधिकार दिये गये ।

श्री राजनारायण---मेरा प्रश्न यह है कि प्राक्टर महोदय को वे कौन से कर्त्तव्य पूरे करने होते हैं जिनके लिये उनको फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट की पावर्स दी गयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिये ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह अधिकार कितने समय के लिये दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---यह इन्डीविजुअली दिये गये हैं । जब तक वे इस पद पर काम करेंगे, ऐज ए प्राक्टर, तब तक उनको ये अधिकार रहेंगे ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि प्राक्टर महोदय को फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट की पावर्स दे देने से काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में और वहां के नागरिकों में काफी असंतोष है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमें तो इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों में अन्याय विरोधी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण ऐसा किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब जो माने आप इसके लगाना चाहें लगा सकते हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने उत्तर दिया था कि ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिये, तो इसको पहले से क्यों नहीं किया, अब क्यों किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब जरूरत पड़ी, इसलिये कर दिया गया ।

अन्तरिम जिला परिषद्, मेरठ के कर्मचारियों का आवेदन-पत्र

**१४---आचार्य दीपंकर---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, मेरठ के निम्न-वेतन जीवी कर्मचारियों का आवेदन-पत्र उसे हाल में मिला है जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सरकार ने जी० ओ० नम्बर जी० आई०-३३५/१०---२०६-५५, तारीख २५-४-५५ के अनुसार सिविल कोर्ट और कलेक्टरी के अन्य निम्न वेतन जीवियों को २०-१/२-२५ के ग्रेड से २२-१/२-२७ रुपये का ग्रेड दे दिया गया है वैसा अन्तरिम जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी दिया जाय ?

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)---जी हां । इसी माह की १९ तारीख को उक्त आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है ।

**१५---आचार्य दीपंकर---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस आवेदन-पत्र पर वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा---शासन द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है ।

आचार्य दीपंकर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधायें उन्होंने कलेक्टरी और दूसरे महकमें के निम्नवेतन जीवी कर्मचारियों को दीं वे उसके साथ ही अंतरिम जिला परिषद् के निम्न-वेतन जीवी कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गयीं ?

श्री जयराम वर्मा---मैं, श्रीमन्, सवाल समझ नहीं सका ।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में काफी अशान्ति है । प्रश्न और उनके उत्तर साफ सुनाई नहीं पड़ रहे हैं ।

आचार्य दीपंकर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधायें उन्होंने कलेक्टरी और दूसरे मोहकमों के निम्न-वेतन जीवी कर्मचारियों को दीं वे उसके साथ ही अन्तरिम जिला परिषद् के निम्न-वेतन जीवी कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गयीं ?

श्री जयराम वर्मा---अभी तो, १९ तारीख को, आपका पत्र आया है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

आचार्य दीपंकर---यह सोचते हुये कि उन कर्मचारियों में यह अनुभव हो रहा है कि वे उपेक्षित किये जा रहे हैं, तो क्या सरकार इस मामले में बहुत जल्दी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, सन् ५५ में जो आदेश हुये थे वे सरकारी कर्मचारियों के लिये हुये थे, उनकी वेतन-वृद्धि के संबंध में। वे स्थानीय कर्मचारियों के लिये नहीं थे। अब उस पर ध्यान आकर्षित किया गया है, तो उस पर गौर किया जा रहा है।

राज्य में रेलवे लाइन बढ़ाने की आवश्यकता

**१६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कहां-कहां रेलवे लाइन बिछाने के लिये भारत सरकार से प्रदेशीय सरकार ने हाल में सिफारिश की है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री महावीरसिंह)---कोई नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के पास प्रदेशीय सरकार कोई सिफारिश रेल की पटरी बिछाने के लिये भेजा करती है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष भेजी है ?

श्री उपाध्यक्ष---अभी उत्तर मिला तो है आपके सवाल का कि नहीं।

पूर्वी जिलों में ओलावृष्टि

**१७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ११ मार्च, १९६० को भी आजमगढ़, गाजीपुर आदि पूर्वी जिलों में ओलावृष्टि हुई है ?

राजस्व उपमन्त्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ११ तारीख को ओलावृष्टि के समाचार उनके पास जिलाधीशों के पास से आये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---आये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री इधर शीघ्र ही इन जिलों का स्वयं दौरा करके कुछ असली पता लगाने की सोच रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---थोड़ा बहुत तो पता लग ही रहा है। लेकिन हम इरादा रखते हैं कि चल कर पता लगाया जाय।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार इन जिलों की अति-वृष्टि और उपल वृष्टि की जो सूचनायें आयी हैं, वहां के लिये कुछ सहायता देने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब फाइनल इंटेरिम कम्पेंसेशन के लिए रिपोर्ट आ जायगी तो कायदे के अन्दर विचार होगा।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री महोदय उन जिलों के नाम बतायेंगे जिनमें पहले ओला-वृष्टि नहीं हुई थी, अब हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष---सवाल पूर्वी जिलों का है, कृपया पूर्वी जिलों के लिए ही बताइये कि कहां पर पहले नहीं हुई थी, बाद में हुई।

श्री हुकुमसिंह विसेन---देवरिया, गोरखपुर, बहराइच में पहले नहीं हुई थी, अब थोड़ी बहुत हुई है।

कुरावली के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

**१८—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैनपुरी जिले में थाना कुरावली के थानेदार ने दिनांक १२ मार्च, १९६० को चार व्यक्तियों को भारतीय दन्ड विधान की धारा १५१/११७ में बन्द किया और १४ मार्च को मौके पर जाकर कहारों के खेत उजड़वा दिये और मारा पीटा जिससे लोग गांव छोड़े हुये हैं तथा जिसकी शिकायत पुलिस कप्तान को भी दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। भारतीय दंड विधान की धारा १५१/११७ के अन्तर्गत कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया, थानेदार द्वारा खेत उजड़वाने और कहारों के पीटे जाने या गांव छोड़कर भाग जाने की बात सही नहीं है। सदस्य महोदय ने एस० पी० से इसका जबानी जिक्र किया था।

**१९—श्री मलिखानसिंह—यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त विषय में कहारों के विरुद्ध ४२७ भा० दं० वि० का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जांच स्थगित कर दी गई।

श्री मलिखानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १६ मार्च को कहारों ने इस तरह का प्रार्थना-पत्र एस० पी० को दिया कि हमारे खेत मौके पर खुद जाकर के थानेदार ने उजड़वाये और हमको मारा पीटा और हमारे परिवार के लोग गांव छोड़े पड़े हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन यह किया कि पुलिस ने खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो दरख्वास्त दी है उस पर इसलिए जांच नहीं की जा सकती कि मुकदमा अदालत में विचाराधीन है।

श्री मलिखानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने दरख्वास्त की जांच करायी नहीं तो उनको कैसे मालूम हुआ कि यह मामला झूठा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक सज्जन नत्थू धोबी ने रिपोर्ट की कि उनके खेत को कहारों ने नुक्सान किया, उस पर ४२७ का मुकदमा कायम हुआ। कहारों का कहना है कि पुलिस ने उनके खेत उजड़वाये—इन दोनों में फर्क है, उससे मालूम हुआ कि पुलिस ने कोई नुकसान नहीं किया।

देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में ओला वृष्टि

**२०—श्री उग्रसेन—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ११ मार्च, १९६० को देवरिया तथा गोरखपुर जनपद में भी वर्षा के साथ ओले पड़े ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल—(१) जी हां।

(२) विवरण इस प्रकार है—

गोरखपुर—सदर तहसील में कटी हुई फसल को २ आने क्षति हुई व बांसगांव तहसील में गेहूं और जौ को २ आने और अरहर को ४ आने क्षति हुई।

देवरिया—सलेमपुर तहसील के कुछ ग्रामों में नाम मात्र के ओले गिरे, जिससे कोई क्षति नहीं हुई।

**२१---श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि केवल सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया में ११ मार्च, ६० को ४०० गांवों में ओले से रबी की फसल को भीषण क्षति पहुंची है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी नहीं ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सलेमपुर तहसील के किन-किन गांवों में ओले पड़े ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत एरिया में छोटे-छोटे ओले पड़े हैं, एग्जेक्टली बताना मुश्किल है ।

श्री मदन पांडेय---गोरखपुर जिले में महाराजगंज तहसील के किन किन हिस्सों में ओले पड़े हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ हिस्सों में पड़े हैं, गांव की तादाद फाइनल रिपोर्ट आने पर बतलायी जा सकती है ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि ओलों के साथ गोरखपुर, देवरिया दोनों जिलों में भीषण वर्षा भी हुई और उससे काफी क्षति पहुंची ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---"भीषण" कहने में तो अलग-अलग राय हो सकती है, कुछ क्षति जरूर पहुंची है ।

श्री झारखंडेराय---क्या यह बताया जायगा कि कौन ऐसे जिले हैं जहां ११ मार्च को भी ओले पड़े और २१ मार्च को भी ओले पड़े ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह डिटेल इस वक्त बताना तो मुश्किल है, इसके लिए मैं नोटिस चाहूंगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

आजमगढ़ सदर अस्पताल के नये भवन के लिए भूमि

*१---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री मदन पांडेय---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के नये भवन के निर्माण के लिये कितने किसानों की जमीन लेने का आयोजन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---आजमगढ़ सदर अस्पताल के नये भवन निर्माण के लिए १६८ किसानों की जमीन ली जा रही है ।

*२---श्री विश्रामराय तथा श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के लिये ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में किसानों ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, इस सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें वही एतराज (objections) किये गये हैं जो पहले किये गये थे और जिनको खारिज कर दिया गया ।

श्री विश्रामराय--क्या न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितनी जमीन ली जा रही है और इस जमीन में जो किसान बसे हैं उनमें बहुत से ऐसे किसान जो बहुत गरीब हैं और जिनके मकान बने हैं उनकी जमीन छोड़ने की कोई व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--४१ प्वाइन्ट कुछ एकड़ जमीन है जो ली जा रही है। अब इस एरिया में जिसकी जमीन पड़ जायगी उनको कम्पेन्सेशन दिया जायगा।

श्री मदन पांडेय--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र आया है उसमें यह भी लिखा गया है कि जो जमीन ली जा रही है, वह आवश्यकता से अधिक है, इसलिये उसमें से कुछ जमीन छोड़ दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पहले ४२ एकड़ का प्रपोजल था, अब ४० एकड़ कर दिया गया है ।

श्री झारखंडेराय--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के लिये जो जमीन ली जा रही है उससे पुराने अस्पताल का ही एक्सटेंशन किया जायगा या क्या पोजीशन है ? यानी जहां पुराना है वहां भी रहेगा और जो नया बन रहा है, वहां भी रहेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बिलकुल नया बनेगा, ७ लाख के ऊपर का यह प्रोजेक्ट है। वहां आजमगढ़ के लोगों की इच्छा है कि क्या अस्पताल बने, इसीलिये बन रहा है। अगर आप जमीन न दिलवायें तो न बनावें।

श्री मदन पांडेय--मौजूदा अस्पताल की बिल्डिंग का क्या होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की जो और दूसरी यूनिट्स हैं फाइलेरिया, मलेरिया वगैरह की वे उसमें रहेंगी क्योंकि वे अभी किराये के मकानों में हैं।

फसलों को दैवी आपत्तियों से बचाने की प्रार्थना

*३--**श्री भूपकिशोर**(जिला एटा)--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जाड़े के मौसम में बारिश न होने से रबी की फसल को नुकसान हुआ है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां। इन जाड़ों में वर्षा की कमी से रबी की फसल को कहीं-कहीं हानि हुई है ।

श्री भूपकिशोर--क्या मन्त्री महोदय कोई उपाय सोच रहे हैं कि बारिश न होने से जो हानि हो जाया करती है उस हानि से फसल को बचाया जा सके और इसमें सरकार कब तक पूर्ण रूप से कामयाब हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये इर्रीगेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है लेकिन यह तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, इसके लिये हम कह दें कि हम बिल्कुल बन्द कर देंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी के पास यह सूचना आई है कि पर्वतीय जिलों में बारिश न होने से रबी की फसल खराब हो जाने के कारण अकाल की स्थिति है और क्या इसकी जांच कराकर वहां पर मदद देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस वक्त याद नहीं कि वहां से कोई ऐसी शिकायत आई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल(जिला आगरा)--इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेचुरल कैलेमिटीज से अक्सर फसल को नुकसान पहुंच जाता है, क्या फसल का बीमा कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा कोई खयाल अभी नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां ओला, पानी, वर्षा और तूफान के कारण किसानों की रबी की फसल खत्म हो गई है वहां पर किसानों की मालगुजारी और आबपाशी माफ की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां जहां पर नुकसान की तादाद कायदे के अन्दर आ जायगी वहां पर जरूर छूट दी जायगी।

*४---**श्री भूपकिशोर**---[स्थगित किया गया।]

जमानियां थाने के हवालाती कैदी की मृत्यु

*५---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) तथा **श्री यमुनासिंह**---क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि पिछली ७ फरवरी को जमानियां थाने से गाजीपुर जेल ले जाते समय किसी हवालाती की मौत हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*६---**श्री गौरीशंकर राय तथा श्री यमुनासिंह**---क्या यह भी सत्य है कि यह मृत्यु पुलिस के मारने से हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मृत्यु पुलिस के मारने से नहीं हुई।

*७---**श्री गौरीशंकर राय तथा श्री यमुनासिंह**---क्या यह भी सत्य है कि उक्त मृतक हवालाती के लड़के ने जिलाधीश को यह प्रार्थना-पत्र दिया था कि लाश को मेडिकल बोर्ड के सामने भेजा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार इस मामले की जांच सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---माननीय मुख्य मन्त्री को १९ मार्च को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया है उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि मैजिस्ट्रेट साहब जांच करने के सिलसिले में मौके पर नहीं गये बल्कि जेल में कुछ मुलजिमों के बयान लिये जबकि मुलजिमों ने यह दरख्वास्त की थी कि उनका बयान जेल के बाहर लिया जाय और मौके पर मामले की जांच की जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति मर गया उसका पोस्ट मार्टम हुआ था ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, पोस्ट मार्टम हुआ था। सिविल सर्जन ने यह रिपोर्ट दी है कि गिरने से उसकी बटक में ऐसी चोट लगी कि शाक से उसकी मृत्यु हो गयी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---चोट किस स्थान पर थी, उसे डेसक्राइब करेंगे ?

गृह मन्त्री(श्री कमलापति त्रिपाठी)---बतलाया तो कि कूल्हे में थी। वह सीढ़ी से गिरे और डाक्टर ने कहा कि उस वजह से वह मरे।

श्री गौरीशंकर राय––जब पोस्ट मार्टम के दूसरे ही दिन लाश को मेडिकल बोर्ड के सामने लाने की अर्जी दी तो बोर्ड के सामने क्यों नहीं भेजी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––सिविल सर्जन ने पोस्ट मार्टम किया था और रिपोर्ट दी थी। मैजिस्ट्रेट ने सिविल सर्जन का भी बयान लिया। इससे ज्यादा जरूरत नहीं थी।

इलाहाबाद में कथित विस्फोट

*८––**श्री कल्याणचन्द मोहिले**––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद के मुहल्ला रसूलपुर में हाल में विस्फोटक पदार्थ के फट जाने के फलस्वरूप बहुत से आदमी जख्मी हुये तथा मरे ? यदि हां, तो घटना क्या थी और उसमें कितने आदमी मरे तथा घायल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव––जी नहीं। इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले––क्या यह सही है कि जिस मोहल्ले का नाम रसूलपुर लिखा है उसे तुलसीपुर भी कहते हैं और यह घटना वहां घटी ?

श्री रामस्वरूप यादव––नोटिस चाहिए।

रायबरेली में पुलिस के विरुद्ध हड़ताल

*९––**श्री रामप्रसाद** (जिला रायबरेली)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक १४–२–६० को नगर रायबरेली में स्थानीय पुलिस के विरोधस्वरूप पूर्ण हड़ताल मनायी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव––जी हां। उक्त हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि रायबरेली नगर में हाल में कुछ डकैती व नकबजनी की घटनाएं हुयी थीं और स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों का पता न लग सकने के कारण असन्तोष था।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट––क्या मन्त्री जी को यह भी शिकायत मिली थी कि पुलिस के चोरों से मिलने के कारण ज्यादा डकैतियां पड़ीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामप्रसाद––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस हड़ताल के दिन वहां कोई सार्वजनिक सभा हुई और उसमें कुछ प्रस्ताव पास हुये ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव––प्रस्ताव तो पास हुआ था लेकिन उसकी प्रतिलिपि नहीं आयी। एक रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास आया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––जनता में जिन बातों से पुलिस के प्रति असन्तोष था क्या उसे दूर करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किया ?

श्री रामस्वरूप यादव––पी० ए० सी० लगायी गयी ताकि वह रात में गश्त करे। एक डकैती के सिलसिले में २ व्यक्ति भी लखनऊ के गिरफ्तार हुये। ७ फरवरी के बाद कोई घटना नहीं हुई है। इससे लोगों को कुछ सन्तोष है, उनकी और मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री मदन पांडेय––क्या उस प्रस्ताव में एक मांग यह भी थी कि वर्तमान पुलिस अधिकारी का तबादला कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव––प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वहां के नागरिकों की अन्य मांगें क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---रक्षा समिति का बनाना जो स्थापित कर दी गयी हैं। रात को ११ बजे से ४ बजे तक गाड़ियों के निकलने पर खास तौर से निगरानी रखी जाती है। पेट्रोलिंग किया जाता है। बिजली की मांग तो नगरपालिका से सम्बन्धित है, सरकार से नहीं। मैजिस्ट्रेट द्वारा पेट्रोलिंग की मांग कुछ उचित नहीं समझी गयी।

स्थानीय निकाय के अध्यापकों के महंगाई भत्ते के लिए राजाज्ञा

*१०---**श्री कैलाशप्रकाश** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष १९५९-६० में जो ढाई रुपया मासिक महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, वह स्थानीय निकाय के अध्यापकों को भी मिल रहा है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

*११---**श्री कैलाशप्रकाश** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री शासकीय आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सम्बन्धित राजाज्ञाओं की प्रतिलिपियां† प्रस्तुत हैं।

[२५ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[१ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

*४---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---[१ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

प्रत्येक जिले में डिग्री कालेज खोलने की प्रार्थना

*५---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में सरकार के डिग्री कालेज नहीं हैं, उनमें किन-किन में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में जनवरी, १९५८ ई० से नवम्बर, १९५९ ई० तक सरकार ने विश्वविद्यालयों से पत्र-व्यवहार किया है ?

शिक्षा उपमन्त्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---इस सम्बन्ध में शासन ने विश्वविद्यालयों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार जिन जिलों में एक भी डिग्री कालेज नहीं हैं वहां डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। अब सरकार कोई डिग्री कालेज नहीं खोलती है। जो हैं वे हैं। नये खोलने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं के लोग खोलते हैं तो सरकार नियमानुकूल अनुदान इत्यादि देती है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की पुनर्वासन योजना

*६---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पीलीभीत, रामपुर तथा बिजनौर जिलों में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये व्यक्तियों को बसाने की कुछ योजनायें चालू वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां।

---

†प्रतिलिपियां छापी नहीं गयीं।

*७--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो इन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने के हेतु कितने कर्मचारियों की किन किन पदों पर वित्तीय वर्ष १९५९-६० में नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

कृषि निरीक्षक	५
कोआपरेटिव इन्सपेक्टर	१
इन्क्वायरी इन्सपेक्टर तथा लिपिक	८
अमीन	१८
चेनमैन	३२
चपरासी	१२

*८--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० सितम्बर, १९५९ तक उपरोक्त जिलों में कितने विस्थापित व्यक्ति आकर बस गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---७८४ परिवार, जिनमें लगभग ३९२० व्यक्ति हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर कुल कितना धन खर्च होगा और क्या यह सारा धन भारत सरकार से मिलेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सारा धन भारत सरकार से मिलेगा। कुल कितना धन खर्च होगा, इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---इस योजना में कितने विस्थापित बसाये जावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---अभी बता दिया गया है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया था कि १४११ विस्थापित परिवारों को जुलाई, ५९ तक ही बसा दिया जायगा ? यदि हां, तो सितम्बर, ५९ तक केवल ७८४ परिवार ही बसाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाती है।

विदेशों में मान्यता-प्राप्त लखनऊ के आंग्ल भारतीय विद्यालय

*९--**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कौन कौन ऐसी शिक्षा संस्थाएं (स्कूल, कालेज आदि) हैं जो विदेशों में मान्यता-प्राप्त किये हैं किन्तु उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---निम्नलिखित पांच आंग्ल-भारतीय विद्यालय, यूनिवर्सिटी आफ कैम्ब्रिज लोकल एक्जामिनेशन सिन्डिकेट, कैम्ब्रिज, इंग्लैण्ड द्वारा स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए मान्यता-प्राप्त हैं :---

(१) ला मार्टीनियर कालेज, लखनऊ।
(२) लोरेटो कन्वेंट, लखनऊ।
(३) सेंट फ्रॉसिस हाई स्कूल, लखनऊ।
(४) सेंट एग्नीज लोरेटो हाई स्कूल, लखनऊ।
(५) ला मार्टीनियर गर्ल्स हाई स्कूल, लखनऊ।

*१०—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं में राष्ट्रीय गान अथवा बन्दे मातरम् गान कभी नहीं होता ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इन पांच शिक्षा संस्थाओं को सरकार द्वारा कितनी आवर्तक और कितनी अनावर्तक सहायता या अनुदान मिलते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नोटिस चाहिए। संविधान के अनुसार इन ऐंग्लो-इंडियन संस्थाओं के लिए अनुदान विशेष तौर से दिया जाता रहा है। अब वह गारन्टी समाप्त हो रही है। आगे की बात भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि इन संस्थाओं के वार्षिक उत्सवों में राष्ट्रीय झंडा गान व बन्दे मातरम् गान नहीं होते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राष्ट्रीय दिवस मनाये जाते हैं। अब दिन प्रतिदिन में क्या होता है, इसकी मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन उनके यहां कोई बन्दी नहीं है। अगर बन्दी होती तो समारोहों में राष्ट्रीय गान व बन्दे मातरम् वे न गाते, लेकिन वे गाते हैं।

चक्की भूसाडोही के किसानों की अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मन्त्री देवरिया जिले के अधिकारियों की कथित ज्यादतियों के सम्बन्ध में ११-९-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ के ४ जुलाई सन् १९५९ के पत्र का उत्तर जिलाधीश देवरिया ने क्या दिया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०३५ पर)

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१४ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

चक्की भूसाडोही और देवरिया का सीमा विवाद

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चक्की भूसाडोही, जिला आजमगढ़, से देवरिया के सीमा विवाद सम्बन्धी निपटारे का अन्तिम हल सरकार द्वारा क्या निकाला गया है तथा वह कार्यान्वित कब होगा ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—चक्की भूसाडोही, जिला आजमगढ़, से देवरिया के सीमा विवाद सम्बन्धी निपटारे का हल सरकार द्वारा यह निकाला गया कि विवाद ग्रस्त भूमि में पैमाइश तथा अभिलेख क्रियायें की जायं। ये क्रियायें की जा रही हैं। आशा है कि चार-छः महीनों में यह कार्य समाप्त हो जायगा, जिसके उपरांत उक्त क्षेत्र में दोनों जिलों की सही-सही सीमा ज्ञात हो जायेगी तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश प्रेषित किये जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि यह विवाद तीन-चार वर्ष से चल रहा है और सरकार की ओर से जो पैमाइश और अभिलेख तैयार करने के आदेश दिये गये थे उनको आजमगढ़ जिले की तरफ से बन्द कर दिया गया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं। पैमाइश का काम जारी है। हो सकता है कि जिले के अधिकारी कुछ अन्य आवश्यक कार्यों में लगे हुये हों, इसलिए कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी हासिल करेंगे कि आजमगढ़ जिले की ओर स जो सर्वे अमीन मुकर्रर थे उन से देवरिया जिले के किसानों ने कागजात और सामान छीन लिया ? आजमगढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बार-बार लिखा लेकिन वे किसान उस काम को करने नहीं दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका हम पता लगायेंगे।

श्री उग्रसेन—जो जांच देवरिया के कलेक्टर और गोरखपुर के कमिश्नर के समक्ष हुई और रेवेन्यू बोर्ड के सामने आयी, सरकार ने उस पर कोई अन्तिम निर्णय क्यों नहीं लिया जिसका नतीजा यह है कि आजमगढ़ और देवरिया के किसानों में भीषण विवाद है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया के कलेक्टर को आदेश दे दिये गये हैं कि वे जांच-पड़ताल करें और रिकार्ड आपरेशन्स कराये जायं। यह सब कराया जा रहा है।

इटावा जिले की प्रदर्शनी पर व्यय

*१४—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा जिला इटावा की प्रदर्शनी में सन् १९५९ में कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला इटावा की प्रदर्शनी में सरकार द्वारा कोई धन व्यय नहीं किया गया।

*१५—**श्री भजनलाल**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदर्शनी से सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस प्रदर्शनी से सरकार को कोई धन प्राप्त नहीं हुआ।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उस प्रदर्शनी में संगीत, नृत्यकला, आतिशबाजी, बिजली की रोशनी और अधिकारियों के प्रबन्ध पर जो रुपया खर्च किया जाता है, क्या वह किसी सेठ की तिजोरी से निकाल कर किया जाता है ? यह खर्च आखिर कहां से आता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस प्रदर्शनी की एक कमेटी है। वह उस प्रदर्शनी में होने वाली आमदनी से खर्च करती है। यह प्रदर्शनी की कमेटी कुछ टी० बी० अस्पताल आदि को दान में भी देती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बतायेगी कि उस कमेटी को सरकार की तरफ से कोई अनुदान दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कमेटी को सरकार कोई अनुदान नहीं देती।

उर्सला हास्पिटल, कानपुर में नेत्र चिकित्सा सम्बन्धी यन्त्रों की कमी

*१६—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर के उर्सला हास्पिटल के मेडिकल कालेज, कानपुर, के अधीन जाने के बाद अब कितने मरीजों को चारपाइयां उर्सला हास्पिटल के सिविल सर्जन के अधीन हैं और कितनी मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के अधीन ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—७५ सिविल सर्जन के अधीन हैं और १४१ प्रिंसिपल, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर, के अधीन हैं।

*१७--श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उर्सला हास्पिटल, कानपुर, जब से मैडिकल कालेज, कानपुर, के अधीन हुआ है तब से आंख बनाने के औजार जो उर्सला हास्पिटल के थे वह आंख के डाक्टर के पास नहीं हैं और जो मरीज आंख बनवाते हैं उनके लिए डाक्टर घर से औजार ले जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---मरीजों की चारपाइयों के बटवारे के अनुसार आंख बनाने के औजार भी बांट दिये गये थे; २/३ औजार कालेज की तरफ और १/३ उर्सला अस्पताल की तरफ। मेडिकल कालेज के कोई डाक्टर आपरेशन के औजार घर से नहीं ले जाते हैं परन्तु उर्सला अस्पताल के आंखों के डाक्टर जो आनरेरी हैं,आंख बनाने के अपने निजी औजार कतिपय लाये हैं क्योंकि वहां पर पूरे औजार नहीं हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चूंकि अस्पताल में आंख बनाने के लिये औजार नहीं हैं इसलिये उनको अपने पास से लाना पड़ता है, तो क्या सरकार इस तरह की शीघ्र व्यवस्था करेगी कि आंख बनाने वाले जो औजार हैं वे जल्द से जल्द वहां पहुंच जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि आंख के जो आनरेरी डाक्टर हैं वे अपने औजार लाते हैं, तो क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि आंख के कितने आनरेरी डाक्टर उर्सला अस्पताल में आते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त तो हमें एक ही याद है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसी अस्पताल में एक श्री बनवारीलाल पांडेय, स्पेशलिस्ट भी जाते हैं और उनके स्पेशलिस्ट होने की वजह से ही उनके पास अधिक मरीज जाते हैं, तो उनको भी अपने निजी औजार का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी वे मरीजों के साथ न्याय कर पाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उर्सला अस्पताल में जितने आनरेरी डाक्टर काम करते हैं वे सिविल सर्जन के मातहत काम करते हैं और वे अपने औजार का ही इस्तेमाल करते हैं

श्री मोतीलाल अवस्थी---ये आनरेरी डाक्टर नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उर्सला अस्पताल में भी कोई आनरेरी डाक्टर आंख बनाने के लिये आता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों में छात्रों की फीस माफ करने की प्रार्थना

*१८---श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूखा पीड़ित क्षेत्र के जिलों में विद्यार्थियों की फीस माफी या सहायता की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी नहीं।

*१९--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि हां, तो क्या ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। जरूरत नहीं समझते।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस बात को निवेदन कर दूं कि माननीय सदन में शान्ति नहीं है। अब क्या उपाय किया जाय मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं। कृपया शान्ति स्थापित करें, नहीं तो सदन का काम चलना असम्भव हो जायगा।

श्री राजनारायण--मैं उपाय बतलाऊं ? मुझे उपाय बतलाने का कब अवसर दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--आप मेरे चेम्बर में आकर मिल लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी अभी हाल में ओले और वर्षा से हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए गरीब छात्रों की फीस माफी के सम्बन्ध में कुछ विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फिलहाल तो कोई जरूरत मालूम नहीं होती।

*२०-२२--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--[२२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा में कम्युनिस्टों की सभा में पथराव

*२३--श्री भजनलाल--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा शहर में दिनांक २७-१२-५९ को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें पथराव हुआ और मजबूर होकर जिलाधीश ने धारा १४४ लगाई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

श्री भजनलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उस सभा में पथराव होने का कारण क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव--इटावा नगर की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत चीन सीमा समस्या के सम्बन्ध में अपनी पार्टी नीति के स्पष्टीकरण हेतु श्री बलराम दुबे की अध्यक्षता में २७ दिसम्बर, १९५९ को नगरपालिका कार्यालय में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। श्री शंकर दयाल तिवारी, लखनऊ के उस सभा को सम्बोधित करने वाले थे। जनसंघ के कुछ सज्जन वहां विघ्न डालने के लिये पहुंचे और उन्होंने विघ्न डालने का प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप दोनों तरफ से पथराव हुए । इतने में पुलिस वहां पहुंच गयी और उसने शान्ति स्थापित की और दफा १४४ लागू कर दी गयी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनसंघ के व्यक्तियों ने विघ्न डालने के लिये पत्थर चलाया, तो क्या यह जांच करायेंगे कि जनसंघ के व्यक्तियों ने पत्थर चलाया या पहले कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्तियों ने पत्थर चलाया और उसका जवाब जनसंघ की तरफ से नहीं बल्कि जनता की तरफ से दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने कहा कि दोनों तरफ से पत्थर चलाये गये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी को पहले से ही सूचना थी कि पथराव होगा जिससे उन्होंने पहले से ही पुलिस को सूचना दे दी थी या बाद में पुलिस को सूचना हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुलिस को यह जानकारी थी कि सम्भव है कि वहां कोई झगड़ा हो जाय, उसके लिये वह पहले से तैयार थी लेकिन उन्हें पथराव की जानकारी नहीं थी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े में कितने आदमी घायल हुये और कितनों को गिरफ्तार कर के केस चलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, पुलिस ने काफी सतर्कता बरती।

श्री भजनलाल---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह मालूम था कि वहां पर झगड़ा होगा और पथराव होगा और इसीलिये वह अपने साथ में पिसी हुई मिर्चों की थैलियां भी ले गये थे जनता के ऊपर फेंकने के लिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना तो मुझे नहीं है लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास है उससे मालूम होता है कि इस मीटिंग के बारे में जो होने वाली थी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पहले से ऐलान हो चुका था और उसमें प्रान्तीय स्तर के उनके नेता भी पहुंचने वाले थे। दूसरे दल की कोशिश थी कि मीटिंग न होने पाये और ऐसा लगता था कि अगर मीटिंग होगी तो दूसरी ओर से रोकने की कोशिश होगी। जब मीटिंग शुरू होने को हुई तो जैसा कि होता है दूसरी तरफ से नारे लगाये गये और आपस में कुछ बदगुमानी और बदमजगी फैली और उसके बाद, कहते हैं कि दोनों ओर से ढेले चले। पुलिस तो तैयार थी ही, वह पहुंची तो सब तितर-बितर हो गये और उसके बाद १४४ लागू कर दी गई ताकि फिर झगड़ा न हो।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि वहां के एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने भारत विरोधी भाषण देना शुरू किया था और कहा था कि भारत को तिलंगाना बना देंगे और उस पर जनता बिगड़ी और पथराव हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जैसा अभी मालूम हुआ कि तिलंगाना बना देंगे, तो तिलंगाना भी तो भारत का ही अंग है, बाकी उन्होंने क्या भाषण दिया उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। पुलिस तो जब ढेले चले तब पहुंची और उसके पहुंचने पर भीड़ तितर-बितर हो गई, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ।

हाई स्कूल बोर्ड व इन्टरमीडिएट की परीक्षा में असफलता सम्बन्धी आवेदन पत्र

*२४---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, यू० पी०, इलाहाबाद द्वारा १९५९ में ली गई परीक्षाओं के निम्नलिखित विषयों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये, उनका प्रतिशत क्या था---

हाई स्कूल परीक्षा

(अ) विषय---अंग्रेजी प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र (पृथक्-पृथक्)।

(ब) विषय---बायलोजी, सामान्य विज्ञान प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र (पृथक्-पृथक्)

(स) विषय---गणित प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र (पृथक्-पृथक्)।

सेकेन्ड इन्टरमीडिएट परीक्षा

(द) विषय---अंग्रेजी प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रश्न-पत्र (पृथक्-पृथक्) ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०३६ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी---हाई स्कूल परीक्षा सन् १९५९ में अंग्रेजी प्रथम (अ) में ५६·२, (ब) में ५५·७ तथा द्वितीय में ४६-६ प्रतिशत और जीव विज्ञान में ४८·९ तथा द्वितीय में ५७·३ प्रतिशत उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुये यह जो रेप्रेजेन्टेशन किया गया कि इन परीक्षकों ने पाठ्यक्रम के बाहर अनर्गल प्रश्न किये हैं, उस पर क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे तो मालूम नहीं है कि कोई ऐसा रेप्रेजेन्टेशन आया हो । इसका सम्बन्ध इन्टरमीडिएट बोर्ड से है । आया होगा तो वह बोर्ड के अध्यक्ष के पास आया होगा । उन्होंने क्या कार्यवाही की इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार प्रश्नकर्ता के प्रश्न को सूचना मानकर फिर से जांच करायेगी कि यदि वह रेप्रेजेन्टेशन बोर्ड के पास आया था तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, पता लगा लूंगा लेकिन माननीय सदस्य फिर से प्रश्न कर दें तो वह सब चीज सदन के सम्मुख भी आ जायगी क्योंकि आपके प्रश्न का सम्बन्ध इन्टरमीडियेट बोर्ड के दफ्तर से है, उसका वहां पता लगाना पड़ेगा, आप प्रश्न कर देंगे तो पूरी तफसील मंगा लूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी द्वितीय का जो पद्य का प्रश्न पत्र होता है उसमें केवल ४२ फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा हाई स्कूल का परीक्षा-फल ४५ फीसदी और उस ४५ फीसदी का भी ४२ फीसदी अंग्रेजी द्वितीय पद्य पत्र में विद्यार्थी पास हो रहे हैं । इस प्रतिशत को अगर देखा जाय तो १५ फीसदी विद्यार्थी ही सफल होते हैं । इसको देखते हुए क्या सरकार इंटरमीडिएट के द्वितीय पत्र के पद्य वाले प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को पुनः दुरुस्त करने के लिये विचार कर रही है अथवा बोर्ड के पास कुछ अपनी सम्मति भेज रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं हमारे आदरणीय मोतीलाल जी तो स्वयं अध्यापक हैं और सारी इंटरमीडिएट बोर्ड की वर्किंग तथा उसके नियमों से परिचित हैं। वहां का पाठ्यक्रम भी बोर्ड ही बनाता है, पुस्तक भी इंटरमीडिएट बोर्ड चुनता है ।

रह गयी फेल होने की बात । जो आंकड़े हमारे पास हैं उससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी 'ब' द्वितीय में जरूर ४२ परसेंट है । लेकिन अंग्रेजी 'अ' प्रथम और 'अ' द्वितीय में क्रमशः ४९.५ परसेंट और ६०.७२ परसेंट है और अंग्रेजी 'ब' प्रथम में ५४.४५ प्रतिशत और अंग्रेजी 'अ,' 'ब' तृतीय में ६६.६ परसेंट है । तो इस तरह से कुछ कम हो गया होगा ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा दूसरा प्रश्न लेने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, इतनी मुश्किल के बाद तो यह प्रश्न आया है और आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं । मैं चाहूंगा कि आवश्यक प्रश्न करने के लिये मुझे मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय शिक्षा मंत्री ने कह तो दिया है कि आप दूसरा प्रश्न कर लीजियेगा । अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

*२५-२७---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---[८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में पुलिस बढ़ाने की मांग

*२८--श्री मुक्तिनाथराय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिला अधिकारियों ने इस वर्ष और पहले भी मऊ कस्बे में एक छोटी पुलिस लाइन जिले के प्रमुख स्थानों में पुलिस की चौकियों तथा पुलिस की संख्या जिलों में बढ़ाने के निमित्त कोई सुझाव सरकार के पास भेजा था ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सामग्री प्रधान पुलिस निरीक्षक से मंगाई गई है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रधान पुलिस निरीक्षक ने क्या रिपोर्ट सरकार को दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सुझाव दिया था कि मऊ कस्बे का सब-डिवीजन में परिवर्तन कर दिया जाय; मऊ में एक छोटी रिजर्व पुलिस लाइन की स्थापना तथा उसके लिये सशस्त्र पुलिस के १ सब-इन्सपेक्टर, ४ हेड कांस्टेबिल तथा ३६ कांस्टेबिलों के पदों का निर्माण; थाना मऊ की वर्तमान पुलिस संख्या में एक सब-इंसपेक्टर तथा ७ कांस्टेबिलों की वृद्धि तथा उसके अधीनस्थ सराय लाखन्सी व खेरी बाग पुलिस चौकियों की संख्या में एक-एक सब-इंसपेक्टर की वृद्धि; कोपागंज पुलिस चौकी को एक सम्पूर्ण थाने में परिवर्तित करना आदि।

जहां तक मऊ कस्बे में सब-डिवीजन स्थापित करने का प्रश्न है, नियुक्ति विभाग उस पर विचार कर रहा है।

शिक्षा एवं खिलौना प्रदर्शनी, वाराणसी के लिए स्वीकृत धन

*२९--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक शिक्षा एवं खिलौना प्रदर्शनी जो चिंतामणि एंग्लो बंगाली कालेज, वाराणसी में १० जनवरी, सन् १९६० से हो रही है उसके लिये सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--लगभग ३५,००० रुपया स्वीकृत किया है।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लगभग ३५,००० रुपया दिया गया था वह सब खर्च हो गया या उसमें से कुछ वापस हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष--अभी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हो रही है। खर्च हो गया या नहीं इसके बारे में तो अन्त में जवाब दिया जायगा। आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ३५,००० रुपया प्रदर्शनी को दिया गया था वह सब खर्च हो गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां, सब खर्च हो गया।

ताड़ी व अनेई बाजारों में कन्या पाठशाला न होना

*३०--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ताड़ी बाजार व अनेई बाजार, परगना पन्वह, जिला वाराणसी में कन्या प्राइमरी पाठशाला खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--अभी निश्चय नहीं है।

श्री ऊदल--मंत्री जी बतायेंगे कि ताड़ी और अनेई से ८ मील के एरिया में कोई कन्या पाठशाला नहीं है। वहां पर कन्या पाठशाला खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्राइमरी की कन्या पाठशालायें तो बहुत कम हैं। प्राइमरी स्तर तक के बच्चे और बच्चियां एक स्कूल ही में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्कूल हैं इन जगहों पर। आपका प्रश्न है कि वहां छोटी-छोटी बच्चियों के लिये अलग से प्राइमरी स्कूल खोला जाय वह सरकार के विचाराधीन है। अगले वर्षों में देखा जायगा।

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों का शेष वेतन

*३१--**श्री ऊदल**--क्या सरकार को इस बात का पता है कि वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को ४ महीने से तनख्वाह नहीं मिली? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार बकाया सब तनख्वाह देने की व्यवस्था कर रही है?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां, परिषद् द्वारा अपना पूरा अंशदान न दिए जाने के कारण कुछ महीनों का वेतन अवशेष रह गया था। सब बकाया वेतन दिए जाने के लिए परिषद् को जो शासकीय अनुदान की चतुर्थ किस्त मिलनी थी उसकी स्वीकृति मार्च ७, १९६० को दी जा चुकी है।

श्री ऊदल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि बगल में जौनपुर अन्तरिम जिला परिषद् है जो हर महीने अध्यापकों को तनख्वाह दे देती है और वाराणसी में चार-चार महीने तनख्वाह बकाया रह जाती है, तो क्या वे कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि हर महीने अध्यापकों को तनख्वाह मिल जाय?

श्री दीनदयालु शास्त्री--ऐसा नहीं है कि वाराणसी में चार महीने तनख्वाह नहीं मिली। नवम्बर तक को मिल चुकी थी। दिसम्बर, जनवरी और फरवरी की मिलना बाकी थी क्योंकि वहां की जिला परिषद् ने ठीक ढंग से हिसाब नहीं भेजा था। फिर भी अपनी ओर से उस परिषद् को रुपया दे दिया ताकि शिक्षकों को तकलीफ न हो।

बरेली में पटाखे से महिला का घायल होना

*३२--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली शहर के मुहल्ला शाहाबाद में १-२-६० की रात को जो बम फटा और जिसमें एक महिला बुरी तरह घायल हुई उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दिनांक १-२-६० की रात को बम फटने की कोई घटना नहीं हुई। दिनांक २९-१-६० को एक आतिशबाजी के पटाखे से एक महिला घायल हुई थी जो बरेली अस्पताल में भर्ती हुई और इलाज के बाद डिसचार्ज हुई।

गोरखपुर जिले की टाउन एरियाओं में जमींदारी समाप्त करने का विचार

*३३--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के शहरी क्षेत्रों की जमींदारी अब तक किन-किन टाउन एरियाओं, म्युनिसिपल बोर्डों तथा कारपोरेशनों में समाप्त हो चुकी है तथा वह अन्य शहरी क्षेत्रों में कब तक पूर्णतया समाप्त हो जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तक किसी नागर क्षेत्र में जमींदारी समाप्त नहीं हुई है। प्रदेश में नागर क्षेत्रों की जमींदारी के पूर्णतया समाप्त होने की कोई निश्चित तिथि बताना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि अभी इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

*३४--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९६०-६१ में गोरखपुर जिले की कौन-कौन सी टाउन एरियाओं में जमींदारी समाप्त हो रही है?

नोट--तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन---निश्चित रूप से तो कहना सम्भव नहीं है, परन्तु गोरखपुर जिले की बड़हलगंज, चौतनवा और गोला टाउन एरियाओं में १९६०-६१ में जमींदारी समाप्त होने की आशा है।

थानों के हवालाती कैदियों द्वारा कथित आत्महत्या

*३५---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९५९ से लेकर ७ फरवरी, १९६० तक प्रदेश के किन-किन थानों में हवालात में बन्द व्यक्तियों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तथा कितने उसमें सफल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त अवधि में किसी थाने की हवालात में आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया गया ।

*३६---**कुंवर श्रीपालसिंह**---[१८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

रऊकरना में अस्पृश्यता सम्बन्धी झगड़ा

*३७---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २४ जनवरी, सन् १९६० को ग्राम रऊकरना, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में आयोजित हरिजनों की एक सभा में जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपमन्त्री भी सम्मिलित हुये थे, किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सभा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बाद में स्कूल की सफाई के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ और एक हवाई फायर किया गया। मुकदमा कायम होकर जांच हो रही है ।

जिला रायबरेली में चोरियां व डकैतियां

*३८---**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९५९ से १० फरवरी, सन् १९६० तक जनपद रायबरेली शहर में कितनी चोरियां व डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में ७० चोरियां और १ डकैती हुई।

*३९---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

नये पुलिस थानों की स्थापना

*४०---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में १९५९-६० में अब तक कितने थाने नये कायम किये गये और किन-किन जिलों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस प्रदेश में १९५९-६० में चार थाने नये कायम किये गये। उनमें से दो नैनीताल जिले में तथा रामपुर और झांसी जिले में एक-एक थाना स्थापित किया गया।

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अयोग्य घोषित जिला सूचना अधिकारी

*४१---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५९ में जिला सूचना अधिकारियों के पदों के चुनावों

के लिये प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया था, उनमें कितने मौजूदा जिला सूचना अधिकारी (जो काम कर रहे हैं) साक्षात्कार को बुलाये गये थे और उनमें से कितने कमीशन द्वारा अयोग्य घोषित किये गये हैं ?

*४२--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अयोग्य घोषित किये गये राज्य के मौजूदा सूचना अधिकारी कितने दिनों से सूचना विभाग में काम कर रहे हैं, और उनमें से कितने राजनीतिक पीड़ित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आयोग की सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन हैं। निर्णय हो जाने पर ही सम्पूर्ण सूचना दी जा सकेगी।

*४३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किये गये साक्षात्कार के समय सूचना विभाग का भी कोई अधिकारी उक्त कमीशन में बैठा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। आयोग की सहायतार्थ सूचना संचालक बैठे थे।

गोरखपुर जिले में फलदार आम के वृक्षों का काटा जाना

*४४--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कितने फलदार आमों के पेड़ सरकारी परमिटों द्वारा १ अप्रैल, १९५७ से आज तक काटे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई भी नहीं।

*४५--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त समय में कितने फलदार पेड़ों के बाग बिना सरकारी आज्ञाओं के काटे गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपरोक्त समय में ८ फलदार पेड़ों के बागों में कुछ पेड़ों को बिना सरकारी आज्ञा के काटे जाने की सूचना मिली है।

स्वास्थ्य विभाग की राजाज्ञाओं को हिन्दी में भेजने की प्रार्थना

*४६--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८-५९ तथा १९५९-६० में अगस्त तक सरकार ने जो जी० ओ० स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालयों में भेजे वह कितने फीसदी अंग्रेजी में तथा कितने फीसदी हिन्दी में थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आमतौर से सरकार से जी० ओ० स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यालयों में नहीं भेजे जाते हैं।

*४७--श्री गौरीराम गुप्त--क्या यह सही है कि जो जी० ओ० भेजा जाता है वह अंग्रेजी में ही सरकार भेजती है ? इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न नहीं उठता।

*४८--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार तत्काल जी० ओ० हिन्दी में भेजने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न नहीं उठता।

*४९-५१--श्री हरदयालसिंह--[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सोलजर्स बोर्ड के कर्मचारियों के स्थायीकरण से सम्बन्धित आदेश

*५२—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माल विभाग के सचिव ने जनवरी २७, १९६० को सेक्रेटरी यू० पी० सोलजर्स बोर्ड को एक पत्र लिखा, जिसमें सोलजर्स बोर्ड के कर्मचारियों को सरकार द्वारा जो स्थायीकरण का आदेश कुछ माह पूर्व सरकार द्वारा दिया गया था उसको लागू करने को कहा? यदि हां, तो क्या उपरोक्त आदेश का पालन सेक्रेटरी, सोलजर्स बोर्ड ने कर लिया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। शासकीय आदेशों का पालन कर दिया गया है।

*५३-५४—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर में पुलिस द्वारा हाइडेल कर्मचारियों के पीटे जाने की जांच

*५५—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सीतापुर में लालबाग चौराहे पर कोई झगड़ा ४-२-६० ई० को पावर हाउस के कर्मचारियों से पुलिस के इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबिलों से हुआ? यदि हां, तो कितने आदमियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने की शिकायत सरकार को मिली है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४-२-६० को झगड़ा लालबाग चौराहे पर नहीं बल्कि लोहा मन्डी के चौराहे पर एक ट्रैफिक कान्स्टेबिल और कुछ हाइडेल विभाग के कर्मचारियों में हुआ। इस झगड़े के पश्चात् पुलिस चौकी थामसनगंज पर तीन आदमियों के पीटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

*५६—श्री मूलचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है और झगड़े के समय कौन-कौन सब-इन्स्पेक्टर, हेड-कांस्टेबिल, कांस्टेबिल मौके पर मौजूद थे, जिसमें कितने दोषी ठहराये गये और झगड़े का कारण क्या था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक मैजिस्ट्रेट इस मामले की जांच कर रहे हैं। दो कांस्टेबिलों को मुअत्तल कर दिया गया है और एक सब-इंस्पेक्टर को स्थानान्तरित कर दिया गया है। हाइडेल विभाग के कर्मचारियों ने दो कान्स्टेबिलों द्वारा पीटे जाने की शिकायत लिखवाई है। मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आने पर दोषियों और झगड़े के कारण का पता चलेगा।

*५७-५८—श्री प्रतापसिंह तथा श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सर्वे अमीनों की नियुक्ति

*५९—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई में १९५४ से १९५५ तक ट्रेनिंग पाये हुये सर्वे अमीन्स में कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग के बाद सर्वे अमीनों के पदों पर नियुक्त किया गया?

श्री हुकुम सिंहविसेन—५४ व्यक्तियों को।

*६०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सदर तथा छिबरामऊ तहसीलों में चकबन्दी

*६१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में चकबन्दी के कार्य को प्रारम्भ हुये कितने दिन हुये हैं और कितना कार्य हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में २५५ ग्रामों में चकबन्दी का कार्य ४ अगस्त, सन् १९५९ ई० को प्रारम्भ किया गया था। प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०३७ पर)

*६२--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की तहसील छिबरामऊ में जहां चकबन्दी हो चुकी है, वहां की इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि अधिकांश गांवों की खेतों की पूरी पैमाइश नहीं की गई है, जिससे अशान्ति व झगड़े होने की आशंका है ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस प्रकार का आरोप सरकार की नोटिस में आया है। तहसील छिबरामऊ में चकबन्दी के अन्तर्गत लिये गये प्रायः सभी गांवों में नियमानुसार पैमाइश करा कर चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका है और इस सम्बन्ध में बाद में भी काश्तकारों की शिकायतें आने पर यथावश्यकता मौके पर पैमाइश करायी गई है।

मैनपुरी जिले में अनुसूचित जाति के लोगों को बन्दूक के लाइसेंस

*६३--**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में सन् १९५६ के आरम्भ से जनवरी, १९६० तक कितने बन्दूकों के लाइसेन्स दिये गये हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त अवधि में कुल १,१३३ लाइसेन्स दिये गये जिनमें ३८ अनुसूचित जातियों के हैं।

*६४--**श्री रामदीन**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ के शुरू से जनवरी, १९६० तक बन्दूकों के लाइसेन्स के लिये कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, मैनपुरी के विचाराधीन थे और उनमें कितने अनुसूचित जातियों के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--३,७१५ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे। चूंकि प्रार्थना-पत्र के रजिस्टर में जातियां नहीं लिखी जातीं, अतएव यह बताना सम्भव नहीं कि उक्त प्रार्थना-पत्रों में कितने प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जातियों के थे।

सीतापुर जिले में कत्ल, डाके एवं चोरियां

*६५--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में सन् १९५८ ई० में कितने कत्ल, डाके एवं चोरियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५८ ई० में सीतापुर जिले में ५१ कत्ल, २८ डाके एवं ६१६ चोरियां हुईं।

खीरी जिले में मालगुजारी में छट देने की प्रार्थना

*६६--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--क्या यह सत्य है कि तहसील निघासन, जिला खीरी, में रबी की समस्त फसलें पानी न बरसने के कारण नष्ट हो गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। कुछ ग्रामों में फसल को कुछ हानि जरूर हुई है।

*६७--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--यदि हां, तो क्या सरकार रबी की मालगुजारी माफ करने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सहायता के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मालगुजारी में छूट देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*६८--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--क्या यह सत्य है कि जिला उन्नाव में गंगा नदी के किनारे के कटरी क्षेत्र में पानी न बरसने के कारण समस्त रबी की फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में रबी की मालगुजारी माफ करने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं। सम्बन्धित क्षेत्रों में रबी की समस्त फसलें नष्ट नहीं हुईं। कुछ ग्रामों में कुछ क्षति पहुंची है। सहायता के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मालगुजारी माफ करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

शाहगंज की गन्ना हड़ताल में सोशलिस्टों की गिरफ्तारी

*६९--**श्री राजनारायण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १८-१२-५९ को शाहगंज, जिला जौनपुर में गन्ना हड़ताल के समय पुलिस ने कुछ सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र में पुन्ना डाकू की गिरफ्तारी

*७०--**श्री द्वारिकाप्रसाद**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद, थाना इन्दरगढ़ क्षेत्र में फरवरी, १९६० में पुन्ना डाकू को गिरफ्तार किया गया है? यदि हां, तो उक्त डाकू ने डकैतियों में कितने व्यक्तियों की जानें ली हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। उक्त थाने के अन्तर्गत १० फरवरी, १९६० को पुन्ना डाकू गिरफ्तार किया गया। उक्त डाकू ने डकैतियों में ८ व्यक्तियों की जानें लीं।

*७१--**श्री द्वारिकाप्रसाद**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुन्ना डाकू को गिरफ्तार करने के लिये उसने कितना इनाम रखा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त डाकू की गिरफ्तारी के लिये सरकार ने कोई पुरस्कार नहीं रखा था?

*७२--**श्री यमुनासिंह**--[३१ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७३--**श्री विश्रामराय**--[दसवें बुधवार के लिए प्रश्न ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नवीन चिकित्सालय खोलने की योजना

*७४--**श्री विश्रामराय**--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में कितने चिकित्सालय किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९६०-६१ में प्रदेश में सरकार ने भिन्न-भिन्न पद्धतियों के निम्नलिखित चिकित्सालय/औषधालय खोलने का निश्चय किया है:--

प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयों के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सालय ..	७१
आयुर्वेदिक यूनानी औषधालय	५
महिला चिकित्सालय	५

स्थानों का निर्णय अभी नहीं हुआ है।

*७५--श्री राजनारायण---[हटा दिया गया।]

*७६---श्री राजनारायण---[१४ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

*७७-७८---श्री उग्रसेन---[दसवें बुधवार के लिए प्रश्न ९६-९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में बागों की मालगुजारी में गलत तशखीस

*७९--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में तहसीलवार कितने ऐसे बागों पर जो अब बाग की हैसियत नहीं रखते हैं, ३१ मार्च, १९५९ के पूर्व और १ अप्रैल, १९५९ के पश्चात् मालगुजारी तशखीस की गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रतापगढ़ जिले में ऐसे बागों की तहसीलवार संख्या जो अब बाग की हैसियत नहीं रखते हैं और जिन पर ३१ मार्च, १९५९ के पूर्व तथा १ अप्रैल, १९५९ के पश्चात् मालगुजारी तशखीस की गयी है, निम्नलिखित है:---

तहसील	३१ मार्च, १९५९ के पूर्व	१ अप्रैल, १९५९ के पश्चात्
कुन्डा	१,६२२	२,०५२
पट्टी	१६९	५,२९७
सदर	४५२	१,४७१

*८०---श्री हरकेशबहादुर---कितने ऐसे मामलों में १ अप्रैल, १९५९ के पश्चात् आपत्ति-पत्र दाखिल हुये और कितनी तशखीसें निराधार पायी गयीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१ अप्रैल, १९५९ के पश्चात् ४९ आपत्ति-पत्र दाखिल हुये और ११ मामलों में मालगुजारी की तशखीसें निराधार पायी गयीं।

सदर तहसील में चकबन्दी

*८१--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में जो चकबन्दी हो रही है वह कब से आरम्भ हुई है और कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबन्दी का कार्य मार्च, १९५५ में आरम्भ किया गया था और आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायगा।

*८२---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ की सदर तहसील की चकबन्दी समाप्त होने पर पुनः किस तहसील में चकबन्दी आरम्भ होगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

*८३---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहले किस तहसील में चकबन्दी आरम्भ की जाय, इसके निर्णय का आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---चकबन्दी के लिए पहले वह तहसील चुनी जाती है जहां चकबन्दी करने योग्य क्षेत्रफल अधिक हो व कार्य करने में प्रशासकीय सुविधायें हों, तथा निकट भविष्य में कोई सिंचाई योजना कार्यान्वित होने वाली न हो।

खीरी जिले में भूदान समिति द्वारा भूमिहीनों को भूमि

*८४---श्री छेदीलाल (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में भूदान में तहसीलवार कितनी जमीन किन-किन मौजों में दी गयी ? क्या उस भूमि पर भूदान समिति का अधिकार हो चुका है और क्या उस भूमि का भूमिहीन काश्तकारों में बटवारा किया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला खीरी की तहसीलों के विभिन्न मौजों में २९-२-६० तक भूदान में प्राप्त भूमि की सूचना संलग्न सूची† में दी गयी है जो सदन की मेज पर रख दी गयी है।

उक्त भूमि पर भूदान समिति का अधिकार हो चुका है।

भूदान में प्राप्त कुल भूमि में से ३,८११.६७ एकड़ भूमि का बटवारा किया जा चुका है।

*८५---श्री छेदीलाल---क्या यह सच है कि जिन भूमिहीन काश्तकारों में जमीन वितरित की गयी है उन्हें अब तक उस जमीन पर अधिकार नहीं मिल पाया है और उनसे लगान वसूल किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सच नहीं है कि जिन भूमिहीन काश्तकारों में जमीन वितरित की गयी है उन्हें उस भूमि पर अधिकार नहीं मिला है और उनसे लगान लिया जाता है।

फर्रुखाबाद जिले में डकैतियां

*८६---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ठठिया, कन्नौज और सौरिख थानों के अन्तर्गत १ जनवरी से १७ फरवरी, सन् १९६० तक कितनी डकैतियां पड़ीं ? उन डकैतियों के पड़ने की तिथि क्या है तथा प्रत्येक में कितना नुकसान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में २ डकैतियां दिनांक २२/२३ जनवरी, व २९/३० जनवरी, सन् १९६० को पड़ीं जिनमें क्रमशः ७६६ रु० व १,५३४ रु० का माल लूटा गया।

*८७---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त प्रत्येक डकैती में कितने मनुष्यों की जानें गयीं ? उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पहली डकैती में २ व्यक्ति मारे गये और दूसरी में किसी की जान नहीं गयी। दोनों मामलों में जांच की जा रही है और अब तक केवल पहली डकैती में ५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये जा चुके हैं।

---

†छापी नहीं गयी।

निर्बल तथा पैतृक रोग-पीड़ित व्यक्तियों में परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने का सुझाव तथा लखनऊ में कुत्तों के काटने से मृत्युएं

*८८---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार इस बात का विचार करेगी कि पैतृक रोग से पीड़ित निर्बल तथा अविकसित व्यक्तियों में परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया जाय? क्या कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रजनन से रहित करने के लिए कुछ उपायों पर वह विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न तो अवश्य विचारणीय है किन्तु अभी इस पर विचार करना असामयिक होगा क्योंकि परिवार नियोजन की योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, अतः इस योजना के जनप्रिय होने के पश्चात् ही ऐसे प्रश्नों पर विचार करना उपयुक्त होगा।

कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रजनन से रहित करने के लिए अभी कोई उपाय शासन के विचाराधीन नहीं है।

*८९---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या न्याय मन्त्री को यह विदित है कि लखनऊ में बाजारों में कुत्तों के काटने की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं? क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत वर्ष लखनऊ में कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। १९५९ में लखनऊ शहर में कुल ८७४ रोगी कुत्ते के काटने से पीड़ित अपने उपचार के लिए चिकित्सालयों में आये। जिन रोगियों की मृत्यु कुत्ते के काटने से शहर में १९५९ में हुई उनकी संख्या ६ है।

गांधी ग्राम औषधालय का स्थानान्तरण

*९०---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद (बस्ती) के गांधीग्राम (टोला पैलीखास) में कोई राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल खोला गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

*९१---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि इस गांव के आस-पास ५ मील के घेरे में किसी किस्म का कोई अस्पताल नहीं है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गांधी ग्राम से चार मील की दूरी पर मुन्डेरवा ग्राम में एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित है।

*९२---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांव से अस्पताल क्यों हटाया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गांधी ग्राम में औषधालय तथा उससे सम्बन्धित कर्मचारियों के निमित्त उचित भवन न उपलब्ध होने के कारण उक्त औषधालय को मुन्डेरवा ग्राम में स्थानान्तरित कर दिया गया।

सरदहा ग्राम में होमियोपैथिक औषधालय खोलने की प्रार्थना

*९३---श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में कितने राजकीय होमियोपैथिक औषधालय कहां-कहां चल रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बाराबंकी जिले में एक भी राजकीय होमियोपैथिक औषधालय नहीं है।

*९४--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--क्या सरकार सरदहा परगना बदोसराय में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय अथवा होमियोपैथिक औषधालय खोलने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय होमियोपैथिक औषधालय खोलने की कोई योजना नहीं है। अतः ग्राम सरदहा में राजकीय होमियोपैथिक औषधालय खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यदि भविष्य में प्राप्त होगा तो उस पर सरकार विचार करेगी।

सूचना विभाग की "प्रोग्रेस" पत्रिका के प्रकाशन पर व्यय

*९५--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पब्लिकेशन ब्रांच से "प्रोग्रेस" नाम की कोई पत्रिका निकलती है? यदि हां, तो कब से और अब तक उसके कितने अंक प्रकाशित हो चुके हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--"प्रोग्रेस" नाम का एक प्रकाशन सन् १९५९ में किया गया था।

*९६---श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पत्रिका कितनी संख्या में और कब-कब प्रकाशित होती है और कहां छपती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रकाशन की २५,००० प्रतियां टाइम्स आफ इन्डिया प्रेस, बम्बई से एक बार छपवाई गयी थीं।

*९७---श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस पत्रिका के प्रत्येक अंक के प्रकाशन में कितना व्यय होता है और कितनी आय होती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रकाशन के मुद्रण पर कुल ४६,०८२ रु० ५२ नये पैसे व्यय हुआ और फरवरी, १९६० तक ८,८१० रुपये की आय हुई।

ट्रेजरी एवं कलेक्टरेट के क्लर्कों का वेतन

*९८---श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय ट्रेजरी एवं कलेक्ट्रेट के क्लर्कों को इनीशियल पे क्या है और इसके पूर्व कब वह क्रमशः ४५ और २५ रु० मासिक थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस समय ट्रेजरी एवं कलेक्टरेट के क्लर्कों का आरम्भिक वेतन ६० रु० मासिक है। इसके पूर्व ट्रेजरी के क्लर्कों का मासिक वेतन ४५ रु० १५ जनवरी, १९२१ से ३ जुलाई, १९३१ तक रहा। कलेक्ट्रेट के क्लर्कों का आरम्भिक वेतन २५ रु० ४ जुलाई, १९३१ से ३१ मार्च, १९४५ तक था, किन्तु फार्म कीपर को १५ जनवरी, १९२१ से ३१ मार्च, १९४५ तक २५ रु० मिलता था।

चोरियों के सम्बन्ध में रायबरेली से आवेदन-पत्र

*९९--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) तथा श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या २०-२-६० को राय बरेली के नागरिकों की ओर से कोई रिप्रेजेन्टेशन वहां की बढ़ती हुई चोरियों और पुलिस की उन चोरियों के सम्बन्ध में आया है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। इस सम्बन्ध में एक पत्र २०--२--६० को प्राप्त हुआ था। इस पर जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गयी जो सरकार के विचाराधीन है।

*१००--श्री गुप्तारसिंह--[१४ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

डलमऊ तहसील कार्यालय का स्थानान्तरण न होना

*१०१--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील डलमऊ की तहसीलदारी का कार्यालय लालगंज में स्थित करने को वह सोच रही है? अगर हां, तो कब तक?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

बंशी बाजार की ट्रक-दुर्घटना

*१०२-श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बलिया जिले के अन्तर्गत बंशी बाजार में फरवरी, १९६० में कोई ट्रक दुर्घटना हुई है? यदि हां, तो उसमें कितने आदमियों की मृत्यु हुई है, कितने घायल हुये हैं तथा उस ट्रक पर कुल कितने आदमी थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, ऐसी दुर्घटना ६-२-६० को हुई। ट्रक में कुल ७ आदमी थे जिसमें से केवल दो के चोटें आयीं और उनमें से एक की मृत्यु हो गयी।

*१०३--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ट्रक-दुर्घटना होने का कारण क्या था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ट्रक ड्राइवर के घटनास्थल के पास झपकी लग जाने से दुर्घटना हुई।

लखनऊ में कलेक्शन अमीनों की नियुक्तियां

*१०४--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में इसी फरवरी, १९६० में सीजनल कलेक्शन अमीनों की नियुक्तियां हुई हैं? यदि हां, तो कितनी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, ४५ सीजनल अमीनों की नियुक्तियां हुई हैं।

*१०५--श्री रामशरण यादव--उक्त पद के लिये अलग-अलग कितने हरिजन व पिछड़े वर्गों के उम्मेदवार थे और कितने-कितने नियुक्त किये गये थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रार्थियों ने प्रार्थना-पत्र पर जाति का विवरण नहीं लिखा था जिसके कारण हरिजन व पिछड़े वर्गों के उम्मेदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है। साक्षात्कार के समय ५ पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार योग्य प्रतीत हुए जिनकी नियुक्ति की गई।

फर्रुखाबाद जिले में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में परिगणित तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार

*१०६--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती फर्रुखाबाद जिले में सन् १९५९ में हुई? यदि हां, तो उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के उम्मेदवार लिये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५९ में पुलिस कान्स्टेबिलों की भर्ती की गई थी। उनमें से २ परिगणित जाति के तथा ६ पिछड़ी जाति के लिये गये।

*१०७--श्री बाबूराम (जिला बरेली)--[८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

रौनापार थाने में विभिन्न अपराध

*१०८--श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)--आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने में दिसम्बर, ५९, जनवरी, ६० में तथा १ से लेकर १५ फरवरी, १९६० तक कितनी डकैतियां पड़ीं, कितने कत्ल हुये और कितनी चोरियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दिसम्बर, १९५९ में एक कत्ल जनवरी तथा जनवरी, १९६० में एक कत्ल तथा दो चोरियों की घटनाएं हुईं। १ फरवरी से १५ फरवरी, १९६० तक डकैती, चोरी तथा कत्ल की कोई घटना नहीं हुई।

*१०९--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

इन्टर कालेजों के आर्ट्स टीचरों का वेतन

*११०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह प्रदेश के इंटर कालेजेज के आर्ट्स टीचरों का वेतन अन्य विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों के नये ग्रेड के समान करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*१११--श्री टीकाराम पुजारी (जिला बदायूं)--[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*११२-११३--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--[४ मार्च, १९६० को प्रश्न १६-१७ के अन्तर्गत इन प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं।]

अलीगढ़ बस स्टेशन के निकट चाकू भोंकने की घटना

*११४--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ बस स्टेशन के कम्पाउन्ड के अन्दर दिनांक १२ फरवरी, १९६० को किसी व्यक्ति का चाकू से पेट फाड़ दिया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में कुछ देर बाद हो गई ? क्या सरकार इस घटना का पूर्ण विवरण सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ? इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह घटना बस स्टेशन के कम्पाउन्ड में नहीं बल्कि पास ही में रूबी सिनेमा के सामने हुई। इस घटना का विवरण संलग्न नोट में दिया हुआ है। अभी तक ४ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०३८ पर)

गोरखपुर में मेडिकल कालेज की आवश्यकता

*११५--श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेज कहां-कहां पर खोलने का विचार सरकार रखती है और अब तक किन-किन स्थानों के सम्बन्ध में विचार किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा अभी निश्चित नहीं हुई है और अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उस योजना काल में कोई नया मेडिकल कालेज खोला जायगा या नहीं।

*११६—श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या गोरखपुर में भी मेडिकल कालेज खोलने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता ।

शाहपुर के श्री अली जान का कत्ल

*११७—श्री हरदयालसिंह—क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि श्री अलीजान, निवासी शाहपुर, थाना जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर का २३-२४ फरवरी, १९६० को फरीदापुर के निकट थाना परौर में कत्ल हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । २३-२४ फरवरी, १९६० की रात को यह घटना हुई थी ।

*११८—श्री हरदयालसिंह—क्या उक्त घटना के पश्चात् थानेदार, परौर घटना-स्थल तथा मृतक के घर पर जांच के हेतु पहुंचे और मृतक की मां ने कातिलों के नामजद नाम रक्खे हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त कथित अपराधियों में कितनों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, थानेदार परौर घटनास्थल तथा मृतक के घर पर जांच के लिए गए थे । मृतक की मां ने थानेदार को हत्यारों के नाम नहीं बताए थे बल्कि उन लोगों के नाम बताए थे जिनके साथ मृतक रात को गया था । इन लोगों की खोज हो रही है ।

पट्टी तहसील में दी गयी सुविधायें

*११९—हरकेश बहादुर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पट्टी तहसील को सूखाग्रस्त क्षेत्र १९५९-६० में घोषित किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या सुविधायें वहां की जनता को दी गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । सूखे के कारण पट्टी तहसील में पिछली खरीफ की फसल को हानि अवश्य पहुंची है किन्तु वह सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था । वहां की जनता को जो सुविधायें दी गई हैं वे इस प्रकार हैं:—

(क) जिन ग्रामों में क्षति की मात्रा रुपये में ५० नये पैसे या उसके अधिक थी उनमें मालगुजारी में २,९८,७२४ रु० ६९ नये पैसे की छूट देने का प्रस्ताव है और इस मालगुजारी की वसूली फिलहाल निलम्बित है ।

(ख) ६२,३०४ रु० की धनराशि तकावी के रूप में बांटी गई ।

(ग) १३ सस्ते गल्ले की दूकानें चालू रखी गईं ।

मौजूदा रबी की फसल को सूखे से कोई हानि नहीं पहुंची है ।

फर्रुखाबाद जिले में धान का सूख जाना

*१२०—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत खरीफ की फसल में जिला फर्रुखाबाद के परगना तिर्वा सकतपुर, सकरावा सौरिख में कितने एकड़ धान लगाया गया ? उसमें कितना एकड़ धान सूख गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन परगनों में कुल २७,४५१ एकड़ धान लगाया गया जिसमें २,५५५ एकड़ सूख गया ।

पसगवां की कथित प्राइमरी हेल्थ यूनिट

*१२१—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी के ग्राम पसगवां में कोई प्राइमरी हेल्थ यूनिट (अस्पताल) खोला गया है ? यदि हां, तो वहां दवाइयां तथा डाक्टर अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

विश्वेश्वरनाथ इन्टर कालेज, अकबरपुर से हटाये गये अध्यापकों का आवेदन-पत्र

*१२२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विश्वेश्वरनाथ इंटर मेडिकल कालेज, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कुछ पुराने अध्यापक इस वर्ष छटनी में निकाले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, विद्यालय की आर्थिक दशा असंतोषजनक होने के कारण ३ सेक्शनों को तोड़ने का निश्चय किया गया। अतः ४ अध्यापकों को हटाया गया।

*१२३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निकाले हुये मास्टरों ने २४ अगस्त, १९५९ को सरकार के पास कोई रिप्रेजेन्टेशन भेजा है ? यदि हां, तो उस रिप्रेजेन्टेशन की मुख्य बातें क्या-क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यापकों का रिप्रेजेन्टेशन २०-७-५९ तथा २८-७-५९ को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी पुर्नानियुक्ति के लिये प्रार्थना की। मामले में उक्त अध्यापकों द्वारा रीजनल अपीलेट कमेटी में अपील कर दी गई है।

बुलन्दशहर जिले के एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत

*१२४—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसे दिसम्बर, १९५९ में प्रश्न कर्त्ता द्वारा ऐसी शिकायत मिली है कि चकबन्दी आफिसर श्री एन० एन० सिंह, जिला बुलन्दशहर से किसी विधान सभा के सदस्य ने किसी मुकदमें के बारे में सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत सरकार को नहीं मिली।

*१२५—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री को दिसम्बर, १९५९ के अन्तिम सप्ताह में शिकायत प्राप्त हुई कि जिला बुलन्दशहर के एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट कांग्रेस प्रतिनिधि चुनाव के समय किसी उम्मीदवार को गाड़ी से किसी कार्यकर्त्ता को बलपूर्वक उठा कर ले गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। इस विषय में पूछताछ की जा रही है।

ललितपुर सब-डिवीजन में आदर्श हरिजन बस्तियां तथा डाकू सूरतसिंह सलीता का मारा जाना

*१२६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि ललितपुर सब-डिवीजन में हरिजन आदर्श बस्तियां बनायी जायं ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

१—ग्राम तालबेहट, तहसील ललितपुर,

२—ग्राम नरहाट, तहसील महरौनी,

३—ग्राम मऊभाखी, तहसील ललितपुर।

*१२७—**श्री गज्जूराम**—क्या यह सही है कि कुख्यात डाकू सूरतसिंह सलीता १३ जनवरी, सन् १९६० को डाकू सूरजसिंह, निवासी जहाजपुर ललितपुर, झांसी के द्वारा मारा गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डाकू सूरत सिंह सलीता का शव १४-१-६० को प्रातःकाल बरामद हुआ। इस संबंध में मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई है और विचाराधीन है।

*१२८—**श्री गज्जूराम**—क्या यह सही है कि सूरजसिंह डाकू उसी के गिरोह का एक सदस्य था और १५ जनवरी को उसने जिलाधीश झांसी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और बयानात दिये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। सूरजसिंह ने १७-१-६० को जिलाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण किया और बयानात दिये।

*१२९—**श्री गज्जूराम**—यदि हां, तो वे बयानात क्या हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—क्योंकि सूरजसिंह के बयान के पश्चात् पुलिस को अतिरिक्त तहकीकात अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी करनी होगी, इस अवस्था में सूरजसिंह के बयान को सदन में बतलाना उचित न होगा। यदि प्रश्नकर्त्ता महोदय या अन्य कोई माननीय सदस्य उक्त बयान को देखना चाहें तो माननीय अध्यक्ष के कार्यालय या मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न

१-३—**श्री रामदीन**—[८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष—चेम्बर में आकर कहियेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९५७-५८ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५९ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९५७-५८ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९५९ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने निवेदन किया कि चेम्बर में आकर कहियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—चेम्बर में कोई नहीं सुन पायेगा, हाउस में सभी सुन पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप स्थान ग्रहण करें।

---

† छापा नहीं गया।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति—उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति, का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जो प्रतिवेदन आपके सामने प्रस्तुत है उसमें २३६ आश्वासन हैं जो पिछले साल दिये गये थे। हम सरकार के तथा मुख्य मंत्री के आभारी हैं कि पिछले साल जो प्रतिवेदन पेश किया गया था उसके बाद सरकार ने अवश्य इस तरफ कुछ ध्यान दिया है। मगर जब हम समय देखते हैं तो लगभग दो वर्ष के हो रहे हैं और इस बीच में दो-तिहाई आश्वासनों की पूर्ति हो चुकी है और एक-तिहाई बाकी हैं। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा-सा ध्यान और दिया जायगा जिससे, जिस उद्देश्य से इस सदन ने यह आश्वासन समिति की स्थापना की है, उसकी पूर्ति होती रहेगी। इसमें विशेष कहना यह है कि एक तालिका हम लोगों ने दे दी है और आखिर में विभागवार इसमें वह दी हुई है कि कितने आश्वासन किस विभाग के पूरे हुये हैं और किस विभाग के पूरे नहीं हुये हैं। अगर मंत्रिगण जो यहां बैठे हुये हैं वे उसका अवलोकन करेंगे तो इस समिति का ज्यादा उपकार हो जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—मैं आपकी आज्ञा से, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०३९–१०५७ पर)

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि वह सदन की मेज पर है लेकिन उसकी कापियां प्रेस से आई नहीं हैं। आने पर बंटवा दी जायंगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी को सदन से बाहर जाने का निदेश

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कार्यक्रम ले रहा हूं। आप कृपया बैठें। मैं यह प्रथा नहीं डालना चाहता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप या तो मेरी बात सुन लें या मुझे सदन से बाहर निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ३ प्रश्न आये हैं....

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे आप आज्ञा दें कि मैं सदन के बाहर जाऊं। यह तो मेरे प्रति अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो उन्होंने यह चेयर के लिये कहा है "अन्याय किया है", इसे आप वापस लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं वापस नहीं लूंगा। आपने मुझे एलाऊ नहीं किया, मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपने कहा है कि "अन्याय किया है" चेयर के लिये, इसे आप वापस लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं वापस नहीं लूंगा। आपने मुझे एलाऊ नहीं किया है, इससे मुझे ठेस लग रही है।

---

†छापा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष—बार बार पूछने पर भी माननीय सदस्य उन शब्दों को वापस नहीं ले रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं ऐसे वापस नहीं ले सकता, आप कहें तो मैं सदन को छोड़कर चला जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री मोतीलाल अवस्थी के बोलते रहने पर) तो आप कृपया सदन को छोड़कर बाहर चले जायं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—हां, मैं जाऊंगा आपकी आज्ञा से, लेकिन यह अन्याय करते हैं आप, मैं फिर कहूंगा ।

(श्री मोतीलाल अवस्थी सदन के बाहर चले गये ।)

सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के ४०० मजदूरों की छटनी के कारण श्री रमापति दुबे द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास माननीय झारखंडेराय का नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न आया है, जो इस प्रकार है :—

"सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के मेकेनिकल डिवीजन के ४०० मजदूर काम से निकाल दिये गये हैं । इस विषय में मजदूरों के अनेक विशिष्ट मंडल अधिकारियों से मिल चुके हैं । भूत-पूर्व सिंचाई मंत्री, श्री चरणसिंह से श्री झारखंडे राय के साथ एक शिष्ट मंडल महीनों पहले मिला था । २४ जनवरी, १९५९ को उत्तर प्रदेश बांध विभाग मजदूर यूनियन के उपसभापति श्री रमापति दुबे ने मिर्जापुर में भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी । प्रत्येक अवसर पर यही आश्वासन मिला कि 'मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है' । इन्तजार करते १० माह से ज्यादा हो गये ।

अन्त में विवश हो कर श्री दुबे ने गत १८ मार्च से विधान भवन के सामने अनशन प्रारम्भ कर दिया है । आज उनका ८ वां दिन है । उनकी दशा चिन्ताजनक हो रही है ।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।"

मैं माननीय सिंचाई मंत्री से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)—उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझको थोड़ी देर पहले नोटिस मिली है । उनकी भूख-हड़ताल का मुझको दुःख जरूर है, लेकिन इसकी पूरी इत्तला मेरे पास इस वक्त नहीं है । अगर मुझको अवकाश मिले तो मैं इस विषय में कह सकूंगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—कल से असेम्बली बन्द हो रही है । मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न, जो लखनऊ में २५ साल से बने हुये १०० से ऊपर घर गिराये जा रहे हैं इस सम्बन्ध में, आपको दिया था. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—उसके बारे में आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दें, उस पर विचार करूंगा ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मेरे प्रश्न का कुछ निर्णय अभी तक नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—उनके पास सूचना इस वक्त नहीं है और आज विधान सभा का आखिरी दिन है । ऐसी स्थिति में माननीय निर्माण मंत्री शाम तक प्रयत्न करने के बाद अगर सूचना लाकर दे सकें तो मैं उनको मौका दे सकता हूं, चूंकि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

श्री गिरधारीलाल—मैं कोशिश करूंगा लेकिन अगर आज सूचना न आ सकी तो ३१ या पहली तारीख तक अगर आप मुझे मौका दें तो मैं बतला दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—वह ठीक है, लेकिन कोशिश करियेगा, अगर आज हो सके तो अच्छा है ।

तात्कालिक प्रश्नों को लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यदि सदन में तात्कालिक प्रश्नों के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य को कुछ आपसे विनम्र निवेदन करना हो तो इस सदन की यह भी प्रथा रही है कि उनके निवेदन को सुन लिया जाता है । जैसे कल देखा जाय माननीय श्रद्धादेवी के प्रश्नों के. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप क्या चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—मैं चाहता यह था कि यदि हर प्रश्न पर आपकी यह व्यवस्था होगी कि हमारे चेम्बर में ही बातचीत कीजिये तो मैं समझता हूं कि सदन में जो हमारे अधिकार हैं उनका समुचित रूप से हम प्रयोग नहीं कर पायेंगे । ऐसी अवस्था में सदन के एक सम्मानित सदस्य को आपने आज सदन से बाहर जाने को भी आज्ञा दी । वह आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके चले गये । ठीक ही किया । हम भी अपना कुछ कर्त्तव्य समझते हैं. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया स्थान ग्रहण करें, मैं समझ गया । यह मैंने बार बार आपको बता दिया है कि अध्यक्ष के किसी काम से अगर किसी माननीय सदस्य को तकलीफ होती है और बार बार उसकी समझ में यही आता है कि अध्यक्ष उसके साथ अन्याय ही कर रहे हैं तो केवल एक सब्स्टेंसिव मोशन लाने का तरीका है, उसके अलावा कोई माननीय सदस्य अगर चेयर की कार्य-प्रणाली पर रनिंग कमेंटरी पेश करना शुरू कर दें तो, जिस तरह से राजनारायणजी को अधिकार है उसी तरह से इस सदन के ४३० माननीय सदस्यों को अधिकार है और अगर सारे मेम्बर्स इस तरह चेयर की कार्यप्रणाली पर एक लम्बी टीका-टिप्पणी शुरू कर दें तो फिर विधान सभा की क्या हालत होगी ? अब रह गई चेयर की बात । तो चेयर पर जो व्यक्ति भी बैठता है वह अपनी बुद्धि के मुताबिक कार्य करता है । प्रश्नों के बारे में आपने कहा कि यह परम्परा रही है । मैं सप्लीमेंटरीज के बारे में भी नयी व्यवस्था कर रहा हूं ताकि काफी प्रश्न लिये जायं । माननीय मोतीलाल अवस्थी को ३–४ सप्लीमेंटरी करने का मैंने मौका दिया । माननीय गृह मंत्री ने कहा कि फिर से जो जो माननीय सदस्य करना चाहते हैं वे मुझे लिख कर दें । यों तो बोर्ड स्वतंत्र संस्था है परन्तु सूचना मिलने पर वे देखेंगे । इसके बाद मैंने पूरक प्रश्नों का माननीय सदस्य को अवसर नहीं दिया । माननीय गृह मंत्री के इस आश्वासन पर भी माननीय सदस्य को अगर संतोष न हो तब भी उनको चेयर का निर्णय मान ही लेना चाहिये ।

जहां तक प्रश्नों के बारे में जो एक विवाद की प्रथा यहां रही है, मैं समझता हूं कि यह और माननीय सदस्यों के हित में नहीं है । इससे सदन का काफी समय लग जाता है । माननीय सदस्यों से निवेदन है कि प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझसे चेम्बर में बात कर लें या लिख कर भेज दिया करें; क्योंकि अगर माननीय राजनारायण जी को वक्त दिया जाय और यह प्रथा चल जाय तो ४३१ सदस्य इच्छा जाहिर कर सकते हैं । इसलिये चेम्बर में ही बात कर ली जाय तो अच्छा है । अगर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सदन में भी मैं मौका दे देता हूं । लेकिन सदन का डिकोरम, डिसेन्सी और जो कार्य होता है उसका समुचित रूप से निर्वाह हो सके, उसके लिये मैंने व्यवस्था बनाई है । आप खयाल कीजिये कि चेम्बर में अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं देखूंगा ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसलिये मैंने निवेदन किया था और आपने स्पष्ट कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय आप बिना बुलाये बोलने लगे । यह तय हो गया है कि जब तक मैं नाम न लूं आप न बोलें ।

श्री राजनारायण——इसी तरह से सदन के बहुत से सदस्य बोलते हैं और आप एलाऊ कर देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष——सदन की मर्यादा की सुरक्षा के लिये अच्छा हो कि आप कृपया बैठें ।

श्री राजनारायण——श्रीमन् इसी के लिये हम ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष——आप सहर्ष कर सकते हैं, मैं क्या कहूं ?

(समाजवादी दल के लोग सदन से बाहर चले गये ।)

इण्टरमीडियेट बोर्ड के इम्तहान के कारण मुसलमान परीक्षार्थियों को जुमा की नमाज से वंचित करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत शिक्षा उपमन्त्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष——मैंने श्री अब्दुल रऊफ लारी के प्रश्न के संबंध में माननीय गृह मंत्री से कहा था कि वह वक्तव्य देंगे । कृपया वह अपना वक्तव्य दें ।

शिक्षा उपमन्त्री (श्री दीन दयालु शास्त्री)——श्रीमन्, श्री अब्दुलरऊफ लारी जी ने जो सवाल उठाया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि इंटरमीडियेट की परीक्षा का कार्यक्रम जनवरी में बना था और वह १६ जनवरी को गजट में प्रकाशित किया गया था । इसके बाद अखबारों में प्रकाशित किया गया । कहीं से कोई एतराज नहीं आया और किसी भी माननीय सदस्य ने माननीय लारी जी से पहले एतराज नहीं किया, तो हमने समझा कि कार्यक्रम ठीक है । लेकिन उन्होंने एतराज किया तो इंटरमीडियेट बोर्ड को हिदायत की गई है कि एक और ८ अप्रैल के स्थान पर और कोई तारीख रख दें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)——श्रीमन्, क्या इस सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष——मैं निवेदन करूंगा कि सदस्य की समस्या हल हो गई है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट——क्या सरकार को मालूम है कि जब पाकिस्तान से चौधरी खलीकुज्जमा आये तो उस समय से यह ऐजीटेशन आरम्भ हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष——यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष——अब सदन के आगे का क्या कार्यक्रम होगा, इसके सन्बन्ध में मैं प्रयत्न कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि अभी तक कार्यक्रम नहीं आया था । अपने-अपने प्रिजन होल से माननीय सदस्य ले लें और ३१ मार्च को नान-आफिशियल डे होगा और पहले से स्वीकृत प्रस्ताव ले लिये गये हैं, जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को दे दी गई है ।

विकास तथा नियोजन स्थायी समिति, लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष——विकास तथा नियोजन स्थायी समिति के लिये निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुए :——

१——स्वामी विश्वेश्वरानन्द
२——श्री शंकर लाल
३——श्री चिरंजीलाल जाटव
४——श्री प्रतापसिंह
५——श्री हिम्मत सिंह
६——श्री उग्रसेन
७——श्री शीतलाप्रसादसिंह
८——श्री विजयशंकरसिंह
९——श्री वशिष्ठनारायण शर्मा
१०——श्री अहमद बख्श
११——श्री सुरेशप्रकाश सिंह
१२——श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी
१३——श्री चन्द्रिका प्रसाद
१४——श्री रामलखन (वाराणसी)
१५——कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री
१६——श्री मोहनसिंह मेहता

श्री उपाध्यक्ष---लोक लेखा समिति के लिये निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुए :---

१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल
२---आचार्य दीपंकर
३---श्री झारखंडेराय
४---श्री नारायणदत्त तिवारी
५---श्री गौरीशंकरराय
६---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे
७---श्री छत्तरसिंह
८---श्री मंगलाप्रसाद
९---श्री चरणसिंह
१०---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी
११---श्री इरतजा हुसैन
१२---श्रीमती चन्द्रावती
१३---श्री वीरसेन
१४---श्री राममूर्ति
१५---श्री उदयशंकर दुबे
१६---श्री लालबहादुर (वाराणसी)
१७---श्री नेकराम शर्मा
१८---श्री महेशसिंह
१९---श्री लक्ष्मणराव कदम
२०---श्री रामहेतसिंह
२१---श्री रघुनाथ सहाय

श्री उपाध्यक्ष---प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुए हैं---

१---राजा वीरेन्द्र शाह
२---श्री मदन पांडेय
३---श्री चन्द्रजीत यादव
४---श्री मोतीलाल अवस्थी
५---श्री मलिखानसिंह
६---श्री रामायणराय
७---श्री बिहारीलाल
८---श्री जगवीरसिंह
९---श्रीमती विद्यावती बाजपेई
१०---श्री शिवप्रसाद
११---श्री रामचन्द्र विकल
१२---श्री नवलकिशोर
१३---श्री जगदीशशरण अग्रवाल
१४---श्री बिशम्बरसिंह
१५---श्री ब्रजगोपाल सक्सेना
१६---श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
१७---श्री चन्द्रहास मिश्र
१८---श्री देवकीनन्दन विभव
१९---श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट
२०---श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव
२१---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय
२२---श्री परमानन्द सिनहा
२३---श्री हरिश्चन्द्रसिंह
२४---श्री कैलाशप्रकाश
२५---श्री मुजफ्फर हसन

२६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न ४४-४६ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में गृह उपमन्त्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष---अब श्री भजनलाल द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ।

गृह उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---विधान सभा की, तीसरे शुक्रवार (दिनांक २६-२-६०) को हुई, बैठक में श्री भजनलाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया था कि इटावा जिले में प्रश्न संख्या ४४ में निर्दिष्ट जरायमों में कोई जन क्षति नहीं हुई । इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय द्वारा अनुपूरक प्रश्नों में यह संकेत किये जाने पर कि बड़पुरा ग्राम कीरत सिंह का नगला में हुई एक डकैती में एक परिवार के सात आदमी मारे गये, अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया था कि मैं इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करके स्टेटमेंट दूं । घटना के सम्बन्ध में मैंने जिलाधीश से रिपोर्ट मंगा ली है । उसके अनुसार घटना इस प्रकार है---

ग्राम कीरत सिंह का नगला, थाना बड़पुरा, जिला इटावा में १२-११-५९ को एक नृशंस हत्याकांड हुआ जिसमें सात व्यक्ति (६ पुरुष तथा १ स्त्री) निर्दयतापूर्वक मार डाले गये तथा ४ घायल हुए। जांच से पता चला कि उक्त गांव में दो दल थे। और दोनों दलों में शत्रुता थी और वे एक दूसरे की जान के गाहक थे । एक दल ने दूसरे दल के लोगों को मारने का षड़यंत्र

रथा और उसके लिये मध्य प्रदेश से ५ बदमाशों को बुलाया। इन्हीं ५ बदमाश व्यक्तियों की सहायता से यह हत्याकांड हुआ। ५ बदमाशों में से ४ भाग गये और एक घटनास्थल पर मारा गया। भागे हुए व्यक्तियों में से दो को चोटें आयीं। इस सम्बन्ध में एक मुकदमा भा० दं० वि० की धारा १४८/१४९/३०२/३०७ ४५० १२० आई० पी० सी० के अंतर्गत थाने में दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा जांच की गयी। मामला इस समय श्री वी० एन० गुप्त, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है।

२---उपर्युक्त घटना कत्ल की थी, डकैती की नहीं। इसलिए सदस्य महोदय के प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देते समय यह कहा गया था कि प्रश्न संख्या ४४ निर्दिष्ट जरायमों में कोई जनक्षति नहीं हुई। सदस्य महोदय ने कत्ल तथा बलवों में हुई जन क्षति की सूचना प्रश्न में नहीं मांगी थी। इसलिये यह सात हत्यायें उत्तर में सम्मिलित नहीं की गयीं।

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक २७---न्याय प्रशासन

श्री उपाध्यक्ष---अब हमारे सामने जो अनुदान हैं, मैं सदन को सुझाव देना चाहता हूं कि आज एप्रोप्रिएशन बिल पर भी विचार करना है, अगर इन अनुदानों में एक अनुदान सेलेक्ट कर लें और बाकी अनुदान न लें तो दो ढाई घण्टे उस पर बहस हो जाय और पांच बजे तक एप्रोप्रिएशन बिल भी पास हो जाय। मैं आप लोगों के इसमें सुझाव चाहूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---यह निश्चित हुआ था कि तीनों अनुदानों के लिये समय निकाला जायगा। मैं समझता हूं कि एक अनुदान पर विचार शुरू कर दिया जाय। इस बीच में परामर्श कर लें क्योंकि अकस्मात् इस प्रकार का प्रस्ताव आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेंन)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६---न्याय प्रशासन–लेखा शीर्षक २७–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,५२,६४,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

समय कम है लिहाजा मैं कुछ न कहकर खामोश हो जाऊंगा जब हमारे मित्र कुछ कहेंगे तो उनको सुनने के बाद, अगर जरूरत होगी तो कुछ अर्ज करूंगा।

श्री यमुना प्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री महोदय ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उस सम्पूर्ण अनुदान में, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं---

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग न किया जाना, न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार तथा मुकदमों के फैसलों में देर तथा सस्ती न्याय-व्यवस्था न किये जाने की नीति पर चर्चा करना।

मान्यवर, यह जो पुस्तिका "उत्तर प्रदेश आंकड़ों के द्वारा सिंहावलोकन" हम लोगों में वितरित की गई है उसके पेज ७९ पर उन मुकदमों की संख्या दी गई है जिनका अभी तक निर्णय नहीं हुआ। इस संख्या के अन्तर्गत यह नहीं बतलाया गया है कि हाई कोर्ट में अभी तक कितने मुकदमे पेंडिंग हैं और उनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। पार साल वित्त मंत्री महोदय ने कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल पेश करते समय यह बतलाया था कि

[श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल]

उच्च न्यायालय में इस समय ४५ हजार मुकदमें पेंडिंग हैं। अभी यदि मंत्री महोदय इस पर कोई वक्तव्य देते तो पता चलता कि इस समय क्या संख्या है, आया वह संख्या बढ़ी है या कम हुई है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यदि देखा जाय तो हाई कोर्ट में दस दस, बारह बारह साल के मुकदमे फैसले के लिए पड़े हुए हैं और इतना बकाया है कि अगर उसको साफ कराया जाय तो जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ वहां है उस स्ट्रेंथ से दस साल में मुश्किल से उनको साफ कर सकेंगे।

किसी भी देश में न्याय के कारण सुव्यवस्था होती है और लोगों के हृदय में शान्ति की स्थापना होती है और न्याय न मिलने पर लोगों में एक अशान्ति की भावना उत्पन्न होती है। यह भी हम देखें तो अंग्रेजों के काल के पहले हिन्दू राज्य में और मुगल राज्य में हम लोगों को न्याय के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता था। न्याय हमेशा निःशुल्क रहा, कोई फीस उसके लिए नहीं देनी पड़ती थी। इसका कारण यह था कि न्याय का दरवाजा खटखटाने के लिए वही व्यक्ति जाता है जो असहाय होता है, निर्बल होता है और जिस पर कि अत्याचार किया जाता है। इसलिये निर्बल और सताये हुए व्यक्ति से कोई भी शुल्क लेना अनुचित है। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट फीस ऐक्ट का निर्माण किया और जिसके विरोध में लार्ड मैकाले ने बहुत कुछ लिखा है। लार्ड मैकाले का यह कथन था कि जैसे शासन के जिम्मे यह उत्तरदायित्व है कि वह पुलिस का प्रबन्ध करे, वह चिकित्सा का प्रबन्ध करे और जिन लोगों के यहां कोई बीमारी हो या जिन लोगों को चोर डाकू परेशान किये हों, उनकी रक्षा करे और उनसे कोई शुल्क न ले, उसी तरह से यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिनके ऊपर अत्याचार किया जाय, उनको न्याय मुफ्त में दिया जाय और उनसे कोई फीस न ली जाय।

अब कोर्ट फीस का कारण यह बताया जाता है कि यदि न्याय-शुल्क न लिया जाय तो लोग झूठे मुकदमे दूसरों को परेशान करने के लिए दायर कर दिया करेंगे। इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि यदि मुकदमा कोई झूठा हो और निर्णय के बाद न्यायालय को मालूम हो कि मुकदमा झूठा है तो झूठा मुकदमा दायर करने वाले पर भी किसी न किसी प्रकार का जुर्माना किया जा सकता है जैसे अपने यहां बहुत से ऐक्टों में यह प्राविजन है कि अगर मुकदमा बाद में फ्रिवलस साबित हो तो उसके ऊपर बाद में जुर्माना किया जा सकता है।

अब मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट में जिसकी जजों की संख्या इस समय २५ है—वैसे २४ परमानेंट और दो ऐडीशनल हैं, लेकिन २४ के बजाय २३ परमानेन्ट हैं और २ टैम्पोरेरी हैं। इन २५ जजों से यह बकाया कभी साफ नहीं हो सकता और दिन ब दिन बढ़ता जायगी। इसके लिये यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाये जायं और कुछ न कुछ ऐसी जगहों की संख्या बढ़ाई जाय जिससे बकाया साफ हो सके। यह हाल ऊपर ही नहीं है नीचे भी है। अभी मुन्सिफ कोर्ट में एक साल और डेढ़ साल के बकाया साफ हुए हैं, लेकिन पहले मुन्सफी में ५ साल तक मुकदमे पड़े रहते थे। हमारे मंत्री महोदय भी वकील हैं और अवध के वकील हैं। उनको भली-भांति मालूम है कि अपने अवध चीफ कोर्ट का कार्य इस विषय में भारतवर्ष में सब से अच्छा रहा है। वहां शुरू में यह मियाद थी कि ६ महीने से ज्यादा मुन्सफी में मुकदमे नहीं चलने चाहिये। अगर ६ महीने से अधिक मुकदमे चलते थे तो उसके लिये कोई कारण प्रिसाईडिंग आफिसर को लिखना पड़ता था। अब ऐसा हो गया है कि ३, ३ महीने तक तारीख लगाने के लिये प्रिसाईडिंग आफिसर को मौका नहीं मिलता।

इसी तरह से जुडिशियल आफिसर्स के यहां भी यही हालत हो गई है। मुकदमे काफी दिनों तक पड़े रहते हैं। अगर किसी एक आदमी के खेत पर किसी दूसरे आदमी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो २, ३ साल तक उसका कब्जा बना रहता है। लगान उसी व्यक्ति को देना पड़ता है जिसके नाम वह खेत है। वह नाजायज तरीके से उस खेत पर काबिज रहता है और इस तरह से नाजायज फायदा उठाया करता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि

जल्दी फैसला किया जाय। यदि जल्द फैसला हो जाय तो लोगों में जो यह मनोवृत्ति पैदा हो गई है कि दूसरे की सम्पत्ति को हड़प लें या उसकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लें, यह मनोवृत्ति समाप्त हो जायगी।

अब मैं कुछ सुझाव आदरणीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। उन में से एक तो यह है कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई जाय। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देते समय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इस समय हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेज की संख्या क्या है।

दूसरी बात इस विषय में यह है कि ला कमीशन की रिपोर्ट में यह दिया है कि नियुक्तियों में इतनी देर होती है जो अधिक है। यदि किसी हाई कोर्ट में जज का स्थान रिक्त होता है तो उसका स्थान काफी दिनों तक रिक्त पड़ा रहता है। उन्होंने इस विषय में फिगर्स दिये हैं। १८ दिसम्बर, सन् १९५० से लेकर मार्च, सन् १९५५ तक १४२ महीने स्थान रिक्त रहे। यदि हिसाब लगाया जाय तो १२ जजों के साल भर तक स्थान रिक्त रहे। पहले ब्रिटिश काल में यह था कि यदि कोई स्थान रिक्त होने वाला होता था तो उसके लिये पहले से ही जजों का सेलेक्शन हो जाता था। अब जब स्थान रिक्त हो जाता है तो उसके बाद कागजी कार्यवाही शुरू होती है। चीफ जस्टिस लिखते हैं, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर की सहमति प्राप्त की जाती है। उसका परिणाम यह होता है इतने दिनों तक स्थान रिक्त पड़ा रहता है। अगर इस तरह से स्थान इतने दिनों तक रिक्त न रहते तो शायद बकाया मुकदमों की इतनी संख्या न बढ़ती, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम और विभाग बढ़ा रहे हैं, पुलिस और हेल्थ के लिये अधिक रुपया व्यय कर रहे हैं उसी तरह यह विभाग भी ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट को एक करोड़ से अधिक फायदा होता है। यदि इस विभाग को एक व्यवसाय न बना कर, जो एक करोड़ इससे हमको मिलता है उसी को इसमें लगा दें तो मेरा विश्वास है कि यह बकाया जल्दी ही साफ हो जायगी।

तीसरी चीज यह है कि जिस समय सेकिंड अपील हाई कोर्ट में फाइल होती है उस समय उसमें आर्डर ४१ का रूल १२ का (ए) लागू किया जाय तो ऐडमीशन के वक्त ही बहुत सी अपील जो बिलकुल फ़ीवलस होती हैं, जो महज इस कारण से दायर की जाती हैं कि वह बहुत दिनों तक काबिज रहे, वह उसी समय समाप्त हो सकती हैं और हाई कोर्ट की काज लिस्ट बहुत हलकी हो सकती है। एक साल के फिगर्स दिये गये हैं इसमें। १९५४ में २,७१९ मुकदमे दायर किये गये जिसमें ७२१ तो रिऐडमिशन के वक्त समाप्त कर दिये गये और बकिया १९०० मुकदमें जो बचे उनमें बाद में निर्णय किया गया। ८३ परसेंट ऐसे केसेज थे जिनमें लोअर कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया गया और १२ फीसदी मुकदमे ऐसे थे कि जिनमें लोअर कोर्ट के फैसले को उल्टा गया। तो ऐसी हालत में अगर ऐडमिशन के वक्त किसी अनुभवी आदमी, किसी अनुभवी जज को यह काम सुपुर्द किया जाय और वह गम्भीरतापूर्वक उन पर विचार कर ले तो उसी समय बहुत से मुकदमे समाप्त हो सकते हैं और इस तरह से हाई कोर्ट की काज लिस्ट बहुत हल्की हो सकती है।

चौथी चीज यह है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति अक्सर दूसरे कार्यों के लिये हो जाया करती है। जब कभी ऐसा हो जाय तो उनके स्थान रिक्त न रखे जायं। जितने जज आदि हाई कोर्ट के किसी ट्रिब्यूनल आदि में लगाये जायं, उन के स्थान की पूर्ति के लिये कोई न कोई जज की नियुक्ति कर ली जाय पहले से ही ताकि काम का हर्ज न हो। जो मौजूदा मुकदमे हैं उनका फैसला करने के लिये जजों की तादाद काफी नहीं है और इसलिये एक पैनल बना लिया जाय, कुछ और जज नियुक्त कर लिये जायं जो काम कर के बकिया मुकदमों की सफाई कर दें। क्योंकि हमारे यहां न्याय सस्ता तो है ही नहीं, अगर वह समय से भी नहीं मिलता तो जैसा कहा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वह एक प्रकार से न्याय नहीं अन्याय हो जाता है।

[श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल]

पांचवीं बात श्रीमन्, सेपरेशन आफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की है। यह प्रथा सन् १९४९ में अपने यहां ८ जिलों में लागू की गयी थी और उसके बाद यह १२ जिलों में और बढ़ायी गयी। सेपरेशन आफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का मतलब अगर केवल यही हो कि किसी खास तरह के मुकदमे एक हाकिम के यहां जायं और दूसरी तरह के मुकदमे दूसरे हाकिम के यहां, तो यह कोई सेपरेशन नहीं है, यह तो सेपरेशन आफ जुरिस्डिक्शन है। जैसे एक मुंसिफ एक तहसील के मुकदमे करता है, दूसरा दूसरी तहसील के, यह उस तरह का सेपरेशन है और यह सेपरेशन आफ जुरिस्डिक्शन है, सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी नहीं। इसका मतलब तो यह है कि जितने जुडिशियल आफिसर्स हों वह हाई कोर्ट के अन्डर कर दिये जायं और उनका कमिश्नर महोदय से कोई वास्ता न हो। आज जो जुडिशियल आफिसर्स हैं, जहां सेपरेशन है वे ए० डी० एम० (जे०) के अधीन हैं; लेकिन बाद में वे कमिश्नर के अधीन हो जाते हैं किसी दूसरी जगह में। मध्य प्रदेश में जैसा सेपरेशन है उसी तरह का सेपरेशन यहां भी एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का होना चाहिये। जुडिशियल आफिसर्स का प्रमोशन, उनका ट्रान्सफर, उनके रिमार्क्स आदि जो भी हों वे सब हाई कोर्ट से होने चाहिये और कमिश्नर से उनका कोई वास्ता नहीं रहना चाहिये।

छठी बात मैं कोर्ट में करप्शन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यद्यपि आफिसर्स के अन्दर करप्शन बहुत कम है लेकिन फिर भी जितना भी है, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। अभी रायबरेली जिले में, हाल ही में, डिप्टी कलेक्टर महोदय ने ६ रुपये में दो दरख्त शीशम के खरीदे। उन दरख्तों की कीमत एक की तो दो सौ रुपये थी और दूसरे की ८७ रुपये। उनका फोटो तक लिया गया और माननीय चीफ मिनिस्टर की सेवा में भेजा गया और दूसरे अन्य अधिकारियों की सेवा में भी भेजा गया। एक पेड़ की लकड़ी तो कट कर उनके घर जा चुकी थी, दूसरा पेड़ नीलाम किया गया और वह ८७ रुपये में नीलाम हुआ। बाद को उन महोदय को बाकी रकम देना पड़ी। तो जब आपके उच्च अधिकारी ऐसा कर सकते हैं, जिनकी नीयत भी साफ नहीं है, जिनकी भावना यह हो कि हम किसी तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करें, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिये और उनको दण्डित किया जाना चाहिये।

दूसरी मिसाल मैं आपके सामने और देना चाहता हूं। दीवानी के बड़े अधिकारी, जो अब रायबरेली में नहीं हैं, और जो करीब ४ साल तक वहां रहे, उन्होंने ४४ रुपये प्रतिमास के हिसाब से पंखा कुलियों को रखा और ३० रुपये उनको दिये। यह १४ रुपये न मालूम उन्होंने किस फंड में काट लिये। जब इतने बड़े अधिकारी इस तरह से काम करें तो जनता के अन्दर उनके प्रति विश्वास नहीं रह सकता है। और जगह भी करप्शन है। छोटी छोटी जगह काफी करप्शन है। पेशकार की जगह तो ऐसी होती है कि अगर उनका ठेका नीलाम कर दिया जाय तो उससे कहीं ज्यादा नीलाम में आ जाय।

मैं पंचायतों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी वकील रहे हैं, वे जानते हैं कि पहले मुन्सिफों को २५० पये से अधिक के अधिकार नहीं थे। आज आपने पंचायतों को ५०० पये तक के मुकदमों के अधिकार दे दिये हैं और उसकी भी फिर अपील नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, वहां राम और रावण की चिट्ठी डाल कर फैसला किया जाता है और मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। पंचायतों को ५०० रुपये तक के मुकदमों का अधिकार देना अनुचित है।

मैं, एस०डी०ओ०, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो टूर करते हैं, दौरा करते हैं, उनके सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होता। इस समय जहां कहीं चकबन्दी होती हैं वहां हजारों नहीं लाखों गलतियां होती हैं। आफिसर मोटरों में जाते हैं, कैम्पों में बैठ जाते हैं, और टूर हो जाता है। अगर वे घोड़ों पर दौरा करें तो उन्हें कुछ गलतियों का पता चल सकता है। माननीय मंत्री जी को याद होगा कि जिस समय माननीय काटजू साहब

ला मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने एक सर्कूलर भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि On account of economy यह टूर कैन्सिल किये जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर टूर रहें, तो वे इस तरह किये जायं जिससे जहां जो गड़बड़ी हो उसका पता चलाया जाय। टूर के अन्दर यह होता है कि एक मुकदमा जब लग जाता है तो लोगों को दूसरे गांव से आना पड़ता है। काफी परेशानी उनको होती है। इसलिये जब वे मुकदमे लगाये जायं तब वे जरूर हों। जब आफिसर्स टूर करें तो वे अपना काम अपने लिंक आफिसर्स को दे दें। इसलिये इस तरफ माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

मैं एक बात कोर्ट फीस के बारे में और कहना चाहता हूं। कोर्ट फीस बहुत बढ़ गयी है और खास तौर से रिट्स के मामले में। कोर्ट फीस इतनी बढ़ गयी है कि उसमें तीन सौ चार सौ रुपये खर्च करने होते हैं। जो इतना रुपया खर्च करने की सामर्थ्य नहीं रखता वह दायर नहीं कर सकता है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करें।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे वह आंकड़े बताये जायं कि हाई कोर्ट में बकाया बढ़ रहा है या नहीं? उसके लिये आपने क्या प्रयत्न किया है?

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत अनुदान सदन में रखा हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जिन देशों में प्रजातंत्र रहा है उनके इतिहास से यह प्रतीत होता है कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए एक स्ट्रांग, इण्डिपेंडेंट और सैटिस्फाइड जुडिशियरी की बड़ी आवश्यकता है। हमारे मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उससे प्रतीत होता है कि जुडिशियरी के लिए १,५२,६४,९०० रुपये का अनुदान रखा है। उसी से पता चलता है कि जेल के वास्ते १,८१,४४,९०० रुपये का अनुदान मांगा गया है। जेल के लिए जो अनुदान मांगा गया है, वह ज्यादा है और जुडिशियरी, जिस के लिए इतनी बड़ी जरूरत है प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए वह इतनी कम है। मैं समझता हूं कि जुडिशियरी के साथ जितना न्याय होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से सुझाव ही मन्त्री जी के सम्मुख रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि वह उन पर कुछ विचार करेंगे। मेरा अपना खयाल यह है कि जुडिशियरी जिसमें मुझे रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है उसके साथ ऐसा बरताव किया जा रहा है, जैसा विमाता का हुआ करता है, यह मैं एक मिसाल देकर बतलाऊंगा। हायर जुडिशियल सर्विस को बने हुए १२ साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक उसके पेंशन रूल्स नहीं बने हैं। मुझे स्वयं उससे रिटायर हुए करीब ६ साल हो गये हैं। मेरे साथ और मेरे से पहले जो रिटायर हुए हैं उन में से बहुत से तो मर गये हैं, बहुत से मरने वाले हैं और कुछ ही स्वस्थ बाकी रह गये हैं और शायद जब कि उसके पेंशन रूल्स बन कर तैयार होंगे तब तक बहुत से उन में से मर जायेंगे। क्या हमारे पेंशन रूल्स के बनाने की कोई जरूरत नहीं है? मैं यह समझता हूं कि हमारे पेंशन रूल्स बनाने का अधिकार इस सेक्रेटेरियट के आई० सी० एस० आफिसर के हाथ में दिया गया है जिनको कि हायर जुडिशियल सर्विस या जुडिशियल सर्विस से कोई सिम्पैथी नहीं है।

दूसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि तनख्वाह के रूल्स भी १९५२ में बने और उन के हिसाब से ऐसे रूल्स बन गये हैं जो गड़बड़ थे। उसके लिए रिप्रेजेन्टेशन किया गया, जो मंजूर भी हुआ, लेकिन ६, ७ वर्ष हो गये, अभी तक एरियर्स नहीं मिले हैं, कागज इधर का उधर और उधर का इधर चला जाता है। अगर्चे गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया है कि रूल्स ऐबसर्ड बने हैं, सही होने चाहिए, वह सही भी हो गये, लेकिन ७ वर्ष हो गये, अभी तक एरियर्स आफ पे नहीं मिले।

इसके बाद मैं एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, अगर न्याय करने में देर होती है तो न्याय का महत्व ही खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट में इस समय ४६ हजार अपीलों से कम पेंडिंग नहीं हैं बल्कि ज्यादा ही हैं। उन अपीलों

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

को तय करने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। जो काम हो रहा है वह बड़ी सुस्ती के साथ हो रहा है। हाई कोर्ट में बीस बीस साल से अब तक अपीलें पड़ी हुई हैं, उनको तय करने का कोई फैसला नहीं हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस बात की ओर ध्यान देंगे और उन अपीलों को तय करने के वास्ते कुछ ऐडीशनल जजेज और मुकर्रर कर दिये जायं और इन अपीलों के तय हो जाने के बाद अगर जरूरत न समझी जाय तो उनको खत्म कर दिया जाय। इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि इस समय हाई कोर्ट में जो २६ जजेज की परमानेंट स्ट्रेंथ है वह बढ़ाकर कम से कम ३० हो जानी चाहिए। एक बात के लिए मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज कल जो D. G. C. S. के एप्वाइन्टमेंट्स हो रहे हैं वह बड़े न्याय के साथ हो रहे हैं। इसके पहले जो तकर्ररी होती थी उसमें बहुत से कन्सीडरेशन्स होते थे लेकिन इस समय जो एप्वाइन्टमेंट्स हो रहे हैं वह बड़े उम्दा तरीके से हो रहे हैं। उस में हर चीज का ड्यू कन्सीडरेशन हो रहा है।

मैं गवर्नमेंट का ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का यह वायदा था कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जजी कायम कर दी जायेंगी। इस ओर कुछ कोशिश भी हुई, कुछ किये भी गये, लेकिन गत दो एक वर्षों से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी बहुत से जिले जैसे--देहरादून, पीलीभीत, मिर्जापुर, हमीरपुर और जालौन वगैरह हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजी मुकर्रर नहीं हुई है।

हाई कोर्ट जजेज की तकर्ररी के मुताल्लिक मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। एक चीज जिस की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि किसी जमाने में जब हाई कोर्ट में २०-२१ जजेज हुआ करते थे तब उस में हायर जुडिशियल सर्विस और प्राविन्शियल जुडिशियल सर्विस के कम से कम एक तिहाई जज हुआ करते थे लेकिन इस समय हाई कोर्ट में २६ जज हैं लेकिन उसमें इस प्राविंशियल सर्विस के केवल एक ही जज हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें कि हमारी प्राविंशियल जुडिशियल सर्विस के आदमी भी किसी प्रकार से बुरे साबित नहीं हुए बल्कि बहुत से तो बहुत अच्छे साबित हुए। मैं आशा करता हूं कि इस गरीब सर्विस, जिसके साथ गवर्नमेंट का स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट है, के साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे जैसा कि वह न्याय करने के आदी हैं। बाज दफा कहा जाता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज उनको रेकमेन्ड नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि यह उनका ही जुरिस्डिक्शन नहीं है आपका भी एक मुख्य स्थान है, आपका भी जुरिस्डिक्शन है, आप जरा अपना कदम जोर से जमायें, ताकि इस सर्विस के साथ कुछ न्याय हो सके।

इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं और वह यह कि सिविल जज जो साढ़े चार सौ या चार सौ तनख्वाह पाता है उस का लाखों करोड़ों रुपये का जुरिस्डिक्शन है, वह मुकदमे फैसल करता है। तो क्या उनको कोई अलाउन्स देकर उनकी मदद की जायगी, जिस से वे अपनी उस ईमानदारी को, जो कि उनकी इस सर्विस के ट्रेडीशन रही है, कायम रख सकेंगे? मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसका ध्यान रखेंगे।

दूसरी चीज यह है कि मुकदमों के फैसलों में अब भी काफी देर हो रही है जिस के देखने से पता चलता है कि लाखों के एरियर्स अब भी बाकी हैं। जनतंत्र को साख रखने के लिए यह जरूरी है कि मुकदमे जल्द फैसल हों। इसके लिए जुडिशियल आफिसर्स का नम्बर बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जेल में भेजने वाली ब्रान्च के ऊपर सरकार का २ करोड़ के ऊपर खर्चा होता है और इस जुडिशियरी पर जो कि जनतंत्र को कायम रखने के लिए है, उस पर उस से बहुत कम खर्च होता है। मैं समझता हूं कि जुडिशियल आफिसर्स बढ़ाये जायं, ताकि उस काम को पूरा कर सकें।

इसके अतिरिक्त जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव के सेपरेशन की बहुत भारी जरूरत है। देश के सम्मान, फ्रीडम और धन की रक्षा तभी हो सकती है जब कि देश में बड़ी भारी स्ट्रांग

जुडिशियरी हो और एक्जीक्युटिव से सेपरेट हो। जिस वक्त स्वराज्य नहीं हुआ था, जिस वक्त अंग्रेजों के बंधन में हम थे तो चिल्लाया करते थे कि जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव का सेपरेशन होना चाहिए। आज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर करके यह कहा जा रहा है कि हम जुडिशियरी को अलाहिदा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोरा मजाक है और लोगों को भुलावे में रखा जा रहा है। जिस को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है वह वास्तव में मैजिस्ट्रेट ही है। इसलिए जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से अलाहिदा किया जाय और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के कन्ट्रोल में कर दिया जाय। उनके नाम को बदल देने से काम नहीं चलेगा और केवल उसके जुडिशियल फंक्शन कर दीजिये।

इसके अलावा प्रांविंशियल जुडिशियल सर्विस और हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों को भी माननीय मन्त्री जी थोड़ा सा सम्मान दें ताकि वे लोग भी ठीक रूप से सेवा कर सकें और अपनी ट्रेडीशन को कायम रख सकें।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ऐसा मालूम होता है कि इतने अहम मसले पर सदन में कुछ कम दिलचस्पी है। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि मुझे कुछ ज्यादा समय दे दिया जाय तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष––७ मिनट के बजाय १० मिनट आप को दे दूंगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी––क्योंकि समय कम है इसलिए पहले मैं अपने जिले की दिक्कतों की बाबत माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिला जालौन में अब तक कोई परमानेंट जज कोर्ट नहीं है। मुझे यह मालूम है कि हाई कोर्ट ने लिखा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से चिट्ठी पत्री चल रही है इस बात के लिए कि जिला जालौन में एक स्थायी जजशिप स्थापित कर दी जाय। अभी तक वहां पर एक मूवेबिल कोर्ट है। जिला जालौन के लिटिगेंटेस के लिए इस बात की बड़ी भारी जरूरत है कि वहां एक स्थायी जजशिप हो जाय। वहां एक सेशन जज है और एक सिविल जज है, मगर वहां कोई स्थायी कोर्ट न होने की वजह से अगर किसी कागज की तलाश करना होती है तो हमें झांसी या हमीरपुर को जाना पड़ता है, जिसमें बड़ा भारी खर्चा पड़ता है। मेरा निवेदन है कि चूंकि हाई कोर्ट ने लिखा और सरकार से भी चिट्ठी-पत्री चल रही है जिसको करीब ८ महीने हो गये, तो न्याय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर जिला जालौन में डिस्ट्रिक्ट जजशिप न हो तो कम से कम एक परमानेंट कोर्ट वहां हो जाय।

अब एक सिद्धान्त की बात कही गयी कि जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव का सेपरेशन होना चाहिए। यह सिद्धान्त हिन्दुस्तान के कांस्टीटयूशन में ही दिया गया है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। माननीय मन्त्री महोदय भी मानते होंगे, लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि जब कांस्टीटयुएंट असेम्बली में कांस्टीटयूशन का आर्टिकिल ५० पास हो रहा था तो उसके ऊपर कांस्टीटयुएंट असेम्बली के सदस्यों ने यह कहा था कि यह सेपरेशन ३ वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने डिबेट में इन्टरवीन करते हुए कहा था कि कांस्टीटयूशन में ३ साल का लिमिटेशन रखने की जरूरत नहीं है। हम उससे पहले ही जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव का सेपरेशन कर देंगे। कांस्टीटयुएंट असेम्बली में हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री ने पहले वादा किया था उसको हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज तक कार्यान्वित नहीं किया। श्रीमन्, इसमें कोई बड़ी बहस की बात नहीं हो सकती। सबसे पहले कांग्रेस के जरिये ही सन् १८८६ में जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव के सेपरेशन की मांग हुई। उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में भी इसके सेपरेशन की मांग की गयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

परन्तु आज तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस दिशा में कुछ नहीं किया। जो ए० डी० एम० (जे०) हैं वे ही सिविल का भी काम करते हैं। ला कमीशन की रिपोर्ट को आप देखें तो उसमें भी इस बात का तजकिरा है कि उत्तर प्रदेश में जो सेपरेशन किया गया है वह महज नाम मात्र के लिए ही सेपरेशन है। मैं भी समझता हूं कि वह किसी सूरत में भी जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव का सेपरेशन नहीं है।

उस सिलसिले में मैं यह बात बता दूं कि मद्रास में दफा १०७, १०८, १०९ और ११० के मुकदमे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द होते हैं, लेकिन हमारे यहां यह आदेश है कि ऐसे मुकदमे डिप्टी कलेक्टर देखें जो कि प्रिवेंटिव हों। मेरी राय है कि दफा १०७, १०८ के मुकदमे जो डिप्टी कलेक्टर के यहां हैं उनको अविलम्ब वहां से हटाया जाय और उनका ट्रायल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ करे। मैंने देखा है कि डिप्टी कलेक्टर के इजलास में दफा १०७ के जो मुकदमे होते हैं उनकी ८०, ८० पेशियां तक पड़ती हैं और जब डिप्टी कलेक्टर से कहा जाता है कि इतने दिन का पुराना मुकदमा हो गया इसलिये गवाहियों की बिना पर इसका फैसला जल्दी होना चाहिये तो डिप्टी कलेक्टर कहते हैं कि दफा १०७ के मुकदमे फैसल करने के लिये नहीं होते हैं जब तक कि पार्टीज आपस में तसफिया न कर लें। इस तरह से उसकी तारीख बढ़ती चली जाती है और दो-दो, तीन-तीन साल तक ऐसे मुकदमे पड़े रहते हैं। दफा ११० के मुकदमों के सिलसिले में एक नक्शा होता है सस्पिशन का जिसे डिप्टी साहब मंजूर करते हैं और फिर दरोगा जी से कहते हैं कि तुम चार्जशीट सबमिट कर दो।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—आप सदन में कोई स्पेसिफिक केस बतला दें जो दो-तीन वर्ष तक चला हो।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—स्टेट वर्सेज रामप्रसाद, यह मुकदमा चला एस० डी० एम०, जालौन के यहां तीन साल पहले, यह तो रोज की बात है वकालत के तजुरबे में कि एस० डी० ओ० कहते हैं कि १०७ के मुकदमे फैसले के लिये नहीं होते। इसके अलावा अगर हमें इन्साफ जनता को सस्ता उपलब्ध कराना है तो सरकार का आदेश होना चाहिये कि डिप्टी क्लेक्टरों के यहां यह मुकदमे न हों। मेरी जानकारी मन्त्री जी चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं कि ५ माह पहले एक दाखिल खारिज के मुकदमे में मुझे बहस करने का मौका मिला, बिलकुल अनकनटेस्टेड केस था, लेकिन पांच महीने में भी तहसीलदार साहब को फुर्सत नहीं मिली कि वह फैसला उसमें दे देते। कारण उसका यह है कि तारीख मुकर्रर हुई, साइल तारीख को पहुंचा तो मालूम हुआ कि जब विकास प्रदर्शनी के लिये २५ रुपये दोगे तब फैसला सुनाया जायगा। इस तरह से जिला जालौन से विकास प्रदर्शनी के नाम पर १०,००० रुपया वहां की रेवेन्यू लिटिगेन्ट पब्लिक से वसूल किया गया है जिनके दाखिल खारिज व कागजात दुरुस्तगी के केसेज तहसीलदार के यहां चल रहे थे। जो आज तमाम तरह के काम तहसीलदार के और डिप्टी कलेक्टरों के बढ़े हुए हैं उन्हें इन लोगों को करने दिया जाय। अगर उन्हें फुर्सत नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि २-२ हजार और डेढ़-डेढ़ हजार मुकदमें डिप्टी कलेक्टरों के यहां पड़े हैं, उन्हें तारीख देने तक की फुर्सत नहीं है। इस तरह सी० आर० पी० सी० और रेवेन्यू के मुकदमों को जरूर वहां से अलग करना चाहिये।

अब अधिक सेपरेशन पर न कहकर दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि इसी में यू० पी० की जनता का कल्याण है कि मैजिस्ट्रेसी को हाईकोर्ट के अण्डर कर दिया जाय तभी सेपरेशन सार्थक हो सकता है। इससे जो इंतजामिया मैजिस्ट्रेसी है वह अपना काम अलग करेगी और जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेसी हो वह मुकदमे करे। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेसी की प्रथा क्यों चलाई गई थी, आज उसका कोई उपयोग नहीं है, इस प्रथा को अब अविलम्ब बन्द करना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में कुछ लोग उनसे इज्जत पाने के लिये आनरेरी मैजिस्ट्रेट होते थे, न उसकी कोई ट्रेनिंग

होती है न कोई एजूकेशन ही होती है । कोई वजह नहीं है कि अब उस प्रथा को कायम रखा जाय । इसी तरह से डिपार्टमेंटल मैजिस्ट्रेट्स हैं, कैनाल के या मोटर वेहिकिल्स मैजिस्ट्रेट अलग हैं, इस तरह से अगर डिपार्टमेंटलिज्म अलग-अलग होगा तो इन मैजिस्ट्रेसीज का क्या लाभ होगा ?

मैं अब सेपरेशन की बात छोड़ कर एक बात जूडीशियल अफसरों की पे के बारे में यह निवेदन करूंगा कि आज मुन्सिफ व सिविल जज का वेतन ३५० से ८५० तक है और जब मुन्सिफ से कोई सिविल जज होता है तब उसके डिजिगनेशन में तो अन्तर होता है, लेकिन वेतन और रिम्यूनरेशन में कोई अन्तर नहीं होता । मेरा निवेदन है कि सिविल जज का ग्रेड अलग होना चाहिये और उस का स्टार्ट भी कुछ अधिक निश्चित होना चाहिये और तय होना चाहिये कि उनका वेतन क्या हो । उनके काम में भी अन्तर है । इसी तरह से सेशन जज और जिला जज की बात है । सेशन जज का ग्रेड ६०० से १२०० तक है और जिला जज का ८०० से १८०० तक है । आखिर उन दोनों में अन्तर कौन सा है ? सिर्फ अन्तर इतना है कि जिला जज एडमिनिस्ट्रेटिव मुकदमे ज्यादा करेगा, उसे विभागीय मामले ज्यादा करने पड़ते हैं । सेशन जज अपील सुनते हैं, जहांतक काम की बात है दोनों कानूनी काम करते हैं । इतना बड़ा अन्तर सिविल एण्ड सेशन जज के वेतन में और डिस्ट्रिक्ट जज के वेतन में है, वह किसी सूरत में न्यायसंगत नहीं है । ला कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है । वैसे भी एक बड़ी साधारण सी बात समझ में आती है कि सेशन और डिस्ट्रिक्ट जजेज का ग्रेड एक ही होना चाहिये ।

अगर आज हाईकोर्ट के एरियर्स की तरफ देखा जाय तो हाई कोर्ट का एक जज प्रदेश की २६ लाख आबादी पर पड़ता है जो बहुत कम है । हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कम से कम ३० होनी चाहिये जो कि रिकमेण्ड भी की गई है । १९५४ के फीगर्स अगर देखे जायं तो सिविल सूट्स १,५०,७२८ थे जिनका वेल्यूएशन ९,४५,७०,२८९ रु० था । फौजदारी के मुकदमे देखे जायं ३,५७,२६६ थे जिनमें मुलजिम ७,६३,६१६ इनवाल्व्ड थे और गवाह ६,५४,४७८ थे । इस तरह से आप देखेंगे कि सिविल सूट्स में बहुत बड़ी रकम इनवाल्व्ड है और बहुत से गवाहान और मुलजिम क्रिमिनल केसेज में इनवाल्व्ड हैं । तो जाहिर है कि हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वह बिलकुल अपर्याप्त है और बढ़नी चाहिये ।

श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)-- जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर तौर से इस कलील वक्त में २, ४ बातें कहना चाहता हूं और कटमोशन की मुखालफत करता हूं । हमारी जुडिशियरी ऐसी है कि जिस पर जितना फख्र किया जाय कम है । इन्साफ के नुक्ते निगाह से भी और रिश्वत वगैरह जैसे गुनाहों से पाक साफ होने के नुक्ते नजर से भी । फिर भी कटमोशन के मूवर ने यह बात फरमायी है कि नीचे करप्शन है । यह बात सही है । मैं यह समझता हूं कि जब जुडिशियल अफसर हमारे ज्यादातर पाक साफ हैं तो अगर पब्लिक और बार दोनों जुडिशियल अफसरों से तावुन करें तो बहुत ज्यादा हद तक यह खराबी दूर हो सकती है ।

कोर्ट फीस के मुताल्लिक कहा गया । मेरी मालूमात यह हैं कि जितना ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्च हो रहा है कोर्ट फीस उससे ज्यादा नहीं है । स्कूल की फीस हो या कोर्ट की फीस हो, फीस का उसूल यह है कि जो सर्विस की जा रही है उससे ज्यादा पब्लिक से न लिया जाय । कोर्ट फीस का जब बिल पास हुआ था उस वक्त भी हाउस में बहस हुई थी । उस बहस में भी और इस वक्त भी कोई यह बात साबित करने में कामयाब नहीं हुआ कि जो फीस ली जा रही है वह फीस सर्विसेज से ज्यादा है । इससे मुझे और भी ज्यादा यकीन होता है कि जो कुछ मेरी मालूमात हैं, वह सही है । फीस

[श्री अतीकुल रहमान]

और टैक्स के फर्क को खास तौर से वाजे तौर पर समझना चाहिये । टैक्स तो एक ऐसी रकम है जो कहीं भी खर्च की जा सकती है । एक दफा पब्लिक से टैक्स ले लिया गया, उसे सरकार नहरों, सड़कों वगैरह पर कहीं भी किसी काम के लिये खर्च कर सकती है । लेकिन फीस का यह उसूल है जो मैंने बयान किया और मेरी मालूमात में फीस उससे ज्यादा नहीं है । इसलिये कोर्ट फीस के ज्यादा होने के एतराज में कोई जान नहीं मालूम होती ।

एक बात सेपरेशन आफ एक्जे क्यूटिव एंड जुडीशियरी के मुताल्लिक कही गयी । यह बहुत बुनियादी बात है और खुद हमारे कांस्टीट्यूशन में यह बात मौजूद है । अगर आप देखें, जब से बागडोर कांग्रेस हुकूमत के हाथ में आई है तब से बराबर इस बात को कोशिश की जा रही है और सेपरेशन किया जा रहा है । मैं तसलीम करता हूं कि मुकम्मल सेपरेशन उसको माना जायगा जब हर एतबार से जुडीशियल सर्विसेज हाई कोर्ट के अण्डर आ जायं । लेकिन मौजूदा जमाने में जो इन्तजामी हालात हैं, जो दुश्वारियां या परेशानियां हैं उनकी वजह से वह बात नहीं की गयी । लेकिन वह बात भी की जायगी क्योंकि सभी इस आइडियल से इत्तफाक करते हैं कि जुडीशियल सर्विसेज हाई कोर्ट के अंडर की जायं ।

एक बात केसेज के जमा होने के बारे में कही गयी । इसके मुताल्लिक मेरा एक बहुत छोटा-सा सुझाव है । जहां तक हाई कोर्ट का ताल्लुक है वहां शहादत नहीं होती, सिर्फ बहस होती है । तो आसानी से यह किया जा सकता है कि एक किस्म के केसेज को एक जगह जमा कर दिया जाय और उनपर एक साथ बहस हो जाय । अगर एक किस्म के केसेज को जमा करने की छानबीन की जाय तो मेरे खयाल से कोई दुश्वारी नहीं होगी । इससे हाई कोर्ट का काम काफी हल्का हो सकता है । इसके बाद भी अगर हाई कोर्ट के जजेज को बढ़ाने की जरूरत हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जुडीशियल आफिसर्स को बढ़ाने की जरूरत हो तो यह भी बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिये । केसेज को जहां तक जल्दी करने का सवाल है इसको हल करने के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है हमें करना चाहिये । इन अल्फाज के साथ मैं इस कटमोशन का विरोध करता हूं ।

श्री शिवशंकरसिंह (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये थोड़ा समय दिया । इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुकदमों के बारे में काफी संख्या बढ़ी हुई है । अभी हाई कोर्ट की सन् ४८ की अपीलें पड़ी हुई हैं जिन पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ । मुकदमे पड़े रहने से लोगों को काफी परेशानी होती है ।

जब से हमारे मौजूदा माननीय मंत्री ने इस विभाग को हाथ में लिया है तब से बराबर यह कोशिश उनकी तरफ से है कि पुराने मुकदमों का जल्दी फैसला हो जाय । मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो जुडीशियल आफिसर्स कमिश्नरों के नीचे अभी काम करते हैं बेहतर हो कि वे हाई कोर्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में कर दिये जायं । क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के नीचे रहने से वे अपनी स्वतंत्र राय नहीं दे पाते ।

इसके अलावा एक और सुझाव मुझे देना है और वह यह कि इस प्रदेश में ताल्लुकेदारी तो खत्म हो गयी मगर ताल्लुकेदारी ला अभी भी प्रचलित है । यह कानून सन् १८६० में बना था । वह हिन्दू और मुसलमान दोनों पर लागू होता है । इसके मुताबिक एक ही आदमी पूरी जायदाद का मालिक होता है । यह सामन्तवाद का एक जीता जागता नमूना है । हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट सन् ५६ में पास हो गया । उसमें विधवाओं को पूरा हक दिया गया है । मगर ताल्लुकेदारी ला के हिसाब से सिर्फ एक को छोड़ कर कोई भी उस जायदाद का मालिक नहीं हो सकता । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो ऐसा सामन्तवादी कानून है इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय और हिन्दू हिन्दू ला से गवर्न हों और मुसलमान मुस्लिम ला से गवर्न हों । बस मुझे यही कहना है ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं ।)

श्री लक्ष्मीनाराणय बंसल (जिला आगरा)---अधिष्ठात्री महोदया, जो अनुदान मंत्री महोदय ने पेश किया है मैं उसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र यमुनाप्रसाद जी ने पेश किया है, उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं तो यह समझता हूं कि अगर कटौती की जगह कोई बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव हो सकता तो मैं जरूर उसको पेश करता क्योंकि जो अनुदान न्याय के लिये मांगा गया है वह उसकी जरूरतों के लिये बहुत नाकाफी है। आखिरकार जो हम ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस से आमदनी करते हैं वह हमें खसूसन इसी विभाग के चलाने में सर्फ करनी चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि वैसा नहीं हो रहा है। यह आमदनी दूसरे विभागों में भी खर्च हो रही है। जहां तक जुडीशियरी का ताल्लुक है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि "A strong and independent judiciary is *sine qua non* to the success of democracy" हमारी जुडिशियरी स्ट्रांग भी है, इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन अभी वह इतने हैंडिकैप्स में काम कर रही है कि उससे पब्लिक को जितनी राहत मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलती है।

आज हमारे न्यायालयों की इमारतों का दिग्दर्शन कराया जाय तो अफसोस होता है। वांचू कमेटी जो शायद सन् ५० में मुकर्रर हुई थी उसने यह रिपोर्ट की थी कि बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिये कि मालूम पड़े कि टैम्पिल आफ जस्टिस है। आज मैं आगरे की अदालतों की इमारतों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितनी दयनीय दशा वहां की है। एक दिन मैं कचहरी पहुंचा तो मैंने देखा कि एक त्रिपाल टंगा हुआ है। मैंने पूछा कि क्या आज कोई दावत का इन्तजाम है। तो मालूम पड़ा कि एक एडिशनल कोर्ट मुकर्रर हुई है, उसके लिये कमरा नहीं था लिहाजा त्रिपाल के नीचे अदालत होगी। तो जब यह हालत है तो क्या काम हो सकता है ? गरमी का मौसम आ रहा है, गरम हवा चलेगी, लू चलेगी, धूप भी होगी तो भला कैसे कोई काम कर सकता है ? वहां की इमारतों की हालत यह है कि कुछ को बने ६०-७० वर्ष हो चुके हैं। मैंने शायद इसी सदन में एक दफा जिक्र भी किया था कि वहां के बरामदों के फर्श चलते चलते इतने घिस गये हैं कि बारिश की बौछार का पानी जब आता है तो एक दरिया का सा नजारा हो जाता है और एक अदालत से दूसरी अदालत में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मेरा अनुमान है, अगर मैं गलत होऊं तो माननीय मंत्री जी ठीक कर देंगे---आगरे की जजी से ४ लाख रुपये की नेट इनकम खर्चा वगैरह काट कर है, लेकिन यह आमदनी उस पर खर्च नहीं की जा रही है।

जुडीशियल आफिसर्स के रहने के लिये कोई इंतजाम नहीं है। जुडीशियल आफिसर्स किराये के बंगलों में रहते हैं और वहां ज्यादातर बंगले वकीलों के हैं, उनमें रहकर उनकी क्या दशा होती होगी यह तो वही जानते होंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि गांव वाला सोचता है कि वह किस वकील के बंगले में रहते हैं, चलो उसी को वकील करो। यह विचार अगर पब्लिक के दिमाग में आता है तो यह चीज जुडीशियरी के लिये शोभनीय नहीं है। हमारे यहां जमीन की कमी नहीं है, जो जज का बंगला है वह काफी बड़ा है, वहां पर सब अदालतें बन सकती हैं और जुडीशियल आफिसर्स के लिये क्वाटर्स भी बन सकते हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि इस ओर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। मुंसिफ को ३३० रुपये तनख्वाह मिलती है। आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह ५०, ५५ रुपये के किराये के बंगले में रहकर अपनी गुजर कर सकता है। लेकिन मकानों के किराये बहुत ज्यादा हैं और मकानों की बहुत कमी है इसलिये मजबूरन उनको इतने ज्यादा किराये के मकानों में रहना पड़ता है। इस तरह से उनमें कैसे एफीशिएन्सी आयेगी जबकि उनको पेट भर खाना तक नहीं मिलेगा। जो तनख्वाह सबआर्डिनेट जुडीशियरी को मिलती है वह बहुत ही कम है। उनके काम के लिहाज से और जिम्मेदारी के लिहाज से जो तनख्वाह उनको मिलती है उसमें इजाफा होने की सख्त जरूरत है ताकि वह इंडिपेंडेंटली काम कर सकें।

[श्री लक्ष्मीनारायण गंसल]

श्रीमन्, हमारे यहां जो कानून बने हैं वह बहुत पुराने हैं। वक्त को देखते हुए वह पुराने पड़ गये हैं। इन कानूनों को फिर से देखने की जरूरत है, मेरा सुझाव तो यह है कि एक हाई पावर कमीशन मुकर्रर किया जाय जो इन कानूनों को देखे और तरमीमात पेश करे। कुछ कानूनों से तो पब्लिक को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मिसाल के तौर पर जाब्ता दीवानी की दफा ४२ है। १९५४ में सिविल लाज अमेंडमेंट ऐक्ट बना। उस समय कानून यह था कि एक कोर्ट से अगर दूसरी कोर्ट को कोई डिग्री इजराय के लिये जाय और कोई फरीक मर जाय तो वारिस बनाने के लिये वह डिग्री उसी पेरेन्ट कोर्ट को वापस भेजनी पड़ती थी। इसमें बड़ा वक्त सर्फ होता था, तवालत होती थी और बड़ी दिक्कत होती थी। इसको देखते हुये सरकार ने दूसरा कानून बनाया कि वह अदालत जिसमें डिग्री जायगी उसको वही अख्तियारात होंगे जो पेरेंट कोर्ट को हैं। लेकिन इसमें कुछ नुक्स रह गया और इसके बारे में हाई कोर्ट की तजवीज हुई है कि खफीफा की डिग्री अगर मुंसफी में जाती है तो गैर मनकूला जायदाद से एक्जीक्यूट नहीं हो सकती है। इससे बहुत सी डिग्रियां आज गैर मनकूला जायदाद के जरिये वसूल नहीं हो सकती हैं। दूसरी ओर आपने पंचायतों को ५०० पये तक के अख्तियारात दे रखे हैं। ५०० रुपये तक के मामलों में वह डिग्री कर सकती हैं। अगर पंचायत की कोई डिग्री इजरा के लिये मुंसिफी में जाती है तो वह गैर मनकूला जायदाद के जरिये से वसूल हो सकती है। लेकिन खफीफा की डिग्री गैर मनकूला जायदाद से वसूल नहीं हो सकती है। यह कानून में कमी रह गई थी। जहां पर लिखना चाहिये था कि:--"The Transferee Court will also have the same powers as the Parent Court." यहां से लफ्ज (also) उड़ा दिया। इससे जो मतलब सरकार का था वह खब्त हो गया और दूसरा मतलब हो गया। इस तरह की कानूनों में खामियां हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर अपना उचित कदम उठायेगी और जो खामियां मिलेंगी उनको दुरुस्त करने का तरीका अपनायेगी।

श्रीमन्, न्याय विभाग ऐसा विभाग है जिससे जनरल पब्लिक का अधिकतर काम पड़ता है और अगर पब्लिक समझती है कि ठीक न्याय नहीं मिलता है तो इसका नतीजा यह होता है कि पब्लिक में सरकार के खिलाफ एक धारणा पैदा हो जाती है। आज इस चीज से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि अदालतों का काम जितनी जल्दी और सुगमता से होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है।

यहां कोर्ट फीस भी ज्यादा है। मेरे एक मित्र ने कहा कि कोर्ट फीस की आमदनी खर्च से कम है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूं। कोर्ट फीस की आमदनी कहीं कहीं ज्यादा है और इससे गवर्नमेन्ट को मुनाफा होता है। अभी रशियन डेलीगेशन हमारे देश में आया था। वह बार एसोसियेशन आगरा में भी आया। मैंने उनसे बातचीत की। मैंने पूछा कि आपके यहां कोर्ट फीस का क्या तरीका है। तो वह हंस कर कहने लगे कि हमारे यहां कोर्ट फीस नामिनल है। सिर्फ मनी सूट्स पर कोर्ट फीस होती है। इत्तफाक से वहां डिप्टी मिनिस्टर आफ ला, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके साथ थे। वहां यह भी जिक्र आया कि वहां गरीब मुकदमे लड़ने वालों के मुकदमों को लड़ने का बार एसोसिएशंस मुफ्त इंतजाम करती हैं। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? हमने कहा कि हम जरूर करेंगे मगर आप कोर्ट फीस के मामले में पहले कदम उठाइये। मैं कोर्ट फीस को घटाने या उसकी मुखालिफत में नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो कहता हूं कि कोर्ट फीस और ज्यादा वसूल की जाय, लेकिन शर्त यह है कि जो वसूल की जाय, इस विभाग के खर्च में सर्फ हो ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो। कुछ चीजें हैं जो सरकार बड़ी आसानी से कर सकती है, जैसे सेशंस में मुकदमे होते हैं, उनके खत्म होते ही फौरन ही उस पर बहस करनी है, और बहस के लिये बयानों की नकल चाहिये। बयानों की नकल नहीं मिल सकती। नतीजा यह होता है कि गैर कानूनी तरीके से नकल हासिल करनी पड़ती है, जिसको सब जानते हैं। पंजाब में शायद यह इंतजाम है कि सिर्फ बहस के वास्ते नकल चार आने के पेज के हिसाब से मिल जाती है और उसको दे दी जाती हैं। यह इंतजाम कर दिया जाय कि हर कोर्ट में टाइपिस्ट

हो और जब वह अदालत के लिये टाइप करे तो उसमें कार्बन लगा कर और ज्यादा कापी निकाल ले। उसके लिये ऐडीशनल खर्चा जो हो वह वसूल किया जा सकता है। जो उससे ऐडीशनल इनकम हो उससे ऐडीशनल टाइपिस्ट रख सकते हैं और दोनों पार्टीज को कापियां पहुंच सकती हैं। यह मामूली सा सुझाव है जिसको अगर गवर्नमेंट मंजूर कर ले तो करप्शन एक हद तक मिट सकता है और मुकदमा लड़ने वालों को जो दिक्कतें होती हैं वह भी कम हो सकती हैं।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---अफसोस की बात है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस जो स्टेट के तीन खास फंक्शंस में से लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडीशियल---आज उस जस्टिस के फंक्शन के साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस की गयी है कि उसके डिबेट को इस कदर महदूद कर दिया गया है । जहां तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं।

इसका एक सब से बड़ा फंक्शन ड्राफ्टिंग का है, वह लेजिस्लेशन जो हाउस में पेश होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग करना। अगर आप इजाजत दें तो इस मामले में मैं गवर्नमेंट और पूरे ला डिपार्टमेंट का इम्पीचमेंट करना चाहता हूं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम लोगों के पास किये हुए लेजिस्लेशन्स आये दिन हाई कोर्ट में अल्टरावायरिस हुआ करते हैं। इससे ज्यादा इम्पीचमेंट ला डिपार्टमेंट का कोई हो नहीं सकता। लीगल रेमेम्ब्रेंसर, डिप्टी लीगल रेमेम्ब्रेंसर, ऐडवोकेट जनरल ठीक तरह से कानून की निगरानी नहीं करते, ड्राफ्टिंग के बाद प्रिंसिपिल आफ जस्टिस एण्ड इक्विटी के ऊपर स्क्रूटनी नहीं करते। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट को डिसेन्ट्रलाइज कर देना चाहिये। इस वक्त ड्राफ्टिंग, लीगल स्क्रूटनी और पब्लीकेशन तीनों एक जगह पर सेंटर्ड हैं। मेरा सुझाव है कि इसको तीन हिस्सों में बांट दिया जाय। ड्राफ्टिंग करने वाला डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाय। उसके बाद उस की स्क्रूटनी होनी चाहिये कि आया कांस्टीट्यूशन के उसूलों के ऊपर करेक्ट है या नहीं। प्रिंसिपल आफ इक्विटी एण्ड जस्टिस को वायलेट तो नहीं करता है कि जो कल हाई कोर्ट में जाय तो अल्ट्रावायरस हो जाय फिर उसका प्रापर पब्लिकेशन होना चाहिए। गजट में जो आप पब्लिश कर देते हैं, उससे कितने आदमी उसे जान पाते हैं, कितने उसको देख पाते हैं और कितने उसके बारे में अपनी राय कायम कर पाते हैं ?

इसके बाद दूसरा सुझाव हाई कोर्ट के बारे में मुझे देना है और उसमें दो एक बातें मुझे अर्ज करनी हैं। लखनऊ बेंच के जूरिस्डिक्शन के बढ़ाने का मसला अरसे से अवध बार एसोसियेशन एजीटेट कर रहा है। वक्त की कमी की वजह से मैं उसके वजूहात और असबाब का बयान नहीं करना चाहता, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि इस बारे में गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस के मशविरे से जल्दी ही कोई फैसला कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह कि लखनऊ बेंच में परमानेंट जजेज की तादाद बहुत कम है। हर फोर्टनाइट में दो जज इलाहाबाद से लखनऊ आते हैं और एक हफ्ता मुकदमा करके लौट जाते हैं। इस तरीके से तकरीबन ६८ हजार रुपया साल उनके ट्रैवेलिंग एलाउंस पर खर्च करने के लिये आपने बजट में प्रोवाइड किया है। बदकिस्मती से न्याय मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। नेगी जी को वह अपनी ओर से डेप्यूट कर गए हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरी तरफ से यह गुजारिश उनसे वह कर देंगे कि वह इस बात पर गौर करें कि इलाहाबाद से लखनऊ तक जजेज के आने जाने का खर्चा जो पड़ता है, ६८ हजार रुपया साल उनके ट्रैवेलिंग एलाउन्स के लिये जो आप पे करते हैं, उसी में आसानी के साथ दो परमानेंट जजेज का लखनऊ बेंच के लिये अप्वाइंटमेंट हो सकता है। ये जज यहां मुस्तकिल रूप से रहेंगे। केवल चीफ जस्टिस का दौरा होना चाहिये। वह आयें, हफ्ते में एक दिन रहें और लौट जायं। इस तरह से इसी खर्चे में दो जजेज बढ़ जायेंगे और एरियर्स के हटाने में उनसे मदद मिलेगी और और भी बहुत कुछ सहूलियत हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

सेशन जजों के बारे में मेरी यह गुजारिश है कि इस वक्त तक रिवीजन की पावर्स डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जजेज को बिलकुल नहीं हैं और जब वह प्राइमाफेसी सेटिस्फाई होते हैं कि कोई रिवीजन मेंटिनेबिल है तो ला यह कहता है कि वह उसे हाई कोर्ट को रेफर कर दें। बहुत से कैसेज में हम जानते हैं कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज सेटिस्फाइड होते हैं कि लोअर कोर्ट ने ठीक फैसला नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट में रेफरेंस करते हुए वह डरते हैं । इसलिये कुछ पावर्स उनको रिवीजन की मिलनी चाहिये ।

असिस्टेंट सेशन जजेज के बारे में भी मुझे एक सुझाव देना है। इस वक्त तरीका यह है कि एक मुंसिफ जब कुछ मुद्दत पूरा कर लेता है तो एकदम से उसे असिस्टेंट सेशन जज बना दिया जाता है। और जैसे ही वह असिस्टेंट सेशन जज होता है उसको क्रिमिनल पावर्स हो जाते हैं, सात वर्ष की सजा देने का अधिकार उसे हो जाता है और सेकेंड क्लास की अपील डिस्पोज आफ करने का भी हक उसे हो जाता है । लेकिन ९० परसेंट ऐसे मुंसिफों को क्रिमिनल ला का कोई एक्सपीरियेंस नहीं होता है । उनको एकदम से यह पावर्स क्रिमिनल के बारे में मिल जाते हैं। इसके लिये मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि मुंसिफ जो हो उनके लिये जहां वह केवल सिविल वर्क देखा करते हैं, कुछ क्रिमिनल वर्क भी उन्हें दे दिया जाय। कुछ क्रिमिनल केसेज भी उनके कोर्टस् में होने चाहिये ताकि एक ब्राड आउटलाइन क्रिमिनल जस्टिस की उनके दिमाग में आ जाय । मैं उनकी मेरिट्स और एबिलिटी पर कोई सरकास्ट नहीं कर रहा हूं । मेरा मतलब केवल इतना है कि एकदम से एक आदमी को जो एक पर्टीकुलर ब्रान्च आफ ला से नावाकिफ हो, इतनी वाइड पावर्स दे देना जबकि आसानी से हम उसको उसकी ट्रेनिंग दे सकते हों, कुछ बहुत मुनासिब नहीं है । यह मेरा खयाल है कि एक ऐसा सुझाव है कि जिस पर वह जरूर ध्यान देंगे।

सेपरेशन आफ एग्जीक्यूटिव एण्ड जूडीशियरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं इस बारे में केवल यही कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के फंडामेंटल्स में यह है कि एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी का सेपरेशन होना चाहिये। इस समय जो सेपरेशन है वह अगर आप इजाजत दें तो मैं यह कहूंगा कि This is only a fraud on the Constitution. क्योंकि कांस्टीट्यूशन में कहा है कि एग्जीक्यूटिव एण्ड जूडीशियरी का सेपरेशन होना चाहिये लिहाजा आपने एक स्कीम बना दी है। इसके बारे में मैं अपनी कोई राय न देकर ला कमीशन के रेकमेंडेशन्स को पढ़ देना चाहता हूं—

"It will thus be clear that the system of separation which prevails in some of the districts of Uttar Pradesh is only a separation in form ; the substance of separation, namely the freeing of the, Judicial Officers from executive control has not been achieved."

इसलिये मेरी आपसे इस वक्त यह भी गुजारिश होगी कि इस पर खास तौर से आप ध्यान दें और कोई वजह नहीं है कि मैजिस्ट्रेट्स को कम्प्लीटली हाई कोर्ट के सबार्डिनेट न कर दिया जाय । इस सिलसिले में सिर्फ एक ही वजह बतायी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, यह वही वजह थी जिसको सन् १९०८ में वाइसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के होम मेम्बर ने बताया था कि उससे एक्जीक्यूटिव पावर कम होंगे और ला एण्ड आर्डर पर असर पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपके सामने केवल अगर ला कमीशन की रिपोर्ट को बताऊं तो मालूम होगा कि उन्होंने इस बात को बताया है कि एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी के सेपरेशन से ला एण्ड आर्डर पर कोई असर नहीं होता।

मैं आखिर में जूडीशियल मैजिस्ट्रेटों के बारे में यह बात कहना चाहता हूं कि उनका लाट बड़ा खराब है। एक मुन्सिफ हाई कोर्ट का जज हो जाता है । नायब तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर हो जाता है । कानूनगो डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, लेकिन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट

जैसा शुरू में होता है आखिर तक वही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहता है। यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के साथ नहीं है बल्कि सेपरेशन के साथ है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस बारे में खासतौर से ध्यान देने की मेहरबानी करें।

(श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम के अन्तर्गत हमारा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय चैम्बर में बुलाकर हम लोगों से बात करते हैं। यहां सदन में भी बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोग चैम्बर में बात हमसे कर लें। आज अभी सवेरे उनके चैम्बर में बात हुई और हम लोगों को आपस में यह बात तय थी कि जो भी अनुदान सदन में बहस के लिये लिया जाय उस पर हर दल के एक-एक प्रवक्ता जब बोल लें तब दूसरे दल के दूसरे लोगों को बोलने दिया जाय। सोशलिस्ट पार्टी के एक भी सदस्य को अभी तक इस अनुदान पर बोलने का मौका नहीं मिला। कई बार आपसे निवेदन किया भी, आपके सचिव को भी समझाया गया मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न्याय जैसे विभाग पर हमें अवसर नहीं मिला। इसके सम्बन्ध में आपको मालूम होना चाहिये कि हम लोग हर साल भुक्तभोगी होते हैं। कोई साल ऐसा नहीं बीतता जब हमको २, २ और ३, ३ बार जेल न जाना पड़ता हो, लोअर कोर्ट से सजा न मिलती हो, हाई कोर्ट से न छूटते हों। तो न्याय आज हमारे प्रदेश में माननीय मन्त्री महोदय की एक इच्छामात्र रह गया है। हम सोचते थे कि इस प्रश्न पर यहां कुछ उद्घाटन करेंगे, किन्तु हमारे दल के किसी एक सदस्य को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। आखिर अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बात करने से क्या फायदा है?

श्री अधिष्ठाता—यह केवल समय की कमी के कारण हो सकता है। इसमें किसी के साथ पक्षपात की कोई बात नहीं है।

श्री राजनारायण—पहले यह फैसला हुआ था कि जो भी अनुदान लिया जायगा और उस पर जितना समय लिया जायगा—आधा घंटा भी समय लिया जायगा तो उसमें ५, ५ मिनट का समय दिया जायगा और यदि २ घंटे का समय लिया जायगा तो उसमें एक एक आदमी को ७, ७ मिनट का समय दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—इसमें कम समय था। अब समय नहीं रहा। और पार्टियों के सदस्य भी बोलने से रह गये हैं।

श्री राजनारायण—तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनसे बात करने के फैसले की क्या पवित्रता रह गई?

श्री अधिष्ठाता—मैंने कहा कि और पार्टियों के माननीय सदस्य भी बोलने से वंचित रह गये हैं। अब आप कृपया बैठ जायं। आप रोजाना इस तरह के प्रश्न उठाया करते हैं। अब सदन का समय नष्ट न करें।

श्री राजनारायण—मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जो फैसला हुआ उस फैसले की पवित्रता कैसे सुरक्षित होगी या वह फैसला केवल कहने के लिये होता है?

श्री अधिष्ठाता—जैसा भी समय के अनुसार उचित हो सकता है वह किया जाता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि अभी भाई राजनारायण जी ने जो बात कही है वह बात अपनी जगह पर सही है। आज सुबह इस बात पर चर्चा हुई और यह निश्चय हुआ था कि पहले हर अनुदान पर, समय जो भी निर्धारित हो जाय, हर पार्टी का एक-एक आदमी बोल ले। उसके बाद फिर जैसी आपकी इच्छा हो। ऐसा अक्सर नहीं हुआ है कि कभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं बोला हो। मेरा भी यह अनुरोध है कि ऐसी पद्धति का जितना पालन हो सके उतना हम सबके लिये अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---मैं इसके विरोध में जब तक इस पर बहस होगी, सदन का त्याग कर रहा हूं क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय के कमरे में जो सुबह बात हुई थी उसको यहां पर मान्यता नहीं मिल रही है।

(तत्पश्चात् सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल---माननीय अधिष्ठात्री, महोदया, जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बोलने का कष्ट उठाया है, उन सभी ने मेरे विचारों का समर्थन किया है। सिर्फ अतीकुल रहमान साहब ने यह कहा कि कोर्ट फीस से जो आमदनी होती है उसमें कुछ बचत नहीं होती। मैं उनको ला कमीशन की रिपोर्ट का पेज ४९४ रेफर करना चाहता हूं जिसमें १९२८ से लेकर १९४९ तक के आंकड़े दिये गये हैं और कोई साल ऐसा नहीं है कि जिसमें बचत न हुई हो और इस साल भी काफी फायदा इससे है।

मैं अधिक समय न ले कर माननीय मंत्री जी से केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जो स्ट्रेचर्स पास होते हैं जिन व्यक्तियों के ऊपर उन पर सरकार कार्यवाही करने की कृपा करे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ कहना नहीं है।

*श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीया, मैंने अपने तमाम साथियों की बातों को सुना और इसके पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं मैं अपने दोस्त जरगाम हैदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आखिरी दिन बजट के वह तशरीफ लाये और कुछ बातें उन्होंने हम को बतलायीं।

श्री सैयद जरगाम हैदर---आपका बजट था इस खातिर आया।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो बातें उन्होंने कहीं हैं उन पर विचार किया जायगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि ६०,००० रुपया जो हाई कोर्ट के जजेज के टी०ए० का है लखनऊ के लिये वह निकाल दिया जाय, वह यहां रहें या वहां रहें, इस सम्बन्ध में मैं अभी यही कहना ठीक समझता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। सरेदस्त ऐसा कोई विचार नहीं है और न ऐसा हो सकता है। गोविन्द नारायण जी भी चले गये वरना उन के इतमिनान के लिये एक बात कह देता। टेम्पोरेरी सेशन्स कोर्ट जालौन में रेगुलर हो जायंगे, परमानेन्ट कुछ दिन और आजमाइश और तजुर्बे के बाद किया जा सकता है। लेकिन जो मोबाइल कोर्ट थे वह अब खत्म हो जायंगे। यह मसला फाइनेंस डिपार्टमेंट के जेरे गौर है और वहां से फैसला हो जाने के बाद आखिरी निर्णय किया जायगा।

एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन पर हमारे तमाम उधर के और इधर के साथियों ने कहा और इस पर बड़ा जोर दिया। करप्शन के बारे में भी कहा और डिले के लिये भी कहा गया। जहां तक करप्शन का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि सरकार ने एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर की है और जिस के चेयरमैन हमारे जस्टिस मुकर्जी हैं जो हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। वह अपना काम सारे सूबे में कर रही हैं। उसमें आफिशियल, और नान-आफिशियल सभी मेम्बर हैं और वह तमाम बातें देखेंगे। करप्शन कैसे रोका जा सकता है, फैसलों में जो डिले होती है वह कैसे रोकी जाय, इन सब बातों के बारे में वे जांच-पड़ताल कर रहे हैं मैं आशा करता हूं कि वह अपने पक्के सुझाव हम को देंगे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन सुझावों के आ जाने पर सरकार उन पर विचार करेगी और इस बात का प्रयास करेगी कि जो अमली कदम है वह उठाया जाय और करप्शन की रोकथाम की जाय और उस के साथ जल्दी से जल्दी मुकदमों का फैसला हो। इसमें दो राय नहीं की हमारे हाई कोर्ट में काफी काम बकाया है। क्रिमिनल्स के मुत्ताल्लिक जो योजना उन्होंने बनाई थी उसके मुताबिक काम करके बहुत काफी बकाया काम खत्म हुआ है और मैं आशा करता हूं कि आगे से जो क्रिमिनल्स की अपील दायर होंगी वे ४ महीने के अन्दर फैसल हो जायेंगी। इसी तरह से सिविल की तरफ भी हमारी तवज्जह है और उसमें भी जल्दी की जायगी। चूंकि क्रिमिनल्स की तरफ तवज्जह देना जरूरी थी, इसलिये हाई कोर्ट ने इसको पहले लिया और उस काम को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया। इसके बाद, मैं समझता हूं, सिविल अपील्स में भी जल्दी होगी। जितनी पुरानी अपीलें हैं वे खत्म हो जायेंगी। सरकार ने भी उस तरफ तवज्जह दी है और वह उससे नावाकिफ नहीं है। हम भी यह समझते हैं कि Justice delayed is Justice denied पहले हमारे पास २२ जज थे, अब २७ हैं जिनमें २४ स्थायी है और ३ अस्थायी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाय तो पर जज का डिस्पोजल भी बढ़ा है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन पर जज डिस्पोजल अवश्य बढ़ा है। हाई कोर्ट के वर्किंग डेज को भी अब २१० कर दिया गया है, पहले कम था। इसके अलावा कुछ और चेन्जेज भी किये गये हैं। पहले ५ हजार की वैलुएशन की अपीलें हाई कोर्ट में जाती थीं, ऐसा मेरा खयाल है, अब १० हजार तक की डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील्स होंगी। सेक्शन सर्टिफिकेट जो पहले डिस्ट्रिक्ट जज दिया करते थे, अब मुन्सिफ दिया करेंगे। तो इस तरह से कुछ लेजिस्लेटिव चेन्जेज भी हमने की हैं। कुछ स्माल काज कोर्ट में, कुछ ट्रान्सफर के बारे में, और इसी तरह के मामलों में भी हमने कुछ तरमीमें की हैं और हमारा यह प्रयास है कि न्याय जल्दी हो।

इसके अलावा एक बात और हुई है। सिंगिल जज का जूरिसडिक्शन भी बढ़ा दिया गया है। रिट पिटीशन की वजह से हाई कोर्ट के हैन्ड्स बिलकुल फुल हैं। इन सब बातों को देखते हुए हमने यह प्रयास किया है और हायर जुडिशियल सर्विस में भी पहले से इजाफा किया है। सिविल ब्रान्च के कैडर में भी अब स्ट्रेंथ २२७ के करीब हो गयी है। पहले कम थी। सिविल कोर्ट के रिआर्गेनाइजेशन का सवाल भी हमारे सामने है। अभी तो कहीं पर काम ज्यादा है, कहीं कम है। कहां पर कितने आफिसरान हों, इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं और इसका रिआर्गेनाइजेशन करके हम एक सुव्यवस्थित ढंग पर इसे लाना चाहते हैं ताकि हमारा काम सुचारु रूप से चल सके। लेकिन अभी हम उस पर अमल क्यों नहीं करते? उसका कारण यह है कि हमने, जो एक हाई पावर कमेटी बिठा रखी है, जो इन सब बातों पर रोशनी डालेगी, उसकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने पर हम इस पर विचार करेंगे और अगर जरूरत होगी तो दूसरी कमेटी भी नियुक्त कर सकते हैं। नहीं तो उससे हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

अब जुडीशियल और एग्जिक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी हवाला दिया गया। तो वह ठीक ही है। संविधान में वह है और उसी वजह से आपके यहां शुरुआत भी की गयी है। मैं पहले ही बता दूं कि यह हमारी जो प्रेजेंट स्कीम है हम उसको परफेक्ट या कतई नहीं समझते, लेकिन हमारी आपकी कुछ दिक्कतें हैं–माली भी हैं। प्लान का जमाना है, वह पैसा हमें ऐग्रीकल्चर और दूसरी जगह लगाना पड़ता है। अगर हम इसको फुलफ्लेज्ड बेसिस पर शुरू कर दें तो इसमें भी करोड़ों रुपये की जरूरत पड़ेगी, वह हमारी आपकी ताकत के बाहर है इस वक्त ऐसा करना, लेकिन यह माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारे २० जिलों में, जिस शक्ल में हो, बुरी हो या अच्छी हो हमने यह कर रखी है और १४ जिलों में और बढ़ाने जा रहे हैं। धीरे-धीरे सारे जिलों में यह मौजूदा स्कीम लागू हो जायगी। हां, कायदे से यह जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बिलकुल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत नहीं है, उनके यहां की अपील ए०डी०एम० जुडीशियल करता है। (व्यवधान) आपकी धारणा है कि ऐसा नहीं है, हमारी है कि है। लेट अस ऐग्री टु डिफर (Let us agree to differ)।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

यह कहा जाता है कि कांग्रेस की यह मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन जब यह मांग उठायी गयी थी तब के हालात में और अब के हालात में जमीन आसमान का अन्तर है—पूरब पश्चिम का अन्तर है। उस वक्त यहां एक फारेन गवर्नमेन्ट थी, वह हमें हर तरह से दबाना चाहती थी। अब वह जमाना नही है, अब हमारी आपकी सरकार है। हालात बदल जाने पर हर मामले की अहमियत में भी फर्क पड़ जाता है। (व्यवधान) घबराइये मत, मैं कोई बात छोड़ूंगा नहीं। जो मेरे मित्र दूसरे देशों से इंस पेरेशन लेते हैं उनके लिये तो अहमियत बाकी है, लेकिन जिनका सारा सर्वस्व हिन्दुस्तान में है उनके लिये अहमियत नहीं है। जैसा कि ऊदल जी ने कहा मुमकिन है कि वह समझते हों, मैं उनको रोक भी नहीं सकता। हमारे प्रताप सिंह सर हिला रहे हैं, इससे मालूम होता है कि वह हमसे ऐग्री करते हैं। हमारी आपकी जानकारी भी है कि कश्मीर के लिये पहले कहा जाता था कि प्लेबिसाइट हो, मगर आज वह प्लेबिसाइट बैकग्राउन्ड में है, क्योंकि हालात बदल गये। ऐसा ही इसमें भी है, वह उजलत और अहमियत अब नहीं है, क्योंकि प्लान पीरियड में हमको आपको धीरे-धीरे चलना है। जब हमारे पास पैसा कौड़ी हो तो हम बिलकुल दो टुकड़े कर दें, हमें कोई एतराज उसमें नहीं होगा। मेरा ऐसा खयाल है कि दिल्ली में भी एक मर्तबा इस सम्बन्ध में मुख्तलिफ स्टेट्स से बात चीत हुई थी। वहां पर हमारी स्कीम सबसे बेहतर साबित हुई। तो ऐसा मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में यह पर्याप्त है।

मेरे एक मित्र ने कहा कि सिविल जजों को भत्ता दिया जाय क्योंकि वह लाखों के मुकदमे करते हैं ताकि वह ईमानदारी से काम कर सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरएक का फर्ज है कि ईमानदारी से काम करे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनको भत्ता दिया जाय। यह मसला एक मर्तबा उठा भी था कि १०० रुपये उनको दिये जायं, लेकिन हाईकोर्ट ने एग्री नहीं किया, इसलिये हमें ड्राप कर देना पड़ा क्योंकि हाईकोर्ट का ऐग्रीमेन्ट हमारे लिये जरूरी था। लेकिन मैं समझता हूं और हमारी हमेशा से यह धारणा रही है कि जितने हमारे सिविल जज हैं उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अगर वह भूखों मरेंगे तब भी ईमानदारी को नहीं छोड़ेंगे। एलाउन्स लेकर वह ईमानदारी करना अच्छा नहीं समझते। वह ईमानदार तो हैं ही और एलाउन्स न मिलने से वह बेईमान नहीं हो सकते और न होंगे। मेरा अनुभव है कि हमारी जुडिशियरी आनेस्ट है। अक्सर लोग कहा करते हैं, और उसी पर एक्जीक्यूटिव से सेपरेशन भी चाहते हैं, कि सरकार दखल दिया करती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार कभी जुडीशियरी में दखल नहीं देती। बजट में आप पढ़िये तो आपको मालूम होगा कि सैकड़ों डिग्रियां सरकार पर हुई हैं, मुंसिफ सिविल जज और सभी की तरफ से। तो अगर हम दखल देते तो आपको एक भी डिग्री दिखलाई नही देती। इसलिये यह लोगों की महज एक गलतफहमी है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन हमारे इस अनुदान को स्वीकार करे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मेरा सुझाव यह है कि हाई कोर्ट की एक बेंच पूरब में कर दी जाय क्योंकि उधर के लोगों को इलाहाबाद जाने में बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है और बहुत समय लग जाता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार के विचार में है।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—मेरठ साइड के पश्चिमी जिले लखनऊ से करीब पड़ते हैं इसलिये उन जिलों को लखनऊ बेंच में लगा दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब तक हाईकोर्ट न माने तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या किसी का इन्तजार है?

श्री अधिष्ठाता—घड़ी का इन्तजार है, २ बजे तक।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

कार्यपालिका से न्याय पालिका का अलग न किया जाना, न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार तथा मुकदमों के फैसले में देर तथा सस्ता न्याय व्यवस्था न किये जाने की नीति पर चर्चा करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६––न्याय प्रशासन––लेखा शीर्षक २७––न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,५२,६४,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४––लेखा शीर्षक ५७––समाज कल्याण

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)––माननीया अधिष्ठात्री जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४––समाज कल्याण––लेखा शीर्षक ५७––प्रकीर्ण के अन्तर्गत ५०,०३,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

इसमें कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है। अतः मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस मांग को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४––समाज कल्याण––लेखा शीर्षक ५७––प्रकीर्ण के अन्तर्गत ५०,०३,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७––लेखा शीर्षक २८––जेल

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७––जेल––लेखा शीर्षक २८–– जेल के अन्तर्गत १,८१,४४,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

माननीया, समय बहुत कम है। अतः मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य पहले चर्चा करलें और उसके बाद में जो आवश्यक होगा उसका उत्तर दूं।

श्री राजनारायण––मैं सम्पूर्ण अनुदान में मांग की राशि १०० रु० कम करने का प्रस्ताव करता हूं।

कमी करने का उद्देश्य है––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है––जेल मैनुअल तथा जेल प्रशासन के विधान में आमूल परिवर्तन की मांग करना।

आज बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि यद्यपि आजाद हुये १३ वर्ष बीत गये और अब भी अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत ने भारतीयों को जेल में पशुओं की तरह बन्द करके रखने के लिये जो जेल मैनुअल बना रखा था उसमें आमूल परिवर्तन नहीं किये गये हैं। ज्यादा अफसोस तब होता है जब हम यह देखते हैं कि आज की जेल की स्थिति बृटिश जमाने की जेल की स्थिति से कुछ मानों में खराब ही होती चली जा रही है। मैं चाहूंगा कि सरकारी पक्ष के कुछ लोग

[श्री राजनारायण]

जेलों में जाकर कैदियों की हैसियत से रहें तब उनको मालूम होगा कि जब वे स्वातंत्र्य संग्राम के सैनिक की हैसियत से जेलों में जाते थे उस समय उनकी क्या हालत थी और आज की जेल कैसी है, और दोनों का अनुभव यहां बतलावें कि अंग्रेज जमाने की जेल में और कांग्रेसशाही जमाने की जेल में क्या अन्तर है। दोनों में महान् अन्तर है। पहले स्वाभिमान और गर्व की अनुभूति होती थी, अब कुछ ऐसा लगता है कि उस स्वाभिमान और गर्व को जेल के कायदे-कानूनों ने ऐसा धर दबोचा है कि बहुत मुश्किल से लोग उसे कायम रख पाते हैं। अगर किसी शासन को जांचना है तो यह बड़ी कसौटी है कि वह शासन अपने कैदियों को किस भांति रखता है।

क्या इस सरकार ने जेल में खाने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया है? जो बेहूदा तरीका इन्टरव्यूज का पहले था वही अब भी है। क्या इन्होंने अखबारों की व्यवस्था में परिवर्तन किया? क्या मिलने-जुलने की व्यवस्था में या पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया? पत्र लिखने का जो तरीका पहले था वही अब भी है। एक बात जरूर है कि जेल में कुछ फोन लग गये हैं। अगर कैदी पत्र और तार का इस्तेमाल कर सकता है तो फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं उसे करने दिया जाता है? नियमों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर हम अपनी बात किसी अधिकारी से फोन द्वारा कहना चाहें तो कह सकें। इसके सम्बन्ध में हमने जेल से लिखा भी था। मालूम नहीं कि वह सही पते पर पहुंच भी पाते हैं या नहीं। कभी-कभी मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखता हूं। अफसोस है कि वह इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो जेल से पत्र आये हैं उनको एक जगह संकलन कर दिया जाय और तब वे उनकी भूमिका लिख दें। राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति को भी लिखने की स्थिति आती है। मगर वहां से पहले आयेगा आई०जी० प्रिजन्स के पास। वह जहां चाहेंगे वहां भेज देंगे, जो गलत है। मान लीजिये जेल में हमारे साथ अन्याय हो रहा हो और हम चाहते हों कि हम मुख्य मंत्री को उससे अवगत करावें या समाज कल्याण मंत्री को अवगत करावें, अगर जेल के अधिकारी ने चाहा तो हमारी चिट्ठी उन तक नहीं पहुंच सकती है। इसमें बुनियादी ढंग से परिवर्तन होना चाहिये। एक कैदी का हक माना जाना चाहिये कि उसके ऊपर इस प्रकार के अंकुश लगाने वाले अधिकारी को दंडित किया जाय।

अगर एक एक जेल को लेकर मैं वर्णन करने लगूं तो काफी समय लग जावेगा। कैदियों के पास जो अखबार जाते हैं उन्हें ये सरकार या जेल के अधिकारी रिकगनाइज करते हैं। किस संविधान के मुताबिक यह होता है? अभी भी गवर्नमेन्ट की ओर से लिस्ट जाती है कि कौन अखबार कैदियों को पढ़ने के लिये दिया जाय और कौन न दिया जाय। अक्सर लोग यह कहते हैं कि हमारे देश में अभी सच्ची आजादी नहीं आई है क्योंकि पोलीटिकल आजादी ही सच्ची आजादी नहीं है जब तक कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी साथ-साथ न हो। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी है। हम आर्थिक समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी लड़ रही है, कभी-कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी लड़ती है। हमारी आर्थिक समानता की लड़ाई सारे प्रदेश में १० मई सन् ५७ से चली। हमारी मांग थी कि अलाभकर जोतों से लगान माफ किया जाय, विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाय। हमारी मांग थी कि ज्यादा से ज्यादा आमदनी किसी व्यक्ति की १००० रुपये से ज्यादा न हो। क्या हमारी इन बातों की लड़ाई राजनीतिक नहीं थी, आर्थिक लड़ाई नहीं थी? निश्चित माने में वह स्वतंत्रता की लड़ाई और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी। जो आर्थिक स्वतंत्रता महात्मा गांधी के जमाने से अधूरी रह गयी थी उस स्वतंत्रता के निर्माण की मांग को लेकर हम मैदान में आये हैं। इस सही स्वतंत्रता की लड़ाई के लिये जो लोग जेल जाते हैं उनके साथ पशुवत, घृणित, निन्दनीय और आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज्य हमें जितना सम्मान देता था और जिस प्रकार का क्लासीफिकेशन उस समय था, क्या उस प्रकार का आजकल है? आज इन मुख्य मंत्री महोदय की सरकार ने उस पुराने क्लासीफिकेशन को तोड़ दिया है। अब तो केवल दो ही श्रेणियां हैं, लेकिन उनमें कहीं भी राजनीतिक और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों का

कोई नाम नहीं है। फिर हम लोग क्या हैं? साधारण तरीके से और कैदियों को जिस प्रकार से रखा जाता है, उसी प्रकार से हमें भी रखा जाता है। चोर और डाकुओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसी प्रकार से हमारे साथ भी व्यवहार होता है। हम यह नहीं चाहते कि उनके साथ अच्छा व्यवहार न हो। हम चाहते हैं कि उनके साथ भी अच्छा व्यवहार हो, लेकिन अगर उनके साथ आप नहीं करते हैं तो हमारे साथ तो कीजिये। लेकिन नहीं, हमको भी पशुवत व्यवहार का शिकार बनाया जाता है जो असह्य है।

हर बार गर्मी के महीने में हम लोग बाहर सोने के सवाल को उठाते हैं। संविधान के अनुसार हमें अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी इच्छानुसार कहीं भी जायं। हम वहां जाते हैं तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह करके जाते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। फिर हमको गर्मी में बाहर क्यों नहीं सोने दिया जाता है? जो अपनी राजी से जायगा वह जेल से क्यों भागेगा। लखनऊ, इस प्रदेश की राजधानी है, उसकी नाक के नीचे से नटवरलाल गिरधारी भाग जाता है और जेल के अधिकारी उसको रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जो स्वतः जेल जाने वाला है, उसे अगर भागना ही हो तो वह वहां जायेगा ही क्यों? जब कोई वीर स्वतंत्रता की लड़ाई के लिये जेल जाता है तो फिर उसको क्यों मजबूर किया जाता है कि गर्मी में वह बाहर न सोये?

अब यह देखा जाय कि जेलों में कितना आटा कुल पकाया जाता है और उसके पकाने के लिये लकड़ी कितनी दी जाती है। एक आदमी को जितनी लकड़ी दी जाती है उसमें पांच छटांक आटा तथा साढ़े सात छटांक रोटी और संख्या में ५ रोटी नहीं पक सकतीं। यह सरकार खुद कच्चा खाने के लिये मजबूर करती है। वह जानबूझकर ऐसा करती है और इसलिये करती है ताकि कच्ची रोटी खाकर उनका पेट रोगी रहे और वे अस्वस्थ रहें और सही मानों में जो स्वतंत्रता की लड़ाई के सिपाही हैं वे सरकार का मुकाबिला न कर सकें। मैं चाहूंगा कि समाज कल्याण मंत्री देखें कि उतनी लकड़ी में उतना आटा पक भी सकता है या नहीं।

अभी लखनऊ जेल में हम गये। मैं किसी अधिकारी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। केवल इतना ही कहूंगा कि एक दिन हमने कहा कि रोटी लाओ भंडारे से। जब यह सुना गया कि रोटी हम खायेंगे तो हमारे लिये अच्छी रोटी सेंक कर लायी गयी, लेकिन वहां जो दूसरे लोगों को रोटी दी गयी वह दूसरी तरह की थी। वही रोटी जो कैदियों को मिली थी, उनसे मांग कर हमने खायी तो उस रोटी में और दूसरी रोटी के वजन में बड़ा फर्क था। क्योंकि जो रोटी हमने मंगायी थी वह अच्छी सेंकी गयी थी, लेकिन जो साधारण कैदियों को दी गयी थी वह अच्छी नहीं सेंकी गयी थी, कच्ची ही थी।

चावल के बारे में जेल मैनुअल में कहा गया है कि चावल का गोला हो, जिसमें वह चावल फटे नहीं। अब कैसा गोला हो, कितना गोला हो, कितना पानी उसमें समाये, इसकी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और आज गीला तथा कच्चा चावल जानवरों की तरह से हमें खाने के लिये मजबूर किया जाता है।

सब्जी की क्या हालत है? मैं यहां के आदर्श जेल की बात नहीं करना चाहता। मैं वाराणसी, मिर्जापुर और नैनी, इन तीनों जेलों में पिछले साल रह चुका हूं। मिर्जापुर जेल में जब मैं गया तो वहां रात को एक बैरक में बन्द हो गया। बैरक कैसा कि बिलकुल सुनसान। बैरक के आगे की जमीन जिसे आंगन कहा जाता है उसमें बड़े बड़े जोन्हरी के पौधे खड़े थे। मैंने कहा कि यहां तो मुझे मच्छर ही काट कर खा जायेंगे जिससे मुझे मलेरिया हो जायगा। और दूसरे दिन सुबह होते-होते मुझे मलेरिया हो गया। फिर आये सिविल सर्जन साहब जो वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं। बाद में मुझे पता लगा कि यहां पर सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब की गाय के खाने के लिये चरी बोयी गयी है। हम सुबह अस्पताल से आ रहे थे तो रास्ते में एक कैदी मूंड़ पर चारा ले जाते हुये मिला जिससे मैंने पूछा कि कहां इसे लिये जा रहे हो तो उसने बतलाया कि सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के यहां ले जा रहा हूं। जब सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब आये तो मैंने उनसे

[श्री राजनारायण]

कह दिया कि यह क्या मामला है कि आपकी गाय के खाने के लिये तो यहां चरी बोयी जाय और हमको मच्छर काट-काट कर मलेरिया पैदा करें। यह वहां की हालत है जिसके ऊपर माननीय समाज कल्याण मंत्री विचार करें।

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो अव्यवस्था जेलों में चल रही है उसको दूर करने के लिए मानवता के मूल्य को सामने रखते हुये चलें। जेल सुधार का बहुत ढोल पीटा जाता है और कहा जाता है कि हमने सम्पूर्णानन्द शिविर खोला है। कांफ्रेंसेज होती हैं। जब सन् ५७ में मैं कानपुर जेल में था उस समय यहां कैदियों की एक कांफ्रेंस हुयी थी। मैंने वहां के सुपरिन्टेन्डेंट से कहा कि मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको वहां नहीं भेज सकते हैं। मुझे बतलाया जाय कि किस अधिकार से मुझे रोका गया? मैंने उनसे यहां तक कहा कि अगर आपको इस बात में दिक्कत हो कि जितने कैदियों के ले जाने के लिये आपको पैसे दिये गये हैं उससे अधिक यह होता है तो मैं अपने पास से पैसे देने के लिये तैयार हूं, मुझे अपने खर्चे पर वहां भेज दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने चीफ मिनिस्टर को तार भी दिया लेकिन मेरे तार को देर करके भेजा गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया जब कि उसमें कोई राज या भेद नहीं था?

सन् ५६ में हरिजन मंदिर आन्दोलन के सिलसिले में मैं वाराणसी जेल में था। वहां पर पर एक बंगला बनाया जा रहा था जिसमें कैदियों से काम लिया जा रहा था। मैंने वहां के सुपरिन्टेन्डेंट से कहा कि मुझे भी उस बंगले के काम में लगाया जाय। इस पर उन्होंने कहा कि चूंकि आप सुपीरियर क्लास के कैदी हैं इसलिये आप को उस काम में नहीं लगाया जा सकता। इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि मैं सुपीरियर क्लास नहीं चाहता हूं, मुझे साधारण क्लास का कैदी ही समझा जाय, लेकिन मुझे उन कैदियों के साथ काम करने को भेजा जाय। फिर एक झूठी रिपोर्ट सिविल सर्जन ने लिख कर दे दी कि मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं उस काम को कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे वहां भेज कर देख लिया जाय, अगर मैं दो चार टोकरी मिट्टी ज्यादा फेंक दूं जैसा कि और कैदी फेंकते हैं तो उसी से मालूम हो जायगा कि मैं वहां काम कर सकता हूं या नहीं। लेकिन मेरी बात नहीं मानी गयी। इसका भी कुछ कारण है। कारण यह है कि जेल ऐडमिनिस्ट्रेशन वही है जो पहले था। वही चीज आज भी चलती आ रही है। जेल का अधिकारी जो सुपरिन्टेन्डेन्ट है वही सर्वेसर्वा है, वही जो चाहे करे लेकिन उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। सबसे पहले आंच गेट कीपर पर आयेगी, उसके बाद चीफ वार्डर पर आयेगी, उसके बाद असिस्टेन्ट जेलर पर, उसके बाद डिप्टी जेलर पर और उसके बाद जेलर पर आयेगी। उसके बाद सुपरिन्टेन्डेन्ट से केवल यही पूछा जायगा कि यह क्या हुआ? इस पर वह कह देगा कि हमने फलां फलां की ड्यूटी लगायी थी और फलां फलां ने अपनी ड्यूटी नहीं दी। यह भी देखा जाय कि अगर सही मानों में फंसा है जेलर तो वह कोशिश करेगा कि डिप्टी जेलर फंस जाय और अगर वह तगड़ा हुआ तो वह ऊपर के तीनों मिल जायेंगे और उन सबको एक कान्सपिरेसी होगी और आखिर में गेट-कीपर पर ही आ बनेगी। मैं हर जगह की ऐसी चीजें साबित करने को तैयार हूं।

जहां तक आप कैदियों के खाने और सोने की मुसीबत को देखें, चाहे बनारस की बात हो या किसी दूसरी जगह की बात हो, वहां पर छतों पर बड़े बड़े बिसखपड़ा चढ़े रहते हैं। अगर किसी को काट ले तो बच नहीं सकता। इमारत पुरानी है, बरसात में पानी आता है खपड़े टूटे रहते हैं कोई ऊपर चढ़ कर ठीक करना चाहे तो कहा जाता है कि लकड़ी कमजोर है ऊपर न चढ़ना सारी छत गिर पड़ेगी, सुपरिन्टेन्डेन्ट कहते हैं कि इंजीनियर की हिदायत है कि ऊपर न चढ़ना सारी लकड़ी नीचे आ गिरेगी। सोने के लिए बर्थ बने हैं टेढ़े-मेढ़े, तिरछे बांके, ऊंचे-नीचे। कितना ही स्वस्थ आदमी हो वह वहां जाकर घट जायगा, आदमी वहां जाकर अष्टावक्र हो जायगा, यानी उस के बदन में ८ घुमाव हो सकते हैं। वहां ऐसे जहरीले जानवर हैं कि आप को भी खा सकते हैं, ईश्वर न करे कि ऐसी नौबत आये।

वहां की तरकारियों की बात सुनिये। जो सब से बढ़िया सब्जी होती है उस की डाली फर्स्ट क्लास, सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के यहां लगाई जाती है, उसके बाद सभी दूसरे अफसरों के यहां डाली

लगती है। वार्डर टापता रहता है, इस की कोई परवाह नहीं की जाती कि सड़ी सब्जी को खिलाकर क्या हाल होगा, खाद्य है या अखाद्य है कौन देखे। मुझे तो कोई साल नहीं जाता कि जेल न काटनी पड़ती हो यह सही है कि मैं आरम्भ में सुपीरियर क्लास में रखा जाता हूं, लेकिन जब सब के साथ अन्य साथियों को साधारण क्लास दिया जाता है तो मैं भी सुपीरियर क्लास छोड़ता हूं और अन्य सामान्य कैदियों के साथ नीचे के दर्जे में रहता हूं। वाराणसी में ४ मास तक नीचे के क्लास में मैं रहा, कानपुर में जब तक अकेला था सुपीरियर में रहा। वही सड़ी गली तरकारी मिलती है। वहां काशीफल, कुम्हड़ा और कद्दू में कोई अन्तर ही जेल मैनुअल में नहीं है। एक पाव कटहल मिलता है, लेकिन वह भी छिलके के साथ देंगे। कहा गया बनारस में कि छिलके के साथ क्यों देते हैं, लेकिन फिर भी छिलके के साथ ही देते हैं।

इसी तरह से दवा के बारे में मेरा निश्चित मत है कि जेल अधिकारियों को जेल अस्पताल से दवा न मिलनी चाहिये। मैं साबित कर सकता हूं कि जेल अधिकारियों के रिश्तेदारों को बनारस, देवरिया, गोरखपुर तक दवायें जाती हैं और रजिस्टर में लिखा जाता है कि दवा कैदियों को दी गई, मैं इस को साबित कर सकता हूं। क्यों सरकारी अधिकारियों को वहां से मुफ्त दवा मिलती है उन की व्यवस्था अलग हो। क्यों हमारे यहां से दवा उन के लिये जाती है, सारी दवा गायब हो जाती है और वही १८ नम्बर मिक्सचर कैदियों को बटा करता है। इस तरह का निन्दनीय, घृणित और पाशविक व्यवहार किसी भी सभ्य समाज की सरकार अपने कैदियों के साथ नहीं कर सकती।

अब थोड़ा सा सरकारी कर्मचारियों के विषय पर आता हूं। यह जेल मैनुअल है, इसमें जो फ्लैग लगे हैं वह हमारे सारे चैप्टर मंत्री जी पढ़ें। संविधान में लिखा हुआ है समान काम के लिये समान तनख्वाह। असिस्टेन्ट जेलर, डिप्टी जेलर और जेलर, कहीं भी देखा जाय, असिस्टेन्ट जेलर और डिप्टी जेलर के काम में कोई फर्क नहीं है। सारी जेल मैनुअल में देखा, लेकिन कहीं कोई अन्तर नहीं पाया। शैक्षिक योग्यता दोनों की देखी जाय Jail Manual, para 973(A), "minimum qualification for both cadres is intermediate." दोनों के लिये, इन्टर एक ही शिक्षा की योग्यता है। ड्यूटी देखी जाय "Duties in jail are executive and clerical mixed. Jailor, Deputy Jailor, Assistant Jailor have to perform these mixed duties. पैरा २० प्रिजन ऐक्ट को देखें "Both shall be competent to perform the duties of a jailor with all responsibilities. असिस्टेन्ट जेलर और डिप्टीजेलर के जो कर्त्तव्य और दायित्व हैं वह दोनों का पालन करेंगे। "Where a Deputy Jailor or Assistant Jailor is appointed to a prison he shall subject to the orders of the Superintendent be competent to perform any of the duties and be subject to all the responsibilities of a Jailor under this Act." चाहे वह डिप्टी जेलर हो या असिस्टेन्ट जेलर हो उसके अन्दर वह योग्यता और क्षमता होनी चाहिये जो सुपरिन्टेन्डेन्ट के आदेशों के मातहत जेलर के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सके। पैरा ७५० जेल मैनुअल में दिया हुआ है : "Both shall do locking and unlocking of jails." दोनों का कर्त्तव्य है कि जेल को बन्द करायें और खुलवायें। ७६८ (३) में लिखा है : "Both shall be responsible for the prisoners roll call and all duties of watch and ward inside the barracks." दोनों जिम्मेदार होंगे तमाम कैदियों को देखने के किस तरह से बैरिकों में रह रहे हैं। पैरा ११५४ देखें "In case of leave arrangement charge of an Assistant Jailor can be held by Deputy Jailor or vice versa." छुट्टी के समय असिस्टेन्ट जेलर का चार्ज डिप्टी जेलर ले सकता है। या डिप्टी जेलर अगर छुट्टी पर हो तो असिस्टेन्ट जेलर उसका चार्ज ले सकता है। पैरा ११८३ देखें "Both Deputy Jailor and Assistant Jailor can perform the duties of a Jailor." दोनों जेलर का काम पूरा कर सकते हैं। पैरा ११८७ और ११८८ देखें "Both Deputy and Assistant Jailor are responsible for admission and release of prisoners. Both shall make night rounds." दोनों कैदियों को छोड़ने और लेने के लिये जिम्मेदार हैं और दोनों रात को गश्त लगायेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। पैरा १२९० देखें। "Both Assistant Jailor and Deputy Jailor shall wear the same uniform." दोनों एक सी वर्दी पहनेंगे।

[श्री राजनारायण]
कहीं भी दोनों के कर्तव्यों में और और अधिकारों में असमानता नहीं है। मगर फर्क तनख्वाह में है। असिस्टेंट जेलर ८०-१२० रु० वाले स्केल में है और डिप्टी जेलर १२० रु० से शुरू करता है। यह अन्यायपूर्ण क्यों है? डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल लिये जाते हैं जेलर से, लेकिन जब सुपरिन्टेन्डेन्ट कहीं का हटता है तो बेचारा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ताकता रहता है जिसको शुरू का काफ़ी अनुभव रहता है मगर जेलर सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं बनाया जाता है और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं बुलाया जाता। यह भ्रष्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन और किसी प्रदेश में नहीं है, सिवाय उत्तर प्रदेश के।

अब इधर लेटेस्ट आर्डर्स गये हैं कि डिप्टी जेलर ग्रेजुएट्स लिये जायं और असिस्टेन्ट जेलर के लिये क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडियेट ही रहने दी गई। मगर जब से असिस्टेंन्ट जेलर्स की नियुक्ति हुई है उनमें ८० फ़ीसदी असिस्टेन्ट जेलर ग्रेजुएट हैं। यह मैं कहना चाहता हूं कि आज भी ग्रेजुएट हैं। इसलिये ये विषमतायें दूर हों। हम जो कैदी बन कर आगे जेल जाने वाले हैं हमको मानव मान कर व्यवहार किया जाय।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि मुल्क को आजाद होने के बाद जेल का तजुर्बा भाई राजनारायण जी को जितना है दूसरे को नहीं हो सकता। इसलिये जो बातें माननीय सदस्य राजनारायण जी ने कही हैं उनमें जितनी सही और उचित हैं उन पर मुझे विश्वास है कि जेल मन्त्री महोदय ध्यान देंगे।

इस सिलसिले में एक बात और कहूंगा कि जेलों में सुधार कुछ जरूरत से ज्यादा नजर आ रहे हैं। जब मैं अपने यह विचार व्यक्त करता हूं तो सोचता हूं कि जेलों में जो इस तरह से सुधार किये जा रहे हैं क्या वे ऐसा आकर्षण तो पैदा नहीं कर रहे हैं जिससे उनको जेल जाने की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि नानक सागर मझोला की एक स्कीम है जिसमें २,८४,५९२ रु० ७७ नया पैसा कैदियों ने कमाया है मजदूरी के रूप में और १,७४,९४३ रु० १७ नया पैसा राज्य सरकार को अनुरक्षण व्यय के रूप में दिये। इसी तरह धर्राकुंडी के बन्दी निवासियों ने मजदूरी के रूप में ४,७५,२१९ रु० ५९ नये पैसे कमाये और जनवरी से दिसम्बर, ५९ तक की अवधि में २,४७,२३६ रु० २५ नये पैसे राज्य को अनुरक्षण व्यय में दिये।

इसी तरह रोजगार के दिलाने के सिलसिले में भी आप देखें कि कुछ इस तरह की चर्चा है इस पुस्तिका में कि उनको जेल से छूटने के बाद एक कंसेशन प्राप्त होगा और उनके प्रार्थना पत्र पर सर्विस जल्दी मिल सकेगी। इसका कुछ कंसिडरेशन सरकार की तरफ से संभवतः किया जायगा और आम तौर पर चर्खे की योजना है। जेल के भीतर वे ट्रेंड किये जायेंगे और बाहर आ कर वे फिर सर्विस पायेंगे, अनुदान पायेंगे।

मुझे ऐसा लगता है कि इस समय समाज की जो आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति है उसके अन्तर्गत यह आकर्षण कुछ कम खतरनाक नहीं है लोगों की उस मनोवृत्ति को प्रेरित करने में जिसके तहत लोग जेल जाना ही अधिक पसन्द करेंगे। क्या यही कारण तो नहीं है कि बार बार यह आन्दोलन चलाया जाता है और उनमें कुछ लोग इसीलिये ज्यादा हिस्सा लेने लगते हैं। क्या माननीय मंत्री मेरे इन सुझावों को ध्यान में रखते हुये इन राजनीतिक जमातों की तरफ से चलाये गये आन्दोलनों में जो व्यक्ति जेलों के अन्दर जा रहे हैं उनकी सामाजिक,आर्थिक शैक्षिक स्थिति की जांच कराने की कृपा करेंगे। मुझे तो लगता है कि यदि यह जांच कराई जाय तो यह बात साफ़ प्रकट हो जायगी कि इस तरह के लोग आज जेलों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं।

एक बात मुझे और कहनी है। कहा गया कि फोन इस्तेमाल कौन करता है। जेलों के अन्दर जो कैदी (बन्दी) हैं उन्हें भी फोन इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाय तभी फोन का इस्तेमाल ठीक माना जायगा। तो क्या प्रत्येक कैदी को फोन इस्तेमाल करने की इजाजत दी

जाय ? जेल के अन्दर कोई घटना हो जाय तो फोन का इस्तेमाल अधिकारी वर्ग करते ही हैं, लेकिन क्या इसकी सहूलियत चाही जा रही है कि बाहर से सम्पर्क कायम करने की आजादी मिल जाय फोन के जरिये से। यदि यह मंशा है तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि फिर जेल जेल नहीं रह सकती। जेल तो कुछ दूसरी ही चीज बनेगी। जो थोड़ा बहुत डर शेष रह गया है वह भी निकल जायगा। मुझे इस विषय पर कुछ ज्यादा कहना नहीं, मगर इत्तफाक से जिस अनुदान पर मैं बोलना चाहता था उस पर बोलने का मुझे मौका नहीं मिला। इसलिये मैं किसी तरह से उस घटना को इसमें शामिल कर रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई नियम इस तरह का बनना चाहिये, जेल जाने का ही बने तो कोई बुरी बात नहीं होगी कि इस माननीय सदन में बैठ कर जब हम गलत बयानी करना शुरू करते हैं तो हम लोगों के लिये भी जेल जाने का नियम बनना चाहिये। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, २७ फरवरी, १९६० को इसी सदन के एक माननीय सदस्य, अवधेशकुमार साहब ने एक बयान दिया और यह कहा कि क्षेत्रीय एम० एल० ए० ट्रक में पुलिस भर कर ले गये और बाड़ी के अस्पताल को उठवा लाये, यह बिल्कुल असत्य है।

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर। माननीया, माननीय अवधेशकुमार जी यहां नहीं हैं और हमारे लायक दोस्त, माननीय ताराचन्द जी एक ऐसी घटना का वर्णन कर रहे हैं जिसके बारे में सदन में माननीय विचित्रनारायण जी शर्मा, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग यह कह चुके हैं कि जिस प्रकार से बाड़ी का अस्पताल हटा कर लाया गया है वह आपत्तिजनक है, खेदजनक है और उसमें उन्होंने यहां तक कहा इसी सदन में कि कलेक्टर भी सस्पिशन के ऊपर नहीं रहा। मुझे उसकी पूरी जानकारी है। अवधेशकुमार जी ने जो बात कही है उसकी मैंने स्वतः जानकारी की है. . . .

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री राजनारायण--फिर यह घटना जेल विषय से संबंधित नहीं है। अगर वह जेल गये हों, वहां उनको कोई परेशानी हुई हो तो उस को कहें।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, आप अपने जवाब में प्रतिकार के रूप में कह दीजियेगा और माननीय सदस्य से मैं कहूंगी कि वह विषय पर आ जायं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मैं विषय परही आऊंगा और विषय पर हूं भी। लेकिन जिस प्रकार मेरे क्षेत्र की बात कही गयी उसमें अगर मुझे स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जाता और दूसरे माननीय सदस्य उस स्पष्टीकरण को आज भी कहने की इजाजत चाहते हैं, उस पर मैं आप की व्यवस्था चाहूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में वह बात थी और क्षेत्रीय एम० एल० ए० का उस में जिक्र था। मैं जिस बात को कह रहा था सम्भव है कि आज के इस विषय से उसका विषयान्तर हो, लेकिन मैं तो निवेदन यह कर रहा हूं कि यदि इस माननीय सदन के सदस्य अपनी जिम्मेदारी को पूर्णरूपेण न निभायें,हम इस तरह की बात करना शुरू करें कि उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो मैं नहीं समझ सकता कि हम भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। माननीय राजनारायण जी ने स्वायत्त शासन के मंत्री द्वारा की गयी चर्चा का जिक्र किया है। वह इस समय अनुपस्थित हैं, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्री ने यह बात एक बड़े पैमाने पर कही थी। सम्भव है इस सम्बन्ध में मेरा और उनका पत्र-व्यवहार चले और चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय एम० एल० ए० का जिक्र नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि माननीय राजनारायण जी को उनका हवाला देने की कैसे जरूरत पड़ी।

अन्त में मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुये यह निवेदन करूंगा कि सुधारों की कुछ इस तरह की घुड़दौड़ न जारी की जाय कि जिससे लोगों को जुर्म करने की मनोवृत्ति में प्रोत्साहन मिले।

श्री झारखंडे राय—माननीया, भाई राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उस की ताईद करता हूं। उन्होंने जिस विस्तार से आज भी जेलों के अन्दर जो कुव्यवस्था और बदइन्तज़ामी फैली हुई है या जो कुछ उन्होंने अपने अनुभव से या जेल का मुआयना करके या अन्य तरीकों से जानकारी हासिल की है और जितनी तफसील से सब बातें कहीं हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनको दोहराऊं। मैं केवल दो एक बात कह कर ही समय का सदुपयोग करना चाहूंगा। भाई माहेश्वरी जी ने जो तकरीर की है, मैं समझता हूं कि वह मौजूदा सरकार के पूरे दृष्टिकोण के ठीक उल्टी है। इस सरकार का दृष्टिकोण यह है कि बंदीगृह दंड के स्थान नहीं हैं बल्कि सुधार के स्थान हैं। यह सरकार ने मूल रूप से स्वीकार किया है। उनकी पूरी तकरीर इसके उलटी थी। जो प्रगति हो रही है उसकी रफ्तार उनको बहुत तेज दिखाई पड़ी। कुछ होते हैं ऐसे लोग समाज में जिनको गाड़ी की रफ्तार तेज मालूम होती है और वह चाहते हैं कि समाज के रथ के धुरे को पीछे खींचा जाय। ऐसे लोग घोरतम प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं। यह तकरीर भी इसी प्रकार की रही है।

माननीया, आजादी के इतने दिनों के बाद भी इस बात की कमी को सब लोग महसूस करते हैं और उधर के लोगों को भी करनी चाहिये कि आज भी कोई पोलिटिकल क्लास कैदियों की नहीं बन सकी है। इसके लिये आजादी की लड़ाई के दौरान में कितने संघर्ष हुये जेलों में, अंडमन में, मांडले में, उस की कहानी यहां कहना समय का दुरुपयोग करना है। वह सदन के माननीय सदस्यों को बहुत कुछ मालूम है और इस पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। जो उधर बैठते हैं यानी जिनका शासन है वह सोच सकते हैं कि इससे हम विरोधी फायदा उठायेंगे। लेकिन इधर के और उधर के बैठने वालों में अदला बदली हो सकती है और उस की प्रक्रिया भारत में शुरू हो गई है। पंजाब में कुछ दिनों के लिये ऐसी गवर्नमेंट बनी थी जो कांग्रेस की नहीं थी। केरल में भी एक सरकार दूसरी पार्टी की बनी और पता नहीं १९६२ में क्या होगा? इस संविधान के मातहत और प्रजातंत्र के नियमों के चलते हुये यह पूरी संभावना है कि यहां के लोग वहां बैठ सकते हैं और वहां के लोग यहां बैठ सकते हैं। इस हालत में जिन लोगों को वैसे आन्दोलन चलाने पड़ेंगे जैसा कि केरल में चलाना पड़ा और बहुत ही गये गुजरे लोगों के साथ मिलकर। सभी को मालूम है कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन का मामला है। अगर जेलों में पोलिटिकल क्लास कैदियों के लिये बन गई तो उसका लाभ हमीं लोगों को नहीं होगा बल्कि उधर जो बैठे हैं उनको भी हो सकता है और होना चाहिये। इसलिये यह एक सिद्धान्त की बात है और इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिये। सचमुच में सरकार जिस पार्टी के हाथ में है उसने भी माना था कि जब उनका राज्य होगा तो जेलों में विशिष्ट प्रकार से उन लोगों को रखा जायगा जो आन्दोलनों में जेल जायेंगे। मेरा विश्वास है कि सरकार इस पर झुकेगी और उदारता पूर्वक इसको मानेगी।

अब इसके नियम कैसे बनाये जायं। यह विस्तार की बात है। लेकिन हिन्दुस्तान में कम से कम जो दल मान्यता प्राप्त हैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा, उनके द्वारा संचालित आन्दोलनों में जो लोग जेल जाते हैं उनके साथ जरूर ऐसा बर्ताव होना चाहिये जो आम कैदियों से अलग हो। नीयत सब से बड़ी चीज होती है। ३०२ कत्ल की धारा है। एक हत्यारा कत्ल करता है, एक कत्ल साम्प्रदायिक उद्देश्य से होता है और एक कत्ल भगतसिंह तथा आजाद ने किया जो शहीदों में शिरोमणि रहे हैं। तो नीयत ही बड़ी होती है। जेल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पैनल कोड की धाराओं के अन्तर्गत ही जाते हैं। लेकिन किस नीयत से अपराध होता है इस को देख कर ही हम तय कर सकते हैं कि किस प्रकार का कैदी है और अंग्रेजी हुकूमत में भी यह हुआ। कोई अलग क्लास नहीं मानी गई लेकिन आई० जी० प्रिजन्स उस समय की सरकार ने और स्थानीय जेल वालों ने उनके साथ अलग से व्यवहार किया। जैसे अलग बैरकों में रखा और कुछ सुविधायें भी दीं। वैसे अमल में यह हुआ है कि लेकिन कागज में, सिद्धान्त में तथा थ्योरी में मानने में न जाने सरकार को क्यों हिचक हो जाती है। जो कागजात सरकार के पास जेलों के बारे में गुप्त रहते हैं ऐसे कैदियों के बारे में, उनमें लिखे

रहते हैं, कोई प्रो-कम्युनिस्ट, कोई ट्रेड यूनियनिस्ट और न मालूम क्या-क्या संज्ञाएं लिखी रहती हैं। जेल में, व्यवहार में इसको बरतते हैं लेकिन लिखने में हिचकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को १२ वर्ष के बाद, हिन्दुस्तान की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में, जब कि उनको भी केरल में आन्दोलन चलाना पड़ा, जिसका उन्हें बड़ा गर्व है, तो अब इस बात को मान लेना चाहिये। उसका लाभ जो इधर बैठे हैं, केवल उनको नहीं होगा, एक मई से राजनारायण जी जो आन्दोलन चलाने वाले हैं, उनको ही नहीं होगा बल्कि उधर के पक्ष वालों को भी हो सकता है। इसलिये पोलिटिकल प्रिजनर्स का अलग क्लास सरकार जरूर बनाये।

असिस्टेन्ट जेलर और डिप्टी जेलर के बारे में राजनारायण जी ने काफी विस्तार से कहा है। मैं चाहता हूं कि इन दो कैडरों का भेद भाव जो बिलकुल कृत्रिम और निरर्थक है उसको मिटा दिया जाय। पुराने जमाने में जब कि हम लोग वर्षों जेल में रहे तब भी देखा है उनके कार्य में कोई भेद नहीं है। जेल मैनुअल में तो भेद है ही नहीं, रोज की जिंदगी में व्यवहार में भी कोई अन्तर नहीं है। इसका नुक्सान यह होता है कि असिस्टेन्ट जेलर और डिप्टी जेलर में हमेशा हार्ट बर्निंग चलती रहती है। इसका अन्त हो जायगा अगर दोनों कैडरों को मर्ज करके एक कर दिया जाय। असिस्टेन्ट जेलर्स में जांच-पड़ताल करके, उन्हीं में से डिप्टी जेलर नियुक्त किये जायं। इस तरह से सरकार की बचत भी होगी। मेरा खयाल है कि कम से कम सरकार का पांच हजार रुपया बचेगा। तो यह फाइनेंशल इकोनोमी के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। मुझे मालूम है कि सरकार के पास इस प्रकार के प्रार्थना पत्र असिस्टेन्ट जेलर्स की तरफ से आये हैं, लेकिन सरकार ने विचार नहीं किया। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर मंत्री जी जरूर स्पष्टीकरण करें।

जहां तक सम्पूर्णानन्द शिविर की बात है, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह एक अभिनव प्रयोग है और इस प्रयोग की मैं प्रशंसा करता हूं हम लोगों ने बराबर महसूस किया कि जो भी कैदी जेल में जाते हैं उनकी श्रम शक्ति का दुरुपयोग होता है। व्यर्थ के काम दंड के दृष्टिकोण से लिये जाते हैं जिनसे न समाज का लाभ होता है, न उसका लाभ होता है और न सरकार का लाभ होता है। उसके बाद एक दिशा निकाली गयी कि शिविर बना कर उनसे ऐसे उपयोगी कार्य कराये जायं जो हमारे देश के विकास में सहायक हों। मैं इस दम की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह प्रयोग और विस्तृत किया जाय। लेकिन एक बात है। चाहे मिर्जापुर हो या नानकसागर हो, जहां पर भी यह काम हो, वहां पर काम करने की जो स्थिति है वह बड़ी सख्त है, काम भी सख्त है, लेकिन सख्त काम होते हुये भी जितनी सुविधायें कि वहां पर अगर मामूली मजदूरों से भी काम कराया जाता तो उन्हें हासिल होतीं, वह सुविधायें इन बन्दियों को नहीं हासिल होतीं। इनके साथ उस दृष्टिकोण से काम कराया जाता है कि ये बन्दी हैं, ये एक तरह के ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी उदारता, दया या अच्छे भावों के पात्र ही नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए और किसी बांध पर हो या कहीं पत्थर तोड़ने का कार्य हो, या जो कुछ भी कार्य हो, उसमें मामूली मजदूरों से जैसे काम कराते हैं, उन्हें जो सुविधायें, जो सद्व्यवहार या जो अच्छे तरीके उन्हें प्राप्त होते हैं ट्रेड यूनियन ऐक्ट के मुताबिक या लेबर ला के मुताबिक, उसी प्रकार की सुविधायें उनको भी मिलना चाहिए। इसकी ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमको ऐसी शिकायतें मिर्जापुर से भी और नानकसागर तथा और-और जगहों से भी मिलती रहती हैं कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। इसका अन्त होना चाहिए। केवल यह दिखला कर कि कुछ मजदूरी पा लिया, या इतना रुपया कमा लिया, इतने से ही कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होगा तो और कैदियों में यह प्रोत्साहन नहीं पैदा हो सकता है कि हम भी जेल के अन्दर से अलग हो करके खुली हवा में चलकर कुछ अच्छा काम करें ताकि छूटते समय कुछ आमदनी भी यहां से लेकर जांय जिससे कि हमारे आगे के जीवन में कुछ सहूलियत पैदा हो। इन शब्दों के साथ मैं जो हमारे साथी राजनारायण जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि सरकार इन चीजों पर विचार करे।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैंने भाई राजनारायण सिंह जो की बात सुनी। जहां तक कि उनका यह कहना है कि मिर्जापुर जेल में सुपरिन्टेन्डेन्ट को गाय के लिए घास लगी थी, मच्छर काटते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेल के अन्दर दीवार खराब हो, ठीक होनी चाहिए, छत खराब हो, ठीक होनी चाहिये, इसमें भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन जब भाई राजनारायण जी ने यह कहा कि जैसे जेल ब्रिटिश शासन काल में थी, वैसे ही जेल की हालत आज भी है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। माननीया, मुझे भी सन् १९३२ में, १९४१ में, १९४२ में, और १९४३ में जेल में रहने का सौभाग्य हुआ है। सन् १९३२ के जेल की हालत मुझे मालूम है कि जब तक हम जेल में रहे, यह नहीं देखा कि गुड़ कैसा होता है। जेल से छूटने के बाद ही गुड़ देखने को नसीब हुआ। सन् १९३२, ४२ और १९४३ में जेलों के अन्दर समाचार पत्र हम---तिकड़म एक शब्द होता है---तिकड़म से मंगाया करते थे और पढ़ते थे। कोई चीज पढ़ने या लिखने को नहीं मिलती थी। हम प्रार्थना नहीं कर पाते थे। मुझे आजमगढ़ जेल की हालत याद है कि सन् १९४२ में प्रार्थना करो या न करो इस चीज को लेकर बड़ा संघर्ष, हुआ और उस पर गहरा लाठी चार्ज हुआ। हम सब को काफी चोट आयी और बहुत काफी संघर्ष के बाद यह मौका मिला कि हम जेल में प्रार्थना कर सकते थे और हमने प्रार्थना की। लेकिन आज मैं देखता हूं अपने आजमगढ़ जिले की जेल में, सुबह के वक्त कैदी प्रतिदिन बहुत आराम के साथ प्रार्थना करते हैं।

मुझे जेल विजिटर की हैसियत से आजमगढ़ जेल का मुआयना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने वहां देखा और जब कि हमारे सोशलिस्ट पार्टी के भाई सत्याग्रह किये हुये थे, तो मैं स्वयं गया और उनसे मिला। मैंने उनसे मिलकर पूछा कि कोई आपको तकलीफ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई तकलीफ नहीं है। वह सी क्लास के बन्दी थे। लेकिन उनको खाना बनाने के लिये सारी सुविधा दे दी गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई शिकायत हो तो बतलें, उन्होंने कहा कि सब ठीक है। मैंने सब चीज देखी, सब्जी देखी, दाल देखी, आटा देखा जो चीजें सी क्लास के बन्दियों को मिलती हैं, सभी चीजें ठीक थी। उनमें कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने केवल एक शिकायत यह की कि हमको जो कोयला या लकड़ी दी जाती है वह कुछ अपर्याप्त है। मैंने अपने इंसपेक्शन नोट में लिखा कि कैदियों को खाना पकाने के लिये लकड़ी या कोयले की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। उसके बाद जब मैं गया और जेल के इंस्पेक्शन नोट को देखा तो उसमें हमारे विरोधी भाई भी जो जेल को देखने गये थे, उन्होंने भी अपने इंसपेक्शन नोट में उसकी तारीफ लिखी थी। रोटी ठीक है, चावल ठीक है, दाल ठीक है, सब चीज ठीक है। और मैं जब जब गया तो इत्तफाकिया गया और रोटी जहां रखी थी उसके बीच में से मैंने रोटी निकाल कर देखी, रोटी बिलकुल ठीक थी।

(इस समय २ बज कर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जो रोटी सन् १९३०, १९३२ और १९४२ में हमको खाने को मिलती थी उसका और इस रोटी का कोई मुकाबिला नहीं था। तो खाना बिलकुल ठीक है, रोटी बिलकुल ठीक है। सी क्लास के बन्दियों को पहले तीन महीने में एक पत्र मिलता था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि बड़े मजे से लोग पत्र लिखते हैं, मिलते हैं और अखबार पढ़ते हैं, अपनी बन्दना करते हैं। इस तरह की चीजें आज जेल के अन्दर हैं। इसलिये जो शिकायत यहां पर की गई वह निर्मूल है।

मैं यह भी देख रहा हूं कि जेल के अन्दर बहुत से आमूल परिवर्तन हुये हैं। कैदियों को किताबें मिलती हैं, उनको वह पढ़ते हैं। मुलाकात ठीक से होती हैं। एक बात मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे जो पोलिटिकल सत्याग्रही हैं जब वे जेल में जाते हैं तो उनको अलग रखना चाहिये। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये हमको चन्द इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये कि अक्सर कैदी को जो जेल में जाते हैं उनमें कुछ तो हैबीचुअल होते हैं और कुछ इत्तफाक से कोई वाक़या हो गया, मर्डर हो गया, फौजदारी हो गई, तो इस किस्म के कैदी भी जाते हैं।

मेरा सुझाव यह है कि जो हैबीचुअल चोरी करने वाले, डाका डालने वाले १०९ के कैदी हैं और कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो फौजदारी कर के या बलवा करके या इत्तफाक से मर्डर कर के जेल में चले जाते हैं तो ऐसे कैदियों को उनसे अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिये। जेल में यह होता है कि कोई कैदी मामूली चोरी कर के जेल में आता है या कोई डाका डाल कर आता है या कोई हैबीचुअल होता है तो इन सब को साथ में रख दिया जाता है। तो जो मामूली कैदी नातजुर्बेकार होता है वह इन कैदियों के साथ रहने से पूरा तजुर्बेकार होकर जेल से निकलता है। मेरा यह निवेदन है कि उन हैबीचुअल कैदियों से अलग इन साधारण कैदियों को रखने की व्यवस्था होनी चाहिये।

एक चीज और है कि कैदी जब जेल में जाता है तो उसको परिश्रम के रूप में सजा या दंड वहां पर मिलता है। मैं समझता हूं कि उनके मानसिक सुधार के लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे यहां सब धर्मों में चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख कोई भी किसी धर्म का हो उसके ऊपर धर्म का एक अंकुश-सा रहता है जो उसको बुराई करने से रोकता है। तो जेल के अन्दर, चाहे इसमें कुछ पैसा ही क्यों न खर्च करना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये १० दिन में या १५ दिन में एक बार नहीं, बल्कि वहां उन कैदियों के लिये दोनों वक्त प्रति दिन कुछ प्रार्थना या उपदेश मिल सके ताकि जब कैदी जेल से बाहर आये तो उसके ऊपर धार्मिक भावना का पूरा असर हो। इस तरह से कुछ धार्मिक मनोवृत्ति पैदा करने की चेष्टा करनी चाहिये।

श्रीमन्, अक्सर मैंने कैदियों के विषय में यह पढ़ा है कि विदेशों में कैदियों के अन्दर जो अपराध की मनोवृत्ति होती है उसका पता वहां पर बड़े-बड़े विद्वान लगाते हैं। तो हमारे यहां की-जेलों में भी जो बड़े-बड़े कैदी होते हैं और शातिर कैदी होते हैं उनके लिये इस तरह का कुछ प्रबन्ध होना चाहिये, इस तरह का सरकार को कुछ कदम बढ़ाना चाहिये कि उनकी मनोवैज्ञानिक ढंग से जांच हो सके। मनोवैज्ञानिक ढंग से उनकी जांच की जाय और पता लगाया जाय कि आखिर वह अपराध की मनोवृत्ति किस प्रकार से उसमें आई। इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

एक चीज यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जेल मैनुअल के मुताबिक दो कैदी ३० सेर गल्ला पीसते हैं। शायद अब वह गल्ला नहीं पीसा जाता। मैंने देखा है बाहर से पीस कर आता है। मैं यह समझता हूं कि ३० सेर न सही १५ सेर या २० सेर गल्ला तो जरूर जेल में कैदियों से पिसाया जाय। जैसा कि झारखंडेराय जी ने कहा कि शायद हमको जाना पड़े पर इसलिये नहीं बल्कि इसलिये कि हाथ से पीसा हुआ आटा स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छा है। तो कुछ न कुछ १५ या २० सेर गल्ला पिसाने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि उन लोगों का स्वास्थ्य सुधरे।

एक बात माननीय झारखंडेराय जी ने यह कही कि कांग्रेस ने लीग से गठबंधन केरला में किया और एक नया तजुर्बा किया। मुझे इसके बारे में यह निवेदन करना है कि जहर उतारने के लिये जहर का इन्जेक्शन देना पड़ता है। एक चीज वहां पर हुई। उस जहर को निकालने के लिये जहर का इन्जेक्शन दिया गया। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। उन पार्टियों ने आपस में मिलकर उन लोगों को प्रभावित किया और अपना काम निकाला। हर पार्टी जनता के लाभ के लिये ऐसा करती है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप के द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे लखीमपुर जिले में क्या बात है कि जब हम चाहते हैं कि जेल में जा कर निरीक्षण करें तो हम को वहां जाने नहीं दिया जाता। तो वे इस बात को साफ कर दें कि मामला क्या है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका जवाब दे दिया जायगा। लिख कर भेज दें तो और आसानी होगी।

*आचार्य दीपङ्कर (जिला मेरठ)—मान्यवर, मैं केवल ८, १० छोटी-छोटी बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहला सवाल तो जैसा माननीय राजनारायण जी ने कहा, सहायक जेलर और डिप्टी जेलर के सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय हमारे प्रदेश में करीब २१० सहायक जेलर और १२० डिप्टी जेलर हैं और उन लोगों का ग्रेड ८५—५—१२०—ई० बी०—८—२०० और १२०—८—२००— ई० बी०—१०—३०० रुपये का है। इसके अलावा यह दोनों सेवायें इंटरचेंजेबिल हैं। एक के स्थान पर दूसरा कार्य कर सकता है। उनकी योग्यता भी एक प्रकार से समान ही है। उनका ग्रेड जिस प्रकार का है उसमें अगर सहायक जेलर से प्रमोशन पा कर कोई व्यक्ति डिप्टी जेलर या जेलर होता है तो उसमें कोई बेतरतीबीपन नहीं होने पाता। इसके अलावा सहायक जेलर की नियुक्ति आई० जी० प्रिजन्स करते हैं, डिप्टी जेलर की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। इसके अलावा अगर डिप्टी जेलरों की नियुक्ति होती है तो उनमें से ५० प्रतिशत सहायक जेलरों में से लिये जाते हैं। अगर १०० डिप्टी जेलर नियुक्त होने वाले हैं तो उन में से ५० सहायक जेलर प्रमोट किये जाते हैं। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अच्छा होगा यदि सहायक जेलर की नियुक्ति लोक-आयोग द्वारा ही करायी जाय क्योंकि दोनों की योग्यतायें समान हैं और उनके वेतन का स्टार्टिंग प्वाइंट ८५ रुपये ही रखा जाय और जब वे १२० रुपये पर आयें तो उस वक्त उनको ८ रुपये का जो प्रमोशन है वह देते हुए १०० फीसदी लोगों को डिप्टी जेलर के पद पर प्रमोशन दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार वे अपने ग्रेड को ३०० रुपये तक पहुंचा सकते हैं। जब उनकी योग्यतायें एक हैं और जिम्मेदारी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है तो यह सरासर अन्याय होगा कि एक की नियुक्ति किसी विशेष अधिकारी द्वारा करायी जाय और दूसरे की लोक सेवा आयोग द्वारा और उन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय। यह उचित नहीं प्रतीत होता।

इसी प्रकार दूसरा प्रश्न मैं सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि जो व्यवहार है जेल अधिकारियों का आम कैदियों के साथ, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है और एक मानव दृष्टिकोण लाने का सरकार की ओर से कम से कम सतत प्रयत्न जारी है, परन्तु फिर भी उनके सम्पर्क में रहते हुए भी, जेल अधिकारियों की जो पुरानी आदतें हैं वे कम बदल पायी हैं और जेल का पूरा का पूरा वातावरण इस प्रकार का रहता है कि जिसमें प्रत्येक कैदी यह अनुभव करता है कि वह कैदी है और उसे कदम कदम पर दासता, दमन और अपमान का जीवन वहां व्यतीत करना पड़ता है और अनुभव करना पड़ता है और उसे बराबर ठेस पहुंचा कर उसके दिमाग में यह बात पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वह यह अनुभव करे कि वह कैदी है और उसका कोई भी अधिकार, किसी प्रकार का भी, इस संसार में नहीं है जब तक कि वह जेल में है। मैं शिकायत नहीं करता सरकार के प्रयत्नों की। सरकार ने प्रयत्न किये हैं। परन्तु जेल अधिकारियों का जो पुराना व्यवहार था वह अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस ओर अभी सफलता कम मिली है। अभी उनकी धारणा बहुत कुछ पहले जैसी ही है। इसलिये इस ओर प्रयत्न बड़ी तत्परता के साथ होना चाहिये।

तीसरा सुझाव यह है, माननीय मुख्य मंत्री जी और जेल विभाग के मंत्री जी कई बार यह कह चुके हैं कि अब स्वाधीन भारत में राजनीतिक कैदियों की मान्यता का प्रश्न नहीं उठता है। मैं यह समझता हूं कि यह बात बिलकुल निराधार है। जब कि सरकार इस बात को जानती है, और जानती ही नहीं बल्कि अपनी सर्किल में बैठकर यह कहती है कि राजनीतिक आन्दोलन होते हैं, तो जब राजनीतिक आन्दोलन होते हैं, सामाजिक उद्देश्यों को लेकर, तो राजनीतिक कैदी भी अवश्य होंगे। यदि सामाजिक प्रश्नों को लेकर सामाजिक आन्दोलन हैं, राजनीतिक आन्दोलन हैं, तो राजनीतिक बन्दी भी जरूर होंगे। इससे किसी भी प्रकार इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी जैसा कि माननीय झारखन्डे राय जी ने कहा है, वे जेल अधि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारियों को इस बात के इन्सट्रक्शन्स भी दे देते हैं कि वे बन्दी किस विचाराधारा से प्रभावित हैं। जब ऐसा होता है तो राजनीतिक बन्दियों के साथ अशिष्ट प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिये। जेल अधिकारी स्वयं इस बात को मानते हैं और व्यवहारिक रूप से प्रयास भी करते हैं। वे इन कैदियों में और साधारण कैदियों में अन्तर मानते हैं। तो जब व्यवहार में सब कुछ है तो यह बात नियमों में भी आ जानी चाहिये ताकि उन कैदियों के दिमाग के ऊपर जो बोझ डाला जाता है उससे उनको राहत मिल जाय। इस तरह से जो राजनीतिक बन्दियों को साधारण बन्दियों के साथ रखा जाता है यह सर्वथा अनुचित है, यह नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा मैं कुछ सहारनपुर जेल के बारे में भी कहना चाहता हूं। सहारनपुर की जिला जेल में पानी का बहुत बड़ा संकट है। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि वहां पर पानी का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये और यदि सम्भव हो तो वहां एक ट्यूब वेल की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वहां के कैदियों को जो पानी के न मिलने के कारण बहुत भारी संकट उठाना पड़ता है वह न हो।

पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कैदियों का स्थानान्तरण जिले के बाहर नहीं होना चाहिये। जिन कैदियों को पांच-पांच, चार-चार, और तीन-तीन व एक-एक साल की भी सजा होती है उनका भी स्थानान्तरण तीन-तीन सौ मील और ढाई-ढाई सौ मील के बाहर कर दिया जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वे अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाते हैं न और ही कुछ सुविधायें पा सकते हैं जो कि उनको अपने जिले में रहने के कारण अपने सम्बन्धियों से प्राप्त हो सकती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि कम से कम साल भर से कम सजा पाने वाले कैदियों को जिले के बाहर स्थानान्तरण न किया जाय।

छठवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कैदियों से मुलाकात करने के लिये जो सहूलियतें हैं वे भी बहुत कम हैं। उनसे मिलने के लिये जेल अधिकारियों को सातों दिन सहूलियत प्रदान करना चाहिये।

जहां तक टेलीफोन का सम्बन्ध है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस व्यवस्था से कुछ अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन आपको जेल अधिकारियों को यह हिदायतें दे देनी चाहिये कि अगर वे उचित समझें तो टेलीफोन करने की इजाजत बन्दियों को दें। इसी प्रकार श्रम की उत्पादनशीलता के बारे में यद्यपि सरकार सतत प्रयत्नशील है, परन्तु इस काम में अभी बहुत कम प्रचलन हो पाया है और श्रम की उत्पादकता के बारे में और भी सरकार को कोशिश करनी चाहिये और मैं समझता हूं कि ऐसा नियम भी बनना चाहिये कि जो बन्दी अधिक उत्पादन करके अधिक अर्जन करें उनको उनकी मुक्ति के समय अपने श्रम से उत्पन्न आय का भी एक अंश दिया जाय ताकि श्रम के प्रति उनमें एक आस्था और श्रद्धा उभरे।

इसी प्रकार जमानतों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने एक नया प्रयोग किया कि जमानतों पर बन्दियों को छोड़ दिया जाय और उनके चाल-चलन को देखते हुए, जो जेल में उनका व्यवहार रहा है, जमानत पर उनको छोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति में यद्यपि सरकार की तरफ से लगातार आर्डर दिये गये, एक नया नियम प्रचलित किया गया, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जेल जीवन में जो बाई–ऐक्सीडेंट चले गये हैं उनको जमानत पर रिहा करने की प्रवृत्ति को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमानत पर रिहा किया जाय। अनुभव बतलाता है कि जो अबतक इस प्रकार छूटे हैं उनके चाल-चलन के सुधरने में बल मिला है और अनावश्यक यंत्रणाएं जो उनको मिलती थीं उनसे छुट्टी मिल जाने से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भी अनुभव किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोबेशन पद्धति सरकार की तरफ से चालू की गयी थी १८ जिलों में और फिर दो जिलों में और बढ़ा दी गयी,

[आचार्य दीपंकर]

उससे आम कैदियों को जो सहूलियतें अता की गयीं, मैं समझता हूं कि सरकार को भी अनुभव होगा कि इससे उनके सुधार में अधिक सहायता मिली है और इस प्रोबेशन प्रणाली को और ज्यादा विस्तृत किया जाना चाहिये और ये सहूलियतें ज्यादा मुहइया की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस चीज की तरफ कि अब स्वाधीन भारत में इस धारणा के बदलने की आवश्यकता है कि जेल एक यंत्रणा का स्थान है, जैसा कि अभी एक सदस्य बोल रहे थे, और जिस तरह से भी वहां कैदियों के जीवन को सुधारा जा सके उसी में सरकार के प्रयत्नों की सफलता है।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह जो प्रस्ताव हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और श्री राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव किया है उसका विरोध कर रहा हूं।

मान्यवर, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों, कुछ तो हम लोग साथ ही रहे हैं जेलों में और कुछ ऐसे लोग इधर और उधर के होंगे जो शायद जेलों की शकल भी न देखें हों। अंग्रेजों के जमाने की जेलों की तुलना आज के जमाने की जेलों से की जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं क्या वह अपने हृदय पर ईमानदारी से हाथ रख कर ऐसा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। मान्यवर, आप भी जेलों में रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अभी रहे हैं, गोरखपुर में।

श्री लालबहादुर—उस जमाने की जेलों में भी रहे हैं, इस जमाने की जेलों में भी रहे हैं। मैं तो शायद इधर जेल में गया नहीं, उधर तो बहुत जेलों में रहा, शायद ही कोई सेंट्रल जेल बाकी रही हो जिसमें नहीं रहा। मेरी कांस्टीट्युएंसी में एक सेंट्रल जेल है और एक डिस्ट्रिक्ट जेल है। यह तो शायद मंत्री जी भी नहीं कहेंगे कि जेल बिलकुल स्वर्ग हो गया, लेकिन जो प्रयास उन्होंने किया है, कांग्रेस की सरकार ने जो प्रयास किये हैं उसकी सराहना तो उधर के लोगों को भी करनी चाहिये थी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—जी हां, आपने क्रिमिनल्स को छोड़ा है एलेक्शंस में।

श्री उपाध्यक्ष—आप उनको भाषण करने दीजिये।

श्री लालबहादुर—अगर छोड़े गये तो आपकी रिकमेंडेशन से छोड़े होंगे। अगर यह लोग कहेंगे तो मैं भी कहूंगा। मान्यवर जेलों की जो हालत है, आप देखें, हमारी बरेली की जुवेनाइल जेल को शायद उधर के लोगों ने देखा हो, वहां मैंने देखा कि कैदियों को रेलवे में काम करने के लिये छोड़ दिया जाता है। वह जाकर रेलवे में काम करते हैं और फिर चले आते हैं। सम्पूर्णानन्द शिविर जो चल रहा था बांध बनाने के लिये वहां मैंने खुद देखा, वहां के कैदी बड़े खुश थे। उनसे मैंने यह तो पूछा नहीं कि वह क्यों खुश हैं, लेकिन वह कह रहे थे कि हम बड़ी मेहनत से इस बांध को बनायेंगे, वह इसमें गौरव समझते थे कि उनको भी देश के निर्माण-कार्य में लगाया गया। राजनारायण जी से मैं कहूंगा कि वह अब जेल जाने की मनोवृत्ति को छोड़ें, क्योंकि उनकी वाणी ही काफी है, उनकी वाणी से ही मंत्री जी मान जायेंगे, उनको जेल जाने की अब जरूरत नहीं है।

मान्यवर, कहा गया कि जेल में अब भी अनैतिकता को स्थान दिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने में भी मैं जानता हूं कि जेल में बड़ी अच्छी तरह से रखा जाता था। अपने घर पर अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम ७ बजे सोकर उठते थे तो वहां पर पचासा बजने पर ही उठ जाया करते थे। तो जेल में नियमों को कुछ स्ट्रिक्ट करना चाहिये, मैं इस राय का हूं।

मिलने-जुलने के मामले में नटवरलाल को थोड़ी-सी छूट दी तो वह गायब हो गये। तो मैं निवेदन करूंगा कि कुछ दफाओं के कैदियों को जैसे ३२४, ३२५ और ३२३ हैं, कुछ सुविधायें दी जांय, लेकिन क्रिमिनल टेन्डेन्सी के कैदियों के साथ सख्ती होनी चाहिये। जो हैबीचुअल होते हैं उनसे अगर जेलर यह कहने लगें कि आपके लिये कुर्सी है, तो इससे उनकी आदत नहीं छूट जायगी। इसलिये मैं तो ऐसा सोचता हूं कि उधर के माननीय सदस्य थोड़ा भ्रम में हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनको मार डालो या काट डालो। हम लोगों ने बहुत यातनायें सही हैं, हमारे खड़ी हथकड़ी लगा दी जाती थी और न मालूम क्या-क्या हालतें होती थीं। श्री मुक्तिनाथ राय जी ने सन् १९३० में जो दशा थी उसको बताया और उसके पहले क्या दशा होती होगी, हम सुनते हैं कि पिंजड़ा बनाया जाता था और कड़े बांधें जाते थे और न मालूम क्या-क्या होता था, लेकिन आज बहुत-सी सुविधायें दी गई हैं। आज किताबों की, अखबारों की और चिट्ठियों की सुविधायें हैं। कम से कम इतना तो आप कह ही सकते हैं कि सरकार इस ओर प्रयास अवश्य कर रही है। इस समय मैं यह नहीं जानता कि जेलों में कितने कैदी हैं, लेकिन यह तो हमारे सामने है ही कि उनके लिये १,८१,४४,९०० रुपये की धनराशि रखी जा रही है। इस धन से उनको सुविधा पहुंचाई जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी को इसमें कोई कटौती का प्रस्ताव न लाकर चाहिये यह था कि वह इसमें दस-बीस लाख रुपया जोड़ने का प्रस्ताव करते, तब मैं मानता कि वह जेलों में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जब वह कटौती करना चाहते हैं तो मैं कैसे मानू कि वह जेलों में सुधार करना चाहते हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि वहां और कुछ टाइट किया जाय और तकलीफें बढ़ें।

एक चीज में जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जेल विजिटर्स के जो रूल बने हुये हैं उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिये। यही न हो कि जो एम० एल० ए० हों या विशिष्ट सज्जन हों उन्हीं को जेल विजिटर बनाया जाय बल्कि जो सोशल रिफार्मर हैं, धार्मिक मनोवृत्ति के या जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी उसमें लिया जाना चाहिये और जेलों में थोड़े-थोड़े दिन पर लेक्चर्स अरेन्ज किये जाने चाहिये। मैंने सुना है कि जेलों में कैदियों की पंचायतें कायम की गई हैं और उनके थ्रू जो सुझाव आते हैं वह जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट के जरिये कार्यान्वित किये जाते हैं। लेकिन आजकल जो हमारी मनोवृत्ति है उसके लिये भी हमें कुछ करना है और जब तक हम इस ओर कैदियों को जागृत नहीं करेंगे, तब तक वह हो नहीं सकती हैं। एक तरफ हमें कैदियों से यह कहना चाहिये कि उसको अगर छोड़ा जायगा तो वह क्या-क्या करेगा। मंत्री जी ने जो प्रोबेशन पर छोड़ने का कानून बनाया है उसमें कुछ दिक्कत है, उसमें थोड़ी-सी ढील होनी चाहिये। अगर अधिक लोगों को छोड़ा जा सका तो अधिक सुधार होने की आशा है। मंत्री जी ने जो इस परिपाटी को चालू किया है, वह बड़ी प्रसंशनीय और सराहनीय है। लेकिन उसमें बड़ी भारी कार्यवाही करना पड़ती है। पहले सब इंसपेक्टर लिखे, फिर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट लिखे, फिर कलेक्टर लिखे तब जाकर उसको छूट मिले। दफा ३२३ और ३२४ में जो साधारण आदमी जेल जाते हैं उनके लिये नियमों में थोड़ी-सी ढिलाई और होनी चाहिये। क्योंकि वे क्रिमिनल लोग तो होते नहीं हैं। प्रापर्टी वगैरा पर कहा सुनी हो गयी और झगड़ा बढ़ गया। बहुत से केसेज में तो राजीनामा भी हो जाता है और बहुत से केसेज में उनको सजा भी हो जाती है। इसमें मंत्री जी कुछ लिबरल व्यू लें।

पहले जब हम जेलों में जाते थे तो सीधे मुंह बात करने वाला कोई जेलर हमको मिलता न था। सन् १९४० में गाजीपुर में एक जेलर डाक्टर दीक्षित मिले थे, वे तो भलमनसाहत के साथ बातचीत करते थे, वरना सन् १९३० से ४५ तक कोई भी जेलर ढंग से बातचीत करने वाला नहीं मिला। आज तो हमारे डिप्टी और असिस्टेन्ट जेलर लोगों से ठीक तरह से बातचीत तो करते हैं। आज का कैदी यह तो अनुभव करता ही है कि हमारा भारत स्वतंत्र है और उसका एक

[श्री लालबहादुर]

परिणाम यह है कि हमारे साथ जेल में भी व्यवहार अच्छा होता है। पहले जेलों में चक्की चलवाई जाती थी, कोल्हू चलवाया जाता था, अब वैसे कठिन काम तो बिलकुल समाप्त ही कर दिये गये हैं।

आखिर आप चाहते क्या हैं ? रशिया और चीन की जेलों में क्या आप जानते नहीं हैं कि वहां क्या होता है, जर्मनी और इंगलैंड की जेलों में क्या होता है ? क्या आप यह चाहते हैं कि यहां की जेलें असेम्बली बन जांय जहां बहस हुआ करें, आफिस बन जांय जहां बहस हुआ करे। बरेली में जुवीनाइल जेल को ही देख लीजिये। वहां से लड़के बी० ए० और एल-एल० बी० पास करके निकले हैं। अगर आप सरकार को और मजबूत करेंगे तो अवश्य ही और सुधार हो जायेंगे। माननीय राजनारायण जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और जब सप्लीमेंटरी आये तो बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव लायें ताकि वहां पर और भी अच्छी तरह से सुधार हो सके। अब राजनारायण जी जेल जाना बन्द कर दें क्योंकि उनकी तो वाणी ही काफी है। क्योंकि उनके जेल चले जाने से इस सदन में और सदन के बाहर भी उनका प्रवचन सुनने को नहीं मिलता है। मैं यही कह कर इन अनुदान का समर्थन करता हूं और अपने भाई श्री राजनारायण जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, अभी माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं जेल में इन्सपेक्शन हेतु गया और वहां भोजन की व्यवस्था बड़ी सुन्दर पायी। इसमें दो रायें नहीं हैं कि जेलों में उस दृष्टि से पर्याप्त सुधार हुआ है। लेकिन जेल मैनुअल जो बाबा आदम के जमाने का बना हुआ है, जो १०० साल पुराना है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को चाहिये कि उसमें आवश्यक संशोधन अवश्य करें। भोजन कैदियों को अच्छा मिलता है, जैसे कि उन्होंने इंसपेक्शन में पाया, हम भी मानते हैं, लेकिन उनको भूखा रखा जाता है, क्योंकि उनको वही उस जमाने की तौल नाप से ६, ७ छटांक दिया जाता है। तो मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी बना लें और कमेटी बनाने के पश्चात् वहां की जेलों में जाकर और तौल कर अपने सामने ठीक प्रकार से आटा मंड़वा कर कैदियों को अपने हिसाब से रोटी दें तो मैं समझता हूं वह पूरा नहीं पड़ेगा। इसीलिये जैसा माननीय मंत्री जी चाहते हैं और सारा सदन चाहता है कि भोजन अच्छा हो, मैं समझता हूं कि सही माने में ईमानदाराना तरीके से ठीक प्रकार से रोटियां सेंकवा कर जेल के अधिकारी कैदियों को देना भी चाहें तो नहीं दे सकेंगे। इसलिये उस जमाने का मैनुअल बदलना चाहिये। माननीय मुक्तिनाथ राय ने जहां और बहुत से सुझाव दिये तथा जेल के भोजन की तारीफ की, वहां उन्होंने इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया कि जेल मैनुअल में आवश्यक परिवर्तन होना चाहिये।

मान्यवर, जेल की व्यवस्था चूंकि उस मैनुअल के हिसाब से चलती है, ठीक है। लेकिन उसके सम्बन्ध में अक्सर जो अधिकारी वर्ग होते हैं, उनमें इस प्रकार की टेंडेंसी आ गयी है कि जो कैदी बन कर जेल में आये हैं उनके साथ ऐसा ही वर्ताव करें, नीचता का व्यवहार करें, ऐसी कुछ भावना-सी उनकी बन गयी है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो किसी धोखे से अपराधी बन गये हैं जैसा कि आज कल चल रहा है, कि कोई कह नहीं सकता कि कब कौन अपराधी सिद्ध कर दिया जायगा, इधर के या उधर के बैठने वाले सदस्यों को इसका पता नहीं है कि कब कौन माननीय मंत्री जी भी जेलों में पहुंच जाय, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि इस पर अवश्य कुछ विचार होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इधर के तथा उधर के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने जेल की तारीफ की है, इस बात का अनुभव होगा कि जेल में जाने के पश्चात् जो अच्छे चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वे भी जेल अधिकारियों के व्यवहार के कारण खराब कैदियों की आदतों का अनुकरण कर लेते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि बिना लड़ाई झगड़े के कुछ होने वाला नहीं है। सीधे आदमी की गुजर नहीं है। इसलिये उसमें भी कुछ सुधार होना चाहिये तथा परिवर्तन होना चाहिये।

एक बात और है। जेल उद्योग परामर्शदात्री समिति जो बनी है, उसने जो सुझाव दिये हैं, उनमें से कुछ को माननीय मंत्री जी ने कार्यान्वित किया है और उसका अच्छा परिणाम निकला है। जैसे जेल में अम्बर चर्खा योजना से कैदियों को बड़ा लाभ हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस अम्बर चर्खा योजना को सभी जेलों में और शीघ्र से शीघ्र चालू करें तो उससे कैदियों का बड़ा हित होगा।

मान्यवर जेलों में अभी तक कुछ पुरानी प्रथायें और सख्त सजायें जारी हैं जैसे कि अभी लोगों ने चक्की के बारे में कहा है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि कि कुछ जेलों में चक्कियां लगा दी गई हैं जो बिजली या इंजिन से चलती हैं और अभी दो चार दिन पहले की बात है कि श्री ऊदल के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पैसा न होने के कारण हर जेल में बिजली या इंजन की चक्की लगाना सम्भव नहीं है। मेरा विचार है कि अगर इंजन से चक्की चलाने का प्रबन्ध किया जाय तो उसमें ज्यादा व्यय नहीं है, थोड़े व्यय में ही सब जेलों में इंजन की चक्की लग सकती हैं। सचमुच ४-४ पसेरी हाथ की चक्की से पीसना कैदियों के बस की बात नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि हर जेल में इस तरह की चक्कियां लगवा दें और हाथ की पिसाई बन्द की जाय।

अभी यहां डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर की बात माननीय सदस्यों ने दोहराई है। सचमुच अगर आप देखें तो इनडिविजुअली उन दोनों की क्वालिफिकेशन और काम एक ही हैं, सब बातें एक ही हैं, लेकिन वेतन में बहुत अन्तर है। माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह इस अन्तर को दूर करें। डिप्टी जेलर्स का चुनाव न कर के जो पुराने असिस्टेंट जेलर हैं उन्हीं को डिप्टी जेलर बनाया जाय। इससे पैसे की भी बचत होगी और, जो असमानता की खाई है, वह भी दूर हो जायगी।

इसके अलावा जेलों में कुछ ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं जिनमें पैसे का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और उनसे कैदियों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। कैदियों को जेल में नये-नये काम सिखाये जाते हैं, लेकिन जब वह जेल से बाहर आते हैं तो वह उनके किसी काम के नहीं होते और उन का वह उपयोग नहीं कर पाते। जेल के बाहर आने पर वह अपने निजी धन्धे में ही लगते हैं। हमारे ज्यादातर कैदी भी कृषक ही होते हैं इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जेलों के साथ और जमीन लगाई जाय और वहां उन से अच्छे ढंग की खेती का काम लिया जाय, वहां सरकार अपने नये खेती के अनुभव करे। इससे सरकार का भी लाभ होगा और वह लोग भी बाहर आकर नये तरीके अपने खेतों में प्रयोग में ला सकेंगे। अगर किसी काश्तकार को खिलौना बनाना सिखाया गया तो जेल से बाहर आकर वह गांव में खिलौने बनाकर क्या करेगा, उसे कोई लाभ न होगा। अभी श्री लाल बहादुर जी ने कहा कि जेल का मैनुअल और सख्त होना चाहिये। मैं श्री लाल बहादुर जी से कहूंगा कि मैनुअल की सख्ती से काम नहीं चल सकता उससे जो और खराबी ही पैदा होगी। किसी शायर ने कहा है:

"जीतना ठीक है दुश्मन को दुआयें देकर,
नीच बन जाता है इन्सान सजायें देकर!"

जेल के कैदियों को हमें सजायें देना नहीं है, उनके जीवन में सुधार लाना है ताकि फिर वह जुर्म न करे। वहां एक घंटा या पीरियड ऐसा होना चाहिये कि जिस में

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा]

वहां समाज-सुधारक या उपदेश देने वाले व्यक्ति जांय और उन लोगों को बतायें कि ऐसे काम न करो जिनसे फिर जेल आना पड़े और इस तरह की मारल टीचिंग उनको हो । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें ।

इसके साथ-साथ वहां की भोज-नव्यवस्था के लिये एक कमेटी बनाई जाय जो देखे कि किस प्रकार वहां खाने पीनें की ठीक व्यवस्था हो सकती है, पुरानी परिपाटी के अनुसार कैदी भूखे रहते हैं और ठीक तरह से उन्हें भोजन वितरण नहीं हो पाता है । लोग जाते हैं नाप तौल तक करते हैं । लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य जेल में जायं और अपने सामने आटा तुलवायें और अपने सामने रोटी बनवाये और जैसी रोटी मंत्री जी चाहते हैं कि कैदियों को मिलनी चाहिये, तो देखेंगे कि जो उनके सामने रोटी बनती है उसमें और पीछे जो रोटी बनती है जमीन आसमान का अन्तर रहता है । इटावा जेल में इस तरह का ऐक्सपेरीमेंट हुआ था ।

कहा गया कि कटौती का प्रस्ताव क्यों रखा ? अगर ऐसा न करते तो सुझाव कैसे देते ? आप रुपया दुगुना रखिये हम उसका विरोध नहीं करते । लेकिन अपने सुझाव अगर देना चाहें तो कैसे दें ?

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ट्रेजरी बेंचेज से इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह आज की जेल की तुलना अंग्रेजी जमाने की जेल से करते हैं । जो ओपेन जेल चल रही हैं, और मेरे ही क्षेत्र में चल रही हैं मैं इस बात की सराहना करना चाहता हूं । दूसरे मंत्री जी सरप्राइज विजिट करते हैं । यह दोनों बातें अच्छी हैं । लेकिन जेल में कैसे सुधार होना चाहिये इस सम्बन्ध में चार दृष्टिकोणों से सोचता हूं; एक तो जेल के अन्दर जो जन संख्या है उसको किस प्रकार कम किया जाय; दूसरे जेल के अन्दर जो जन शक्ति है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाय जिससे हमारे देश के निर्माण में वे हिस्सा ले सकें । तीसरे जेल में जो अधिकारी, कर्मचारी काम करते हैं उनको कौन-कौन सी सुविधायें और देनी चाहिये और चौथे आज जब सरकार रेवेन्यू हंग्री है तो किस तरह से इस विभाग में इकानामी की जाय । इन चार बातों पर सोचना है ।

जहां तक इकानामी का सवाल है मैं सोचता हूं ओपेन जेल्स को बढ़ाया जाय इससे हमको ३५ लाख रुपये की हर साल बचत हो सकती है । छोटे-छोटे अपराधों में सजा न करके अगर जुर्माने की प्रथा शुरू की जाय तो हर साल २५ से ३५ लाख रुपये सालाना की बचत होगी, ऐसा इकानामी कमेटी ने भी कहा है ।

आज जेल के अन्दर जो ऐकाउन्ट्स रखे जाते हैं उनमें बहुत गोलमाल होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जेल के लिये एक ऐकाउनट्स अफसर की नियुक्ति की जाय जो जेल के उद्योग विभाग के अन्तर्गत रहे ।

जहां मैं ओपेन जेल की तारीफ करता हूं वहां मैं आपके द्वारा एक ऐसे कार्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि नैनीताल जिले में हुआ । मान्यवर, जेल फार्म की एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है । लेकिन वह फार्म वहां पर बनाया जा रहा है जहां १९५०-५१ से वह लोग बसे हुए हैं जो शेड्यूल ट्राइब कहलाते हैं, मेरा मतलब थारू लोगों से है । इनके अलावा पर्वती अंचल से आये हुए खानदान बसे हैं और देश के विभाजन में जिनका सर्वस्व समाप्त हो गया वह लोग भी इस इलाके में हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सदन में आश्वासन देने के बाद और माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हमारे पत्र का लिखित उत्तर मिलने के बाद भी ऐसा क्यों किया जा रहा है ? इसकी जांच होनी चाहिये । जेल फार्म का जो आल्टरनेटिव सुझाव दिया गया था वहां न बना कर यहीं बनाया जा रहा है जहां से २०० परिवारों को उजाड़ा जा रहा है । ऐसा क्यों है ? स्पष्ट है कि मंत्री जी को जिला स्तर के अधिकारियों ने गलत सूचना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दी। इसीलिये वहां जेल फार्म बनाया जा रहा है। मान्यवर, एक ओर तो सरकार अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन आरम्भ करती है और दूसरी ओर किसानों की खड़ी लहलहाती फसल को काटा जा रहा है। हमसे सवाल किया जाता है कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा लगाने के बाद हम फसल किसानों को काटने नहीं देते। यह कहां का नियम है? अंग्रेजों के जमाने में किसी भी जेल की स्कीम के लागू करने में क्या कभी कोई ऐसी स्कीम लागू की गई जिसमें २०० परिवारों की फसल को काटा गया? मुझे ताज्जुब हुआ माननीय आचार्य जी ने यहां पर बयान में कहा कि खास जमीन तो इस शर्त पर दी जा रही है कि जब सरकार चाहे तब वापस ले सकती है। यह कौन-सा नियम है?

माननीय आचार्य जी के समय में मुझे दो बार जेल जाने का सौभाग्य मिला मैंने देखा कि अधिकारी अब एक ही क्वालिफिकेशन के आते हैं लेकिन उनकी तनख्वाह वह है जो अंग्रेज के जमाने में थी।

आप सुधार की बात करते हैं, लेकिन जब तक जेल मैनुअल में सुधार नहीं होता तब तक जेल के जेलर से या अन्य अधिकारियों से हम अच्छे व्यवहार की आशा नहीं कर सकते। अंग्रेज के जमाने में बहुत कम सुना कि कैदी सुरंग लगा कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब २६ जनवरी को नटवर लाल ने सुरंग लगा कर बाहर निकलने की कोशिश की लखनऊ जेल से। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये। जो कैदी एक दफा भाग चुका हो, वह फिर कोशिश करे, इसमें जरूर कुछ गोलमाल है।

आज इस स्वतंत्र देश में एक वार्डर गोरखपुर हवालात में बन्द है। इसलिये वह भूख हड़ताल कर रहा है कि उसको जरसी मिलनी चाहिये, उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिये। एक ओर तो कांग्रेस सरकार ८२ लाख रुपये की जेल दिल्ली में बना सकती है, लेकिन दूसरी ओर एक वार्डर ४५ रुपये तनख्वाह अंग्रेज जमाने से पा रहा है और उससे हम उम्मीद करते हैं कि करप्शन न करे, कैदी के भागने में मदद न करे। क्यों न करें? जरूर करेगा।

हम यह चाहते हैं कि रिफार्मेटरी सेंटर्स बनाये जायं। मंत्री जी ने बतलाया कि जुविनाइल जेल की व्यवस्था बरेली में है। लेकिन मैं देखता हूं कि जिले स्तर पर छोटे-छोटे बच्चों को नौजवानों को, जवानों को पकड़ा जाता है तो कुछ दिनों तक उनको उन्हीं कैदियों के साथ रखा जाता है जो डकैती व कत्ल करके आते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को भी अपराध होने पर भी वही सजा मिलती है कानून के मातहत जो दूसरों को मिलती है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बात को साफ करे।

जेलों में जो कैदियों की जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिये दफा १०७ व १०९ को समाप्त करना चाहिये। उनके कारण जेल की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दारोगा जी जिसे चाहें बन्द कर सकते हैं। एम० एल० ए० तक को बन्द कर सकते हैं, बाद में पता चलेगा कि कौन हैं। मैं यह चाहूंगा कि इन तमाम चीजों की सफाई हो।

मैं यह चाहता था कि जो हमारे यहां महिला सदस्यायें बैठी हैं, वे महिला कैदियों के बारे में कुछ कहतीं, लेकिन योग्यता रहते हुए भी वे प्रयास नहीं करतीं। युनाइटेड प्राविन्सेज वोमेन्स जेल कमेटी की रिपोर्ट से मैं इस सम्बन्ध में कुछ पढ़ देना चाहता हूं--

"The Committee, however, strongly recommends that effective steps should be taken by Government to ensure the speedy disposal of cases in which a woman undertrial prisoner is involved. The desirability of releasing women prisoners on bail liberally may again be impressed on courts."

[श्री प्रतापसिंह]

तो यह महिलाओं के लिये कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिये एक-सा व्यवहार है, इसमें तब्दीली होना चाहिये । जेल मैनुअल के लिये कहा गया कि इस में सेंटर का चक्कर है । लेकिन आप एक ऐसी कमेटी बनायें जो तरीके बताये कि जो कैदी हैं वे समाज के बाहर आ कर पहले जैसा स्थान पा सकें । जेल में उद्योग-धन्धों को बढ़ायें ।

मुझे अलीगढ़ जेल में रहने का मौका मिला । वहां कुछ प्रोफेशनल कैदी हैं जो अफसरों से मिले रहते हैं और अफसरों की दावत करते हैं और कैदियों से रुपया वसूल करके वहां भ्रष्टाचार फैलाते हैं । जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा जब तक जेल मैनुअल में संशोधन नहीं होगा तब तक पोलिटिकिल प्रिजनर या कत्ल के कैदी म कोई फर्क नहीं होगा । इसलिये उसमें संशोधन की आवश्यकता है ।

जिस तरह से डाक्टर सम्पूर्णानन्द ओपेन जेल कैम्प शुरू हुए हैं उसी तरह से और अधिक कैम्पस बढ़ाये जायं । लेकिन "convicts in and cultivators out" वाली थ्योरी सरकार बदले और जिस तरह से २५० आदमी जेल फार्म बनने पर समाप्त किये जा रहे हैं, उसे रोके । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

*श्री राजनारायण---अगर पहली स्पीच मंत्री जी कर देते और बाद में थोड़ा-सा समय दिया जाय तो अच्छा था ।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो आपको बुला लिया । अब तो यही प्रथा चल पड़ी है ।

श्री राजनारायण---यहां पर जितने सम्मानित सदस्यों के भाषण हुये सब ने हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया, ऐसा मैं समझता हूं । ताराचन्द जी माहेश्वरी ने एक बात जरूर कही, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं, मगर उनकी बात को सुन कर मेरी परेशानी और बढ़ गयी । उन्होंने कुछ नैतिकता का पाठ दिया कि इस सदन के सम्मानित सदस्य ही कितने नैतिक हैं । इस समय वह हैं नहीं । मैं उस घटना का वर्णन नहीं करना चाहता मगर मैं उनसे आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि नैतिकता के प्रश्न को यहां उठाने से क्या फायदा ? अगर नैतिकता ही देखनी हो तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि विधान सभा के सदस्यों की, जो कल वोटिंग हुई है कौंसिल आफ स्टेट के एलेक्शन के सिलसिले में, उसको वह देख लें । चारों तरफ आज बाजार में यह चर्चा है कि असेम्बली के मेम्बरान भी रुपये पर बिकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---उसका यहां आप ज्यादा जिक्र न करें ।

श्री राजनारायण---मैंने तो इशारे के तौर पर कह दिया । जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर यह कहा जाय कि मैं उनकी बिलकुल निन्दा ही करता हूं तो ऐसी बात नहीं है । मैं ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जानता हूं और ऐसे जेल के अधिकारियों को भी जानता हूं जिनमें नैतिकता हमसे कम नहीं है और मैं मौके पर उनकी प्रशंसा भी करता हूं । मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जिनके बारे में सबूत के साथ मेरी अपनी धारणा है उसको भी हम नजर अन्दाज कर दें । हम यहां किसी व्यक्ति का प्रश्न उठाना नहीं चाहते वरना शायद ही आज कोई सेन्ट्रल जेल का सुपरिन्टेंडेंट होगा जिसके बारे में मुझे अपनी निजी जानकारी न हो जेल काटते काटते । इसलिये इस प्रश्न को मैं छोड़ देना चाहता हूं, सभी अच्छे हैं । लालबहादुर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह जी ने हमसे ऐसा आग्रह किया कि राजनारायण को जेल जाने की आवश्यकता नहीं है वह न जायं । मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी अब इच्छा कभी नहीं रहती कि मैं जेल जाऊं । हम जेल जाते नहीं हमें जेल ले जाया जाता है, यह फर्क है । और क्यों जेल ले जाये जाते हैं ? जब हम कहते हैं कि अलाभकर जोत वाले किसानों के लगान को माफ करो, बच्चों की पढ़ाई की फीस को माफ करो, जालियाना हरकतों को बन्द करो, ब्रिटिश साम्राज्यशाहोजन्य परम्परा को छोड़ो, क्या भाई लाल बहादुर सिंह जी या दूसरे सम्मानित सदस्य यह चाहते हैं कि इन मांगों को करना हम छोड़ दें ?

श्री लालबहादुर––मैंने तो कहा था कि आपकी वाणी ही काफी है ।

श्री राजनारायण––अगर यह हो जाय तो हम जेल क्यों जायं ? इसीलिये २५ नवम्बर से हम सतत प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिलों में प्रदर्शन किया, माननीय मंत्रीजी से सादर, साग्रह, सविनय निवेदन किया और इस सदन में भी उनसे आग्रह किया कि हमारी ये मांगें हैं, जो जन-कल्याणकारी मांगें हैं. उनको मान लीजिये। मगर उनका क्या उत्तर इसी सदन में था। माननीय लाल बहादुर सिंह जी याद करें, मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं । कौन धमकी दे रहा है ? हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि पहली मार्च तक पूरा कर दो । लेकिन अब हम विनती करते हैं और हमें जेल भेजा जाता है तो हमें थोरो का वाक्य याद आता है । थोरो ने कहा था कि जिस शासन में न्याय हेतु चलने वालों के लिये जेल जाना जरूरी होता है वहां पर प्रत्येक न्याय पर चलने वाले व्यक्ति के लिये सब से अच्छी जगह जेल है । जब न्याय मार्ग पर चलने पर सरकार हमको जेल ले जाती है ऐसी स्थिति में हम अपने लिये सब से अच्छी जगह जेलखाना समझते हैं और जेल जाने में गौरव अनुभव करते हैं । मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में अगर कोई अपने सम्मान की रक्षा करना चाहता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। बिना जेल गये, बिना अन्याय का मुकाबला किये और बिना जोर जुल्म का खात्मा किये, सम्मान के साथ कोई रहने वाला नहीं है । इस कांग्रेस के शासन में कोई ऐसा साल नहीं बीतता जिस साल हमें जेल न काटनी पड़े । क्या हमने किसी के कंकड़ मारा है या क्या हमने कोई हिंसात्मक कार्यवाही की है ? ....

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि काफी विषयान्तर हो रहा है ।

श्री राजनारायण––जी हां, हो गया । जवाब देना था श्रीमन्, इसलिये चर्चा चलाई । हमारे साथी लाल बहादुर जी ने १९४२ की चर्चा की । मैं कहना चाहता हूं कि १९४२ के बाद १९४५ के समय में अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जमाने में भी काफी फर्क हो गया था । १९४२ में अखबार नहीं मिलते थे । दो, चार, पांच रूपये देकर सम्पूर्णानन्द जी को अखबार मंगाना पड़ता था और रात को दरवाजे लांघकर हम लोग अखबार सुनने जाते थे । क्या इसमें परिवर्तन नहीं हुआ ? १९४३ के आखिर में हम लोगों को बाहर सोने की इजाजत मिल गई, अखबार आने की भी इजाजत मिल गई । उस समय जितने अखबार मिलते थे आज उतने नहीं मिल रहे हैं । एक बंदी को एक अंग्रेजी का, एक हिन्दी का, एक उर्दू का और पत्रिकायें मिलती थीं । मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही की हुकूमत में भी विभिन्न व्यवस्थायें होती रही हैं ।

कांग्रेस शासन की बात ले लीजिये । श्री लालबहादुर जी के समय में हमें ४६–४७ में काशी के मजदूर आंदोलन में जेल काटनी पड़ी । तीसरे दर्जे के कैदियों को जो खाना मिलता था, वह प्लस चार आने मिलता था और हमने उस समय जेल काटी है । उन्होंने उस समय एक स्पेशल क्लास बनाई थी और उनका कहना था कि जो राजनैतिक दृष्टिकोण लेकर

[श्री राजनारायण]

जेल जाता है उसके लिये यह व्यवस्था की गई है। क्या वह व्यवस्था आज भी रह गई है? उसको क्यों तोड़ा गया?

श्रीमन्, धन की चर्चा की जाती है लेकिन हम कब कहते हैं कि हमारे लिये स्वर्ग की सीढ़ी लगा दो। झारखंडेराय जी ने यह नहीं कहा, दीपंकर जी ने भी यह नहीं कहा कि आप पोलिटीकल कैदियों के लिये जो वर्ग बनायें और उसके लिये जो स्थान अलग बनायें उसमें स्वर्ग की सीढ़ी लगा दें या मंत्री जो जो सुविधायें भोगते हैं वह हम लोगों को दी जायं। हमारा केवल यह कहना है कि अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर कांग्रेसी शासन में जो हुआ है, उसी का अनुकरण करके चलिये।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि मूल रूप में जो जैल मैनुअल है उसमें परिवर्तन होने चाहिये। हमने कटौती का प्रस्ताव इसलिये रखा है कि जेल मैनुअल में आधारभूत परिवर्तन हों। माननीय उग्रसेन जी को सजा हुई नौ महीने की। जेल मैनुअल की दफा ५२ को देख लिया जाय, वह क्या है। यू० पी० जेल मैनुअल के संबंध में सेशन्स जज ने लिखा है कि एक मजिस्ट्रेट, इंसपेक्टर या किसी अफसर को इतने वाइड पावर्स दे देना कि उसके डिस्क्रिशन में जो बात आये और जो उचित सजा देना उसकी समझ में आये, वह दे सकता है, यह ठीक नहीं है। सरकार ने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान का आदर करती है? अगर आदर करती होती तो सैशन्स जज के फैसले के सिलसिले में वह अपील में न गई होती। वह इस फैसले को मानती। जो अधिकारी जेल में चोरी करना चाहता है वह क्या इस जेल मैनुअल के होते हुये नहीं कर सकता है। अगर सुपरिंटेंडेंट अच्छा आ गया तो वह रोक सकता है और अगर अच्छा नहीं आया तो नहीं रोक सकता। कानपुर की जेल में हमने देखा कि ६ पसेरी रोटी रोज जेलर की गाय के लिये जाती थीं। लेकिन एक बनिया सुपरिंटेंडेंट हीरा सिंह आ गया। उसने बंद कर दिया। तो यह हर व्यक्ति पर कुछ न कुछ मुनहसर करता है। हमारा मतलब है, मूल से। हम को पत्र में सहूलियत नहीं है। आज भी हमारी किताबें नहीं मिलतीं हैं। हमने जेल से चिट्ठी भेजी, कमलापति जी को। पहले चिट्ठी कलेक्टर को गयी। कलेक्टर ने कमलापति जी के पास भेजी। कमलापति जी के पास से हमारे दफ्तर में वापस हुई। जब उसका सारा काम बिगड़ गया। जो समय पर काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके लिए सरकार की तारीफ की जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार की जेल व्यवस्था के सम्बन्ध में एक प्रकार से आज सारे भारतवर्ष में प्रशंसा होती है, लेकिन कुछ चीजों के सम्बन्ध में निस्संकोच कह सकूंगा कि उत्तर प्रदेश में जेल के सम्बन्ध में जो सुधार हुए, वह संसार में अपने तौर पर अभी तक अकेले हैं।

जहां तक इस सम्माननीय सदन का सम्बन्ध है माननीय राजनारायण के अतिरिक्त सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने जेल व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ प्रशंसा की बातें कही हैं। जहां तक भोजन का सम्बन्ध है या सरकार की नीति और दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को उसके सम्बन्ध में भली भांति ज्ञात है। भोजन के सम्बन्ध में प्रत्येक माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि बहुत सुधार हुआ है।

जहां तक नीतियों का प्रश्न है एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जिसे कहने के लिए मुझे विवश होना पड़ा, कि सरकार का यह निश्चित मत है कि जेलों को सुधार का कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार से बदले की भावना से आज समाज अपने बंदियों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। कितने प्रकार के दंड मानव ने लोगों को दिये, कितनी तरह से लोगों को सूली पर चढ़ाया, फांसी लगायी, हमारे देश में चोर के दरवाजों की प्रथा चली जिनके चिह्न आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं, जिनमें चोरों के सिर लटकाये जाते थे। न जाने कितने

प्रकार के दंड इस देश में चलते रहे। इस देश के एक भाग में कई प्रकार की दंड व्यवस्था है, कुछ पड़ोसी भाग में। लेकिन कोई विशेष लाभ हुआ नहीं। हत्याएं भी होती हैं, सारे अपराध होते हैं। दंड व्यवस्था के कारण अपराधों में कमी नहीं हो पायी। आज वह इसके बिलकुल विपरीत विश्वास करते हैं। अपराध केवल उन लोगों के द्वारा नहीं होते हैं जो अपराधी के रूप मे जन्म लेते हैं। कई कारण हैं। कई प्रकार की भावनाएं हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ मानसिक अभिव्यक्तियां हैं, मनुष्य के जीवन में समाज द्वारा दी हुई कटुताएं हैं, उनके कारण मनुष्य अपराध करता है। मनुष्य मजबूर हो जाता है और इसके लिए दंड ही दंड देने लगें, यदि समाज उसको केवल यही कहने लगे कि अगर इसने किसी की आंख फोड़ी है तो आंख उसकी निकाली जायगी, या इसने चोरी की है जो जिस हाथ से चोरी की है वह हाथ काट दिया जायगा, तो आज हम उसको स्वीकार नहीं करते। और सच तो यह है श्रीमन्, कि मानव जीवन का इतिहास कुछ अत्यन्त ही अनूठी घटनाओं से भरा पड़ा है। आज से बहुत दिन नहीं हुए जबकि इंग्लैंड में कभी कभी रूमाल चुराने पर या छोटी सी जेब काटने पर भी फांसी की सजा होती थी और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां पर फांसी होती थी, अपराधी को फांसी पर लटकाया जाता था वहीं पर सबसे अधिक जेबें कटती थीं। तो आज हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंच चुके हैं। आज हम किसी प्रकार भी अपराधी को बुरा आदमी नहीं समझते। हम समझते हैं कि वह भी समाज का एक साधारण व्यक्ति है। किन्हीं कारणों से उसने कुछ अपराध किये हैं, लेकिन उसको हम फिर एक सही रास्ते पर करके समाज में ला सकते हैं। जीवन की जिन कटुताओं के कारण उसने अपराध किये यदि वह कटुतायें हम उसके मस्तिष्क में से निकाल सकें और उसको कुछ ऐसा आभास दे सकें कि जीवन में केवल वह कटुता नहीं है जिसका कि उसे आभास मिला, बल्कि इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ मधु भी है, जीवन में कुछ सम्माननीय वस्तु भी है, जीवन में कुछ सच्चाई भी है, कुछ सौन्दर्य भी है, कुछ कला भी है, कुछ गृहस्थी भी है, कुछ बच्चे भी हैं। इस प्रकार यदि उस व्यक्ति को हम इस सम्माननीय जीवन की ओर ला सकें तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। इसमें न हमें पहले कभी संशय था और न ही आज है। सौभाग्य से वह इस सदन में मौजूद हैं, इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी, उन्होंने जब इस विभाग को सम्हाला था तो उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की धारणायें थीं और आज निश्चय ही इस प्रदेश का जेल विभाग इन धारणाओं पर कार्य करने की पूरी पूरी चेष्टा कर रहा है।

राजनारायण जी ने भोजन के सम्बन्ध में बहुत चर्चा की। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता इस सम्बन्ध में। भोजन की बातें बहुत स्पष्ट हैं––हम १२ छटाक अनाज या रोटी देना चाहते हैं। २ छटाक भुने हुए चने देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम चार छटाक सब्जियां देना चाहते हैं और एक छटाक दाल देना चाहते हैं––चावल देते हैं तो वह भी देते हैं। इतना हम देते हैं और इसमें एक हमारी निश्चित नीति है कि किसी भी प्रकार से हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति कैदियों की खूराक में से कोई चोरी करे और इसके लिए मैं उसको और किसी रूप में नहीं रखना चाहता, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग इसमें लेना चाहता हूं. . . . .

श्री राजनारायण ––यह डायट की फीगर आपने दिन भर की बतायी या एक वक्त की?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––मैंने एक ही दफे की बतायी और एक मामूली आदमी के लिए बतायी जैसा कि एक एवरेज आदमी होता है।

श्री राजनारायण––मेरा प्रश्न यह है कि यह खूराक एक वक्त की आपने बतायी या दिन भर की बतायी? जेल मैनुअल मेरे सामने है और इसमें आधी छटाक दाल एक वक्त के लिए लिखी हुई है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैंने जो बताया वह एक छटाक दाल ही बताया और वह मैंने दोनों समय के लिए बताया है। मैंने दोनों समय का भोजन बताया एक औसत व्यक्ति के लिए।

तो श्रीमन्, मैं यह चर्चा कर रहा था कि मेरी यह इच्छा रही है कि भोजन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की चोरी को बर्दाश्त न किया जाय। माननीय राजनारायण जी ने कुछ जिक्र किया कहीं पर किसी व्यक्ति की चोरी का। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वही केवल व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने कि इस प्रकार की चोरी को देखा हो। समय समय पर कई प्रकार की वह चोरियां जेल विभाग के अन्य अधिकारियों के सामने भी आती हैं, कुछ मेरे सामने भी आयी हैं और जब कभी इस प्रकार की कोई बात मेरे सामने आयी या जेल के अन्य अधिकारियों के सामने आयी, अक्षन्य अपराध के रूप में उसे लिया गया और उस पर जितना दंड सम्भव हो सकता था नियमों के अन्तर्गत वह देने की चेष्टा की गई। यही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक भोजन का सम्बन्ध है कई बार कई प्रकार से अव्यवस्थायें भी हमारे सामने आई हैं। मेरे कई मित्रों ने ईंधन के सम्बन्ध में जिक्र किया। मैं जानता नहीं कि उनमें से कितने मित्रों को यह मालूम है कि कितने ईंधन की जरूरत है और यदि केवल कुछ व्यक्तियों के कहने से आज सदन के सामने वह यह कहने लगें कि यह ईंधन अपर्याप्त है तो मुझे इसका दुख होगा। इस प्रश्न को भी मैंने देखा है और सोचने की चेष्टा की है। हम अपने प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर प्रति कैदी तीन छटाक कोयला और ६ छटाक लकड़ी देते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति कैदी ४ छटाक कोयला और ९ छटाक लकड़ी का ईंधन देते हैं। मैं समझता हूं यह पर्याप्त है। इस ईंधन के जरिये से जितना अच्छा खाना पकाये जाने की बात है उसके पकाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। किसी भी जेल में इस प्रकार की कोई कठिनाई मेरे सामने नहीं आई। हां, एक बात जरूर है, एक जेल के सम्बन्ध में, जिसका नाम आज मैं इस सदन में लेना पसन्द नहीं करूंगा, मेरे सामने ऐसी बात आई कि एक जेल अधिकारी महोदय ३ छटाक के स्थान पर २ छटाक कोयला प्रति कैदी वहां दे रहे हैं। उससे खाना बनाया जा रहा है और भोजन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे यह खयाल हुआ कि आखिर यह २ छटाक क्यों दिया जाता है। उन्होंने कुछ कारण बताये। इस पर विभागीय रूप से जांच हो रही है। इससे अधिक मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि २ छटाक कोयला भोजन पकाने के लिये दिया गया उससे जेल में भोजन बनाया गया और अच्छा बना। उसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ी। तो यह कहना माननीय सदस्यों का, यदि उन्होंने कुछ लोगों के कहने से इस चीज का चर्चा इस सदन के सामने किया कि ईंधन कम मिलता है तो तो मैं उनसे अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि कृपया वे अपनी राय को बदलें। वह ईंधन कम नहीं मिलता है। वह पर्याप्त रूप में मिलता है और ठीक मिलता है।

[illegible] यहां पर कुछ बहस चर्चा असिस्टेंट जेलर और डिप्टी जेलर के सम्बन्ध में हुआ। दीपंकर जी, राजनारायण जी, भुवनेशमिश्र जी ने इसका चर्चा किया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि शायद पूरी बात उनके सामने नहीं है। जो उन्होंने उनके स्केल की चर्चा की ८५ रुपये वाली या १२० रुपये वाली वह ठीक है। उन्होंने जो संख्या बताई वह भी ठीक है। कार्य के विभाजन के सम्बन्ध में उन्होंने चर्चा की वह भी ठीक है लेकिन जिस जेल मैनुअल के कई पैराग्राफ का जिक्र राजनारायण जी ने किया, उसके पैराग्राफ ११८३ की तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:--

"The Superintendent may authorize a Deputy Jailor to perform any or all of the duties of a Jailor, and an Assistant Jailor to perform any or all of the duties of a Deputy Jailor or a Jailor."

इसका अर्थ यह हुआ कि असिस्टेंट जेलर को सुपरिंटेंडेंट यह अधिकार दे सकता है कि वह डिप्टी जेलर का कार्य करे। असिस्टेंट जेलर दूसरा है और डिप्टी जेलर दूसरा है। जेल कार्य साधारण

कार्य नहीं समझा जाता। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। एक का कार्य मोटे तौर पर क्लरिकल है और दूसरे का कार्य आमतौर पर एक्जिक्यूटिव है, शासनिक कार्य है। तो इन दोनों कार्यों में बहुत अन्तर है। आम तौर पर असिस्टेंट जेलर को क्लरिकल कार्य करना पड़ता है और साधारणतः डिप्टी जेलर को प्रशासनिक कार्य करना पड़ता है। दोनों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और दोनों को अलग अलग कार्य मिलते हैं, लेकिन यदि सुपरिन्टेन्डेन्ट चाहे तो असिस्टेंट जेलर को डिप्टी जेलर का कार्य दे सकता है, डिप्टी जेलर को जेलर का कार्य वह दे सकता है। यदि मेरे मित्र के इस तर्क को यह सदन स्वीकार कर लेता है कि डिप्टी जेलर और जेलर एक ही हैं क्योंकि सुपरिंटेंडेंट जेल, जिस असिस्टेंट जेलर को डिप्टी जेलर का कार्य दे देता है, वह डिप्टी जेलर का कार्य करने लगता है, तो जेलर को सुपरिंटेंडेंट का कार्य दिया जा सकता है। तब तो मेरी राय में जेलर, असिस्टेंट जेलर, डिप्टी जेलर और सुपरिंटेंडेंट, सभी को एक ही ग्रेड और स्थान में रखना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं . . . .

(श्री राजनारायण द्वारा बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--इस वक्त यह बात ठीक नहीं है कि आप बार बार बोलें। आप बाद में उनको पढ़ा दीजियेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, मैं कहना चाहता था कि इस के संबंध में एक चर्चा और हुई और वह थी क्वालिफिकेशन के संबंध में, शैक्षिक योग्यता के संबंध में। यह सही है कि एक जगह था कि वे इंटरमीडियेट पास हों, उच्चतर माध्यमिक योग्यता के हों। लेकिन इसके बारे में एक सरकारी आज्ञा निकली है और उसके अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो डिप्टी जेलर लिये जाते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट--बी० ए०--कर दी गयी है और अब वह उच्चतर माध्यमिक वाली योग्यता डिप्टी जेलर के लिये नहीं है। जहां तक असिस्टेंट जेलर का संबंध है, उसकी योग्यता उच्चतर माध्यमिक ही है।

एक बात की चर्चा और हुई और मेरे खयाल में मेरे मित्रों के मस्तिष्क में उसके बारे में कुछ शुबहा है और होना भी चाहिये और उसको उन्होंने बहुत दबे हुए ढंग से, दूसरे ढंग से कहने की चेष्टा की और इसके लिये मैं उनका अनुगृहीत हूं। उनका कहना यह था कि एक पोस्ट के लिये तो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वह उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन दूसरी असिस्टेंट जेलर की पोस्ट की नियुक्ति किसी एक अधिकारी द्वारा करायी जाती है। उनकी सूचना के लिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि सचमुच ही यह प्रश्न हमारे विचार में है कि असिस्टेंट जेलर की नियुक्ति भी हम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही कराया करें और इसे हम कुछ अनुचित नहीं समझेंगे। लेकिन विभागीय रूप से यह प्रश्न अभी विचारणीय है और इससे अधिक मैं इस समय इसके संबंध में कह सकूं इस स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्रीमन्, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। यह डिप्टी जेलर जो बनाये जाते हैं उनमें ५० प्रतिशत असिस्टेंट जेलर लिये जाते हैं। अगर योग्यता का प्रश्न आता है तो उसे हम हल कर लेते हैं। जिनको हम इस योग्य समझते हैं कि वे डिप्टी जेलर के पद पर नियुक्त किये जा सकें उनको हम उस पद पर नियुक्त कर देते हैं।

बहुत चर्चा हुआ इस सदन के सामने क्वालिफिकेशन के बारे में। आम तौर से राजनीतिक बंदियों की एक अलग श्रेणी बनाने के बारे में पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी और मैंने श्रीमन्, उस समय भी यह जिक्र किया था और इस सदन के माननीय सदस्यों से आग्रहपूर्वक यह कहा था कि यदि इस संबंध में वे किसी भी प्रकार का कोई प्रयास करें और मुझे कंविंस कर सकें, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में कुछ कठिनाइयां पड़ गयीं और मैं इस सदन का इस बारे में विश्वास प्राप्त करना चाहता

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

हूं। जो लोग राजनीतिक बंदियों की श्रेणी की चर्चा किया करते हैं, उनमें से सरकार के भी कुछ लोग थे, मैं भी नगण्य रूप से अपने को उनमें सम्मिलित करता हूं। लेकिन श्रीमन्, समय ने बहुत पलटा खाया और यह जो अबाध गति है समय की उस के साथ में कुछ मान्यताओं में अन्तर पड़ता है, आस्थाओं में अंतर पड़ता है। मेरे मित्र झारखंडे राय जो इस समय यहां नहीं हैं, उन्होंने जिक्र किया था इन पोलिटिकल प्रिजिनर्स को एक श्रेणी बनाने के बारे में, और बहुत दृढ़ता के साथ जिक्र किया था। मैं उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता था कि केरल के अपने राज्य काल में क्या उन्होंने पोलिटिकल प्रिजिनर्स की कोई अलग श्रेणी बनायी? यही नहीं, मैं केवल उनके तर्क का उत्तर उनके कार्य से ही नहीं देना चाहता, मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं सभी विरोधी भाइयों से। क्या संसार में कहीं भी पोलिटिकल प्रिजिनर्स की श्रेणी अलग से है? किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में, या दुनिया के किसी भी लोकशाही देश में, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक बंदियों के लिये अलग से कोई श्रेणी है। अगर नहीं है तो क्या उसके कारणों पर वे लोग विचार नहीं कर सकते हैं? हमको ही इस पर विचार करने के लिये मजबूर करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय राजनारायण जी से, वे मुझसे नाराजगी जाहिर करेंगे, लेकिन जहां पर प्रजातंत्र की शासन-प्रणाली है वहां शासन को बदलने के लिये कुछ जनतांत्रिक सिद्धान्तों को भी मान्यता दी गयी है। यदि उनके विपरीत शासन को बदलने का प्रयास किया जाता है, यदि उनके अलावा कोई दूसरा मार्ग अख्तियार किया जाता है, तो कौन सा वह देश है जहां ऐसी बातों का सहारा नहीं लिया जाता है, जहां उन लोगों के लिये पृथक से कोई श्रेणी बना रखी है?

श्री राजनारायण—केरल में क्या हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—केरल का जहां तक प्रश्न है, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां पर शासन के प्रति जनता का विश्वास बिलकुल उठ गया था। वहां पर श्री राजनारायण जी के दल को छोड़ कर सभी दलोंने एक साथ आन्दोलन चलाया था। उसके पीछे जनता का विश्वास था, और ज्यों ही वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ, तुरन्त आन्दोलन समाप्त हो गया। राष्ट्रपति के हाथों में शासन सूत्र आते ही वह चीज खत्म हो गयी। वहां एक दूसरी स्थिति थी। वहां की प्रणाली जनतांत्रिक प्रणाली से भिन्न थी।

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि राजनैतिक श्रेणी किसको कहा जाय और किसको न कहा जाय? कौन सा वह तरीका है जिसके अनुसार किसी को राजनीतिक श्रेणी में रखा जाय। जहां इस प्रकार के अवज्ञा आन्दोलन हों, सत्याग्रह हों वहां जनतांत्रिक प्रणाली में इनको स्वीकार करना सम्भव नहीं है और जब इनको स्वीकार करना संभव नहीं है तो कैसे यह चीज हो? केवल अवज्ञा के लिये या किसी आन्दोलन के लिये उसे राजनीतिक आन्दोलन स्वीकार कर लेना संभव नहीं है।

जहां तक श्रेणीकरण का संबंध है, यह सही है, श्रेणियों में विभाजित करने की बात हमारे मस्तिष्क में है। लेकिन जिन श्रेणियों में विभाजित करने की बात हमारे सामने है वह श्रेणी मनोवैज्ञानिक होगी। यह देखना होगा कि किस प्रकार के बन्दियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, किस प्रकार से हम उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से समाज का एक अच्छा व्यक्ति बना सकें। इस प्रकार की बातें हम लोगों के मस्तिष्क में हैं।

जेल मैनुअल का भी स्पष्ट रूप से जिक्र आया। उसके बारे में मैं यह जिक्र करना चाहता हूं कि जेल मैनुअल के सम्बन्ध में सचमुच कुछ देर हुई है। हम लोग भी इसके लिये बहुत जल्दी में हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको बनाया जाय। लेकिन हमारी एक कठिनाई यह है कि जेल मैनुअल अखिल भारतीय समिति से सम्बन्ध रखता है। अगर यह अखिल भारतीय समिति न होती तो हम अपने प्रदेश के लिये अलग से समिति बना कर अपने प्रदेश के लिये इस कार्य को सम्पन्न कर डालते। किन्तु जेल मैनुअल को बनाने वाली एक अखिल भारतीय जेल

मैनुअल समिति है और उसमें प्रत्येक प्रदेश के जेलों के उच्चतम अधिकारी हैं। हमारे यहां के भी जेल के इन्सपेक्टर जनरल उसमें हैं। उसका कार्य निरन्तर चल रहा है। यह कुछ अपने ढंग का एक प्रकार से टेक्निकल कार्य है जिसमें आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जहां कि विवाद के लिये बहुत अधिक गुन्जाइश है। मैं इतना कह दूं कि किसी भी प्रदेश से, जेल के मामले में, सुधारों की दिशा में यह प्रदेश आगे है, पीछे नहीं है और इसलिए यहां की स्थिति दूसरे प्रदेशों से कुछ भिन्न है। तो मैं जहां तक जेल मैनुअल के कार्य का प्रश्न है, केवल इतना कहना चाहता हूं कि जेल मैनुअल के कार्य को हम शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न करना चाहते हैं और इस सदन से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की ओर से यदि कुछ भी प्रयास हो सके और यह जेल मैनुअल बहुत जल्दी तैयार हो सके तो हमको इसकी प्रसन्नता होगी।

श्रीमन्, कुछ जिक्र किया गया जेल में खेती के कार्यों को प्रारम्भ करने के सिलसिले में, कुछ जिक्र हुआ जेल की इंडस्ट्रीज के बारे में और कुछ सुधारों की प्रगति के सम्बन्ध में। एक ओर तो यह कि रोकथाम की जाय और दूसरी ओर सुधारों की प्रगति ज्यादा तेज की जाय। जहां तक जेलों में खेती के कार्यों को प्रारम्भ करने की बात है, शायद माननीय सदस्यों ने बजट साहित्य को पढ़ा होगा। ४ जिलों में हम निश्चय कर चुके हैं कि हम जेल के फार्म बनाना चाहते हैं और बजट साहित्य में जिक्र भी है कि किस प्रकार चारों जेलों के लिए हमने एक विशेष अनुदान रखा है और बरेली, वाराणसी, नैनी, फतेहगढ़ और जिला जेल मेरठ--इन पांच जेलों में हमें तरकारी के अलावा फार्म बनाने हैं और इसके लिए पांचों स्थानों पर हमने कुछ भूमि प्राप्त करने की कोशिश की है और हमारा ऐसा ख्याल है कि शायद इससे काफी लाभ होगा। ३० एकड़ भूमि प्रत्येक जेल में हमने लेने की चेष्टा की है।

इसके अलावा एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, मुझे मालूम नहीं सदन के किसी माननीय सदस्य को उसका कितना ज्ञान है। माननीय प्रताप सिंह जी ने उसका जिक्र किया। ६,००० एकड़ भूमि हमने सितारगंज, नैनीताल जिले में ली है। इस पर हम जेल की ओर से खेती करना चाहते हैं। यह जो वर्ष हमारा गया, इसमें करीब २ लाख रुपया हम वहां पर-व्यय कर चुके हैं। डेढ़ सौ बन्दी हमारे वहां पहुंच चुके हैं और वहां पर भी एक उसी प्रकार का ओपेन एयर कैम्प स्थापित किया जा चुका है जैसा कि नानकसागर में या मिर्जापुर में या और स्थानों पर है। इस पर हमने कुछ ईख बो दी और ऐसा हमारा खयाल है कि इस वर्ष भी, जो आने वाला वर्ष है, इसमें भी हमने अपने बजट में करीब १० लाख रुपये का प्राविधान किया है वहां के लिए। इस ६,००० एकड़ भूमि पर हमारा ऐसा विश्वास है कि शायद कुछ साल के बाद में, शायद अगले वर्ष में ७०,००० मन गल्ला तक हम पैदा कर सकें। उससे लाजमी तौर पर बहुत बड़ा कार्य होगा जेल विभाग के लिए।

इसके अलावा एक और भी बड़ा कार्य होगा। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यहां विचार व्यक्त किया था, कुछ खेती के सम्बन्ध में भी कैदियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे जिससे उनको जीवन में प्रवेश करने में सहूलियत मिलेगी।

इसी प्रकार यहां पर जो क्राइम प्रिवेंशन कमेटी है उसकी ओर से कुछ मुक्त बंदियों के लिये बहराइच में एक फार्म खोलने का प्रश्न है।

जहां तक माननीय प्रताप सिंह जी ने कुछ आदमियों के निकाले जाने का जिक्र किया, मैं उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। कुछ बड़े कामों के लिए कुछ लोगों को कष्ट सहना पड़ता है, जैसा कि एक्वीजीशन के सिलसिले में कुछ लोगों को भूमि से अलग होना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि जब वह स्वयं मेरे पास आये थे, मैंने उनको बताने की चेष्टा की कि १,१०,००० रुपया हमने तय किया है कि जो खड़ी फस्लें हैं उनका फौरन मुआवजा उनको दिया जाय। यही नहीं, ३०,००० रुपया मुआवजा हम उन लोगों को उस भूमि का दे रहे हैं जिस पर वह आती हैं। कुल लोग हैं जिनके सम्बन्ध में प्रताप सिंह जी ने जिक्र किया, कुछ धारा

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

आदि का जिक्र किया, कुछ और व्यक्तियों के बारे में भी जिक्र किया जो कि काश्मीर से भेजे गये थे। मेरी यह चेष्टा है कि विभागीय रूप से अगर उनको भूमि दी जा सके जहां पर उनको बसाया जाय, यदि ऐसी भूमि सरकार की ओर से प्राप्त करके दी जा सके तो उसका हम प्रयत्न करें। ऐसी हमारी इच्छा है। किसी की भी ऐसी नीयत नहीं है कि किसी आदमी को निकाला जाय। जैसा तिवारी जी ने कहा भले आदमियों को निकाल कर कैदियों को बसाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है बल्कि हम कुछ लोगों को बसाना चाहते हैं कैदियों की श्रेणी से निकाल कर। श्रीमन्, यदि दो एक मिनट और मिल जायं तो मैं थोड़ी सी और चर्चा कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---कोई बात नहीं है, आप दो मिनट ले लीजिये, इतना समय आगे बढ़ जायगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जो कुछ दिशाओं में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं यहां पर ओपेन एयर कैम्प्स की चर्चा नहीं करना चाहता। उनके सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि डाक्टर क्लिनार्ड विदेश से आये थे, उन्होंने यहां आकर स्वयं मुझ से कहा कि संसार में जेलों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि अमरीका जैसे सम्पन्न देश में, जिसमें बहुत सुधार हुये हैं, वहां भी बावजूद इसके कि शायद एक व्यक्ति को २० पये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, लेकिन एक कैदी की मजदूरी के तौर पर ८-१० आने से ज्यादा प्रति दिन नहीं पड़ती। तो मैं आज यहां थोड़ा निश्चय के साथ कह सकूंगा कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को जितनी प्रतिदिन मजदूरी मिलती है उतनी आज हमने कैदियों को दी है।

(इस समय ४ बज कर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये।)

उनके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा कार्य जो हो सकता है वह कैदियों ने किया है। इसके कारण हमें कठिनाई भी है। प्रत्येक स्थान से हमारे कैदियों की मांग है और उसको पूरा करने में हम असमर्थ हैं।

श्री राजनारायण जी ने जेल जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही। मैं उनकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि सचमुच यह आमूलचूल परिवर्तन हम लोगों की दृष्टि में है। प्रत्येक जेल में हमने कैदियों की पंचायतें बनाई हैं और हमने कोशिश की है कि कैदियों का प्रबन्ध उन्हीं के हाथ में हो, यहां तक कि भोजन की व्यवस्था भी स्वयं कैदियों के हाथ में हो। यदि भोजन की व्यवस्था हम कैदियों के हाथ में देते हैं तो मैं नहीं समझता कि भोजन के सम्बन्ध में फिर कौन सी कठिनाई रह जायगी। इसी प्रकार से जेल जीवन से सम्बन्धित जितने भी और कार्य हैं वह आज हम कैदियों की पंचायतों के हाथ में सौंपना चाहते हैं जिससे वह आत्मनिर्भर हो सकें और सामूहिक जीवन का उनको प्रशिक्षण भी हो सके और एक प्रकार का हम उनको ऐसा जीवन दें जिससे कि वह बाहर निकल कर एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपना जीवन बिता सकें।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के सम्बन्ध में सदन ने जो विश्वास प्रकट किया उसके लिये मैं आभारी हूं। मैं माननीय राजनारायण जी से दरख्वास्त करता हूं कि वाकई में अगर वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले सकते हों तो उसको जरूर वापस ले लें और इस अनुदान को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---जेल-लेखा शीर्षक---२८---जेल अन्तर्गत १,८१,४४,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०

वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६० (The U. P. Appropriation Bill, 1960) को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६० (The U. P. Appropriation Bill, 1960) को पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इस विधेयक को वितरित किया जायगा।

(विधेयक वितरित किया गया।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिये आप कितना समय देने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—नियम १९९ के अनुसार इसके लिये आधे घंटे का समय है और ५ बजे तक इसकी तीनों रीडिंग समाप्त हो जानी चाहिये। विरोध करने वालों को ७ मिनट और बाकी लोगों के लिये ५ मिनट होंगे। इसका मतलब है कि २, ३ सदस्य ही बोल सकेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०, को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०, पर विचार किया जाय।

इस सिलसिले में मुझे ज्यादा नहीं कहना है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक द्वारा हम राज्य सरकार को और माननीय वित्त मंत्री जी को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह ३,३६,५८,५३,००० रुपये के लगभग धनराशि अगले वित्तीय वर्ष के लिये राज्य के विभिन्न प्रयोजनों के हेतु व्यय कर सकें। इस सीमित समय में मैं विनियोग के सिद्धान्तों की विशद व्याख्या करके समय नहीं लूंगा क्योंकि माननीय सदन उन सिद्धान्तों को भलीभांति जानता है। मैं कुछ निवेदन अवश्य माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री से अगले वर्ष और प्रक्रिया के सम्बन्ध में करना चाहता हूं।

उन्हें पुनर्विचार करना चाहिये कि वोट आन एकाउन्ट अगले वर्ष से निर्धारित करने हैं या नहीं और उनके आधार पर बहस करनी है या नहीं। आप स्वयं भी इस बात से सहमत होंगे कि यहां जो २४, २५ दिन विवाद होता है उनमें सभी विभागों को लेने की बात होती है। ५, ७ मिनट जो मिलते हैं उनमें हम केवल क्षेत्रीय शिकायतों की चर्चा कर सकते हैं। उस समय में विभागीय कठिनाइयों और नीतियों और विभिन्न प्रकार की विशेष शिकायतों का विवेचन नहीं हो पाता है और विवाद का स्तर भी उतना ऊंचा नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिये। इसलिये वित्तीय प्रणाली पर, जिसका हमारे संविधान में समावेश है, वोट आन एकाउन्ट, उस पर पुनर्विचार होना चाहिये। मिसाल के लिये हमने पी० डब्ल्यू० डी० लिया और ४ दिन ही केवल हम उस पर विवेचन कर सके। नागपुर फारमूला पर चलें या बम्बई फारमूला पर चलें,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

किस क्षेत्र के लिए क्या आवश्यकता है इसका गम्भीर विवेचन हो सकता है। इसलिये अगर हमें ज्यादा समय मिले तो हम अधिक गम्भीर विवेचन कर सकेंगे, जो ७ मिनट के समय में नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के लिये जो आधे घंटे का समय रखा है वह भी बहुत ही कम है। इस समय तो मजबूरी है और हमने उसको मान ही लिया है, लेकिन उसके लिये भी कम से कम एक दिन का समय होना ही चाहिये क्योंकि ३ अरब से ऊपर की मांगों को इसके द्वारा हम पारित करने जा रहे हैं। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये कम से कम एक दिन का समय रख दें।

तीसरी बात यह है कि एक फाइनेंस और रिसोर्सेज कमेटी इस विधान सभा की अवश्य बननी चाहिये जो वित्तीय मामलों में सरकार को अपनी राय बता सके। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको सरकार को गुप्त रखना पड़ता है और सदन में सरकार उनको जनहित का नाम लेकर, नहीं बताती है उनको वहां कमेटी में बताया जा सकता है और उन पर फाइनेंस कमेटी अपना परामर्श उनको दे सकती है।

एप्रोप्रियेशन के सम्बन्ध में मुझे एक बात फिर यह दोबारा कहनी है कि जितना पया इस विधान सभा द्वारा स्वीकार किया जाता है वह खर्च नहीं हो पाता है। यह शिकायत सभी की रही है और यह सरकार और इसके मंत्रिगण भी इस बात को अनुभव करते होंगे। यह चीज कैसे दूर हो? केन्द्र ने इस सम्बन्ध में एक तरीका शुरू किया है और वह यह है कि बड़े-बड़े विभागों को पावर्स डेलीगेट कर दी हैं। बजट में जब एक बार कोई स्कीम आ गयी तो विभाग को अधिकार होता है कि उस रुपये को खर्च कर सके। केन्द्र ने प्रमुख प्रमुख विभागों में अपने फाइनेंस आफिसर मुकर्रर कर दिये हैं और हर मामले को फाईनेंस भेजने की आवश्यकता नहीं होती। वही फाईनेंस सेक्रेटरी की ओर डिपार्टमेंटल सैक्शन दे देता है। मेरे विचार से पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रीगेशन आदि विभागों में कम से कम फाइनेंस आफ़िसर्स अवश्य रखे जाने चाहिये। यह परम्परा अच्छी होगी। फ्रान्स में यह प्रणाली बड़ी सफलतापूर्वक चल रही है। कोई कारण मालूम नहीं देता है कि इसको हम अपने यहां लागू न करें।

पिछले साल यह बतलाया गया था कि अप्रैल के महीने में ही फाईनेंशियल सेक्शन बजट स्कीम्स को दे दी है। फिर भी क्या कारण है कि एडमिनिस्ट्रेटिव विभागों द्वारा उनके कार्यान्वयन में देरी हुई और इस वर्ष भी करोड़ों रुपया लैप्स हो रहा है। इस विषय में फालो अप हमें करना चाहिये। डेलीगेशन आफ पावर्स और फाईनेंशियल आफिसर्स की नियुक्ति विभागों में अवश्य होनी चाहिये।

चौथी बात यह है कि इर्रीगेशन और पी०डब्ल्यू०डी० जैसे विभागों में हमें नान-लैप्सेबिल फंड बनाना चाहिये। मान लीजिये कि बार्डर एरिया में हमें सड़कें बनाना है। उसके लिये हमें ३ साल के लिये पया रख देना चाहिये कि इतना रुपया इन तीनों सालों में खर्च होगा और तीन साल तक वह रुपया लैप्स नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की सिफारिश चीफ इंजीनियर्स कान्फ्रेन्स ने भी की है। इसमें फाईनेंस डिपार्टमेंट का ही एतराज है। मैं चाहूंगा कि जो राय टेक्निकल आदमियों (विशेषज्ञों) ने दी है उस पर आप पुनर्विचार करें और कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे इस ओर कोई कार्य हो सके।

सेविंग्स के बारे में मेरा सुझाव है कि विनियोग और पुनर्विनियोग करते हैं उस समय और पहली बार जो एस्टीमेट्स बनते हैं उनके बारे में हमें अधिक सतर्कता बरतनी चाहिये। जो एस्टीमेट्स एप्रूव हों वे अधिक सावधानी और विचार के साथ हों। बहुत सा रुपया फारेन एक्सचेंज की बिना पर ३–३ और ४–४ साल तक रखा चला आता है और शिकायत होती रहती है कि फारेन एक्सचेंज नहीं मिल पा रहा है। अतः उसके बारे में पहले से ही सोच लिया जाना चाहिये कि फारेन एक्सचेंज प्राप्त कब तक हो पायेगा। आशा है एप्रोप्रियेशन,

रिएप्रोप्रियेशन और अगले वर्ष का बजट बनाते समय वित्त मंत्री महोदय इन बातों का ख्याल रखेंगे।

यह असंतुलित बजट है, माननीय वित्त मंत्री जी इस असंतुलित बजट को, जो अलग-अलग अनुदानों के रूप में पास हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल करके तथा उनके नियमों में परिवर्तन करके कंट्रोल करें तथा अधिक डेलिगेशन आफ पावर करें तो उसे संतुलित बजट कर सकते हैं।

*श्री राजनारायण(जिला वाराणसी)--श्रीमन्, यह जो विनियोग विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, इस सम्बन्ध में हम यह देखते हैं कि एक परम्परा सी चल रही है। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने अपनी बहुत सी शंकाओं को यहां व्यक्त किया है इसलिये मैं उन पर नहीं जाऊंगा कि वोट आन एकाउंट के सम्बन्ध में क्या-क्या नवीन दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, मगर मैं इतना संकेत जरूर करूँगा कि वोट आन एकाउंट हो या जो प्रणाली चल रही है यह कायम रहे या इसमें और कोई परिवर्द्धन, परिमार्जन हो, यह सब कुछ हो जाय, लेकिन जिस ढंग से यह सरकार काम कर रही है उससे मैं नहीं समझता कि समाज का कल्याण हो पा रहा है। कुछ बौद्धिक गुलामी में जकड़ कर हम भले ही इंगलैंड से कुछ ले लें, कहीं फ्रांस से कुछ ले लें, कहीं अमेरिका से कुछ ले लें, कहीं लोकसभा से कुछ ले लें, परन्तु उससे काम चलने वाला नहीं है। श्रीमन्, लगातार हमारे सामने जो रपट आती है उसमें अनियमितता की बाढ़ सी होती है। ऐसे खर्चे होते हैं, जिसमें तखमीने का अभाव है, वाउचर तथा उप-वाउचर का अभाव है, रसीद में टिकट का अभाव है। इसी सदन में ऐसे-ऐसे प्रश्न हुए हैं कि तीन, साढ़े-तीन महीने तक एक-एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अपने जिले में और अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। यह सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति है। तो यह हमारा धन जा कहां रहा है? कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो न कहे कि भ्रष्टाचार नहीं है, कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो यह न कहे कि अनियमितता नहीं बढ़ी है, कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो यह न कहे कि जो पैसा हम खर्च करने के लिये देते हैं उसमें से बहुत रुपया आखिर में खर्च होने से रह जाता है। हर साल यह बात दोहरायी जाती है। तो आखिर हम इस सरकार को क्यों कोई पैसा खर्च करने की इजाजत दें। इसलिये मैं बहुत नम्रता के साथ आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की आज्ञा इस सदन को प्रदान नहीं करनी चाहिये।

अगर आज हम यह व्यवधान उत्पन्न कर दें तो हम सरकार को वैधानिक तरीके से बाध्य कर सकते हैं कि वह अपना गठन फिर करे। हम उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं जो कही गयी हैं, लेकिन श्रीमन्, क्या यह शोभा की बात है कि सभी लोग प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन विभूति, इन शब्दों का यहां प्रयोग करते हैं और आज साल भर होने को आ रहा है और शासक पार्टी का आन्तरिक चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है? श्रीमन्, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। बीमारी की हालत में आपको शाक लगा होगा कि वाराणसी में तो डंडेबाजी तक हुई है और न जाने क्या-क्या हुआ होगा। आज तो चार-चार और छ-छः महीने से चुनाव टलते जा रहे हैं और चुनाव सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं।

फिर यह देखने की बात है कि जिस दल के आन्तरिक चुनाव में इस ढंग की बात हो रही हो उस दल की सरकार को हम ३,३६,५८,५३ २०० रुपये खर्च करने के लिये दे दें तो क्या हम जनता के साथ अन्याय नहीं करेंगे? यह क्या लोक कल्याण की नीति पर चलना होगा? श्रीमन्, देखा जाय तो उसी शासक पार्टी के ९८ आदमियों ने इस सरकार के विरुद्ध मत व्यक्त किया है। इसलिये क्यों इस सरकार को हम खर्च करने की इजाजत दें? इन शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रहपूर्वक और प्रार्थनापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इस सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत न दे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने पेश किया गया था और जिन-जिन अनुदानों के लिये सरकार ने मांगें पेश की थीं उनको सदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

ने स्वीकार किया। आज सरकार सदन से इस बात की आज्ञा चाहती है कि उस धनराशि को व्यय करने का अधिकार उसको दिया जाय और उसको यह मुनासिब मांग है। चूंकि समय आपने बहुत कम दिया इसलिये ज्यादा न कहकर मैं केवल दो-तीन आबजरवेशन्स ही करना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि यहां बजट का जो डिबेट हुआ उसका स्तर बहुत ऊंचा था और मैं सरकार से और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री से अपील करूंगा कि इस बीच में जो भिन्न-भिन्न दलों ने और सरकारी पक्ष ने सुझाव और विचार यहां रखे हैं उन पर वह संजीदगी के साथ ध्यान दें और विचार करें और ऐसा न हो कि यहां का डिबेट केवल यहीं खत्म हो जाय।

बजट के संबंध में बहुत सी बातें अभी माननीय तिवारी जी ने कहीं, मैं उनकी बातों से अधिकांश में सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि बजट के मौजूदा तरीके में आमूल परिवर्तन किया जाय। इससे जो आज हमारा तरीका है उससे सही तस्वीर सामने नहीं आती और खास तौर से जो सेविन्ग्ज होती हैं जोकि वास्तव में अनस्पेंट मनी है उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आनी चाहिये। बहुत सी बातें मैंने अपने पहले भाषण में ही कह दी थीं, इसलिये इस मौके पर ज्यादा न कह कर उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि शासन की मशीनरी में कुछ कमियां हैं, कुछ कठिनाइयां भी हैं। मैं इस समय केवल दो बातों की तरफ विरोधी दलों का विशेष रूप से ध्यान दिलाऊंगा। आज हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश की सीमाओं पर खतरा है, यह भी हम जानते हैं कि हमारे देश में जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं और जो थोड़ी-सी साम्प्रदायिक शक्तियां हैं वह भी संगठन कर रही हैं जिससे हमारे देश की अन्दरूनी राजनीति में भी हलचल है। इस मौके पर मैं बहुत अदब के साथ विरोधी दलों के नेताओं से अपील करूंगा कि वह जितनी भी टीका टिप्पणी करें वह सब सिर आंखों पर है और मैं यह भी महसूस करता हूं कि किसी भी देश की जनतांत्रिक सरकार का फर्ज है कि विरोधी दलों की ओर से जो भी सुझाव आयें उन पर ज्यादा से ज्यादा संजीदगी से ध्यान दिया जाय और जहां तक सम्भव हो उन पर अमल भी किया जाय।

इसके साथ ही मैं विरोधी दल के साथियों से और अपने दल के सभी सदस्यों से अपील करूंगा कि आज की स्थिति के विषय में जैसा कि मैंने अभी संकेत किया, उसमें यह भी मुनासिब है कि हम आपसी मतभेद, राजनीतिक दलबन्दी और पार्टियों से ऊपर उठकर कोशिश करें कि सरकार के लिये स्टेबिलिटी मिले और विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास हो कि उनको सभी सदस्यों तथा दलों का विश्वास, सहयोग और साधन प्राप्त हैं। उनके हाथ मजबूत हों ताकि वह इस हलचल के बावजूद प्रदेश को प्रगति के अन्तिम ध्येय तक आगे ले जा सकें। जो हमारा लक्ष्य है समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का, उसकी पूर्ति के लिये वह सफल प्रयास कर सकें। खास तौर से वह दल जिनका समाजवाद में विश्वास है उन पर तो और भी अधिक जिम्मेदारी है और उनको तो इस दिशा में; और भी चेष्टा करना है, क्योंकि उनको सतर्क रहना है, ऐसा न हो कि समाजवाद केवल एक नारा ही बन कर रह जाय और उसके खिलाफ जो आज प्रतिक्रियावादी शक्तियां हमारे देश में काम कर रही हैं वे सफल हो जायं। उनमें से कोई सोशलिस्ट इनसेनिटी की बात कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा न हो कि जो सही दिशा हमने पकड़ी है उससे हम विमुख हो जायं।

इसके अलावा अन्त में केवल एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा कि इस बजट के लिये एक साल का मौका है इसलिये कोशिश इसकी की जाय कि जितने टारगेट्स विभिन्न विभागों द्वारा नियत किये गये हैं वह सब पूरे हो जायं और मेग्जिमम इकोनामी हो कि अगर सही कोशिश की जाय तो १० फीसदी की बचत हो सकती है, बशर्ते कि सरकार की तरफ से इस बात का एक आदेश हो कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं

उनकी क्षमता का यह भी पैमाना होगा कि वह अपने काम को कम से कम धनराशि के अन्दर पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, यह बजट १३ फरवरी को पेश हुआ था। मुख्तलिफ विभागों के ऊपर इस दौरान में बहस होती रही। छः दिन के करीब जनरल डिबेट भी हुई जिसमें बहुत सी तकरीरें की गईं और उन सबका जबाब भी दिया गया। अलग-अलग विभागों के बारे में भी जो तकरीरें हुईं उनका जवाब होता ही रहा। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी की तरफ से बावजूद इसके यह शिकायत है कि शायद काफी बहस इस बजट पर नहीं हो सकी और वह चाहते थे कि मार्च के अन्दर सिर्फ वोट आन एकाउन्ट ले लिया जाता और उसके बाद, मालूम नहीं कितने दिन का उनका मंशा है, ३०, ४० दिन तक बजट पर बहस चलती। क्योंकि जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक हमारे फर्ज हैं उतना समय देने का, वह हमने दिया। मैं यह समझता हूं कि अगर उस वक्त को देखा जाय कि जो नेता लोगों को इस बजट के सिलसिले में तकरीर करने को दिया गया और उसी के साथ कुल वक्त जो इस पर सर्फ हुआ तो उसके बाद में शायद कोई ऐसी अहम बात नहीं रह जाती कि जो कोई माननीय सदस्य कहना चाहें वह न कह सकें। बहरहाल, तकरीर में जो बातें कही गईं, जितनी अहम बातें उसमें आ सकती थीं वह सब आयीं और बहुत सी बातों का जबाब भी हुआ। बहुत से ऐसे सुझाव थे जिनके बारे में सरकार की तरफ से कहा भी गया कि उन पर विचार किया जायगा। फैसला तो फौरन तकरीर के दौरान में नहीं हो सकता, बाद में ही होता है। इन सब बातों को देखते हुए यह कहना कि काफी वक्त नहीं मिला और हम अपनी इस परम्परा को बदलें इस बात के हक में कुछ नहीं कहा गया। ऐसा भी वक्त आता है, बाज वक्त यह हुआ है कि जिस साल चुनाव होते हैं उस साल मार्च के अन्दर अगर बजट को पास नहीं कर सकते किसी वजह से तो वोट आन एकाउन्ट कर देते हैं, या अगर यह खयाल होता है कि मार्च के बाद लेजिस्लेचर बदल जायगा तो भी मुनासिब समझा जाता है कि वोट आन एकाउन्ट हो जाय और नये लेजिस्लेचर के सामने बजट आये। मेरी समझ में कोई वजह नहीं मालूम होती जिसकी वजह से यह परम्परा बदली जाय।

यह भी कहा गया कि एप्रोप्रिएशन बिल के लिये पूरा एक दिन होना चाहिये। जहां तक वक्त के अलाटमेंन्ट का ताल्लुक है अगर नेता विरोधी दल या उनके साथी यह चाहते थे कि इसके लिये ज्यादा वक्त हो तो जो वक्त तय हुआ था कि बजट फलां समय तक पास हो जाना चाहिये उसमें से अगर कम करके एक दिन पूरा रखना चाहते तो हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं होता। सवाल तो यह था कि इस बजट की जो मियाद मुकर्रर हो जाती है उसके अन्दर पास करना है, उसी में अलग-अलग विभाग हैं, उनके मुताल्लिक भी हर चीज का तजकिरा आना चाहिये। तो अगर डिपार्टमेन्ट पर ज्यादा बहस करना चाहते थे तो उस पर ज्यादा वक्त लेते। इस बिल के मुताल्लिक यह तय पाया कि जो बातें पहले हो चुकी थीं उन्हीं को दोहराया गया था, इसलिये कोई ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं समझी गयी और आध घंटे का वक्त उन्हीं की रजामन्दी से रखा गया।

यह भी शिकायत हुई कि विभागों के लिये जो रुपया दिया जाता है उनके ऊपर फिर क्यों टिप्पणी होती है, वित्त विभाग को सैंक्शन देने में क्यों देर लगती है? इसकी वजह मैं अपनी ओपनिंग स्पीच में भी बतला चुका था कि अक्सर औकात यह होता कि एक स्कीम बनती है और बन कर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से उसका ऐप्रूवल मिल जाता है, लेकिन उसके बहुत से डिटेल्स उस वक्त तक फाइनल नहीं होते। अगर हम स्कीम को रोक दें, जब तक कि स्कीम फाइनल न हो तब तक हम मंजूर न करें तो ज्यादा देर हो जाने का अन्देशा होता है। इसलिये जब स्कीम्स मंजूर हो जाती हैं तो इस बात को देखने की जरूरत पड़ती है कि आया जो रुपया रखा गया है वह मुनासिब है या नहीं, उसके लिये फाइनेन्स की सैंक्शन की जरूरत होती है और इसीलिये कभी-कभी देर हो जाती है। लेकिन यह बराबर कोशिश हो रही है कि फाइनेन्स की सैंक्शन की देर से काम न रुके और जहां तक हो

[श्री सैयद अली जहीर]

सके अप्रैल के महीने में जितनी स्कीम्स कम्पलीट होती हैं उनकी सैंक्शन भेज दी जाती है और बराबर कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से देर न होने पाये। मैं उम्मीद करता हूं कि जो खास-खास बातें थीं उनका जवाब हो चुका है और जो बिल पेश हुआ है उसको सदन मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६० (The U. P. Appropriation Bill, 1960) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३ और अनुसूची

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६०-६१ के लिये ३,३६,५८,५३,२०० रु० का दिया जाना

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ३,३६,५८,५३,२०० रु० (तीन सौ छत्तीस करोड़ अट्ठावन लाख, तिरपन हजार दो सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत-कर की उगाही पर व्यय ..	२,९८,१००	१,०००	२,९९,१००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	६,५५,८६,०००	१८,०००	६,५६,०४,०००
३	राज्य आबकारी ..	९७,४५,९००	२,०००	९८,४७,९००
४	स्टाम्प ..	८,३५,०००	१,०००	८,३६,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
५	वन ..	२,८६,५३,५००	२९,४००	२,८६,८२,९००
६	निबन्धन ..	१८,६०,७००	२००	१८,६०,९००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय ..	१,५४,७८,३००	..	१,५४,७८,३००
८	बिक्री-कर के कारण व्यय ..	४०,९९,५००	५,०००	४१,०४,५००
९	अन्य करों और शुल्कों के कारण व्यय ..	८,२७,८००	२,०००	८,२९,८००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	५,२२,०८,५००	४,९३,०३,०००	१०,१५,११,५००
११	सिंचाई स्थापना पर व्यय ..	४,७८,०४,६००	४,०००	४,७८,०८,६००
१२	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं ..	३१,३३,४००	..	३१,३३,४००
१३	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	२,४६,६०,७००	१४,०७,१००	२,६०,६७,८००
१४	आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय ..	३,१२,८७,७००	५,०००	३,१२,९२,७००
१५	गांव सभाएं और पंचायतें ..	१,६६,११,२००	१,०००	१,६६,१२,२००
१६	न्याय-प्रशासन ..	१,५२,६४,९००	२९,९१,६००	१,८२,५६,५००
१७	जेल ..	१,८१,४४,९००	२,०००	१,८१,४६,९००
१८	पुलिस ..	९,८५,९५,९००	५,०००	९,८६,००,९००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१९	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप ..	२०,०८,८००	३००	२०,०९,१००
२०	शिक्षा ..	१७,२२,९६,२००	१,०००	१७,२२,९७,२००
२१	चिकित्सा ..	५,०२,१६,६००	३,०००	५,०२,१९,६००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	३,०१,७५,४००	७००	३,०१,७६,१००
२३	कृषि—सम्बन्धी विकास यंत्रण और शोध ..	३,८५,४४,२००	६८,०००	३,८६,१२,२००
२४	उपनिवेशन ..	५१,३१,३००	२,०००	५१,३३,३००
२५	पशु-पालन ..	१,९७,३८,३००	२,०००	१,९७,४०,३००
२७	विद्युत् योजनाओं की स्थापना व्यय ..	१,५५,३२,५००	१,३५,२७,०००	२,९०,५९,५००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	२,०५,१४,१००	२,०००	२,०५,१६,१००
२९	उद्योग ..	६,०९,४३,०००	२,०००	६,०९,४५,०००
३०	श्रम	१,३९,२४,०००	२,०००	१,३९,२६,०००
३१	परिवहन विभाग ..	१३,५८,६८,३००	५६,०००	१३,५९,२४,३००
३२	सूचना संचालन कार्यालय	४२,६२,३००	१,०००	४२,६३,३००
३३	खाद्य रसद संगठन ..	६३,६३,१००	६३,०००	६४,२६,१००
३४	सार्वजनिक निर्माण—कार्यों पर व्यय जो राजस्व में पूरे किये जाते हैं ..	६,०५,७४,१००	३,१३,७००	६,०८,८७,८००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
३५	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) ..	७२,२२,४००	..	७२,२२,४००
३६	सार्वजनिक निर्माण–कार्य स्थापना पर व्यय	१,०१,१४,८००	१००	१,०१,१४,९००
३७	नागरिक निर्माण–कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	१,०५,१८,०००	..	१,०५,१८,०००
३८	दुर्भिक्षासहायता ..	३५,१६,१००	५०,०१,०००	८५,१७,१००
३९	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें तथा शासकों के संबंधियों और सेवकों के भत्ते ..	१९,६४,०००	..	१९,६४,०००
४०	बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) ..	२,३८,९५,६००	१३,२५,१००	२,५२,२०,७००
४१	लेखन–सामग्री और मुद्रण	१,४०,७०,५००	१,०००	१,४०,७१,५००
४२	प्रकीर्ण व्यय ..	५,५९,०४,७००	१०,०००	५,५९,१४,७००
४३	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	२,५२,३०,१००	३००	२,५२,३०,४००
४४	समाज–कल्याण ..	५०,०३,२००	५००	५०,०३,७००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
४६	योजना और एकीकरण ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	११,२५,८५,२००	१,०००	११,२५,८६,२००
			१०,८४,९६,७००	१०,८४,९६,७००
	कम करना या उससे बचना		३४,०४,५६,२००	३४,०४,५६,२००
४७	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन	७,८९,६८,८००	..	७,८९,६८,८००
४८	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	९,६८,००,०००	१४,१८,०००	९,८२,१८,०००
४९	औद्योगिक विकास ..	१,२५,१२,४००	६,०००	१,२५,१८,४००
५०	राजस्व-लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत ..	१२,१९,५०,४००	२५,०००	१२,१९,७५,४००
५१	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	६,०८,०१,१००	..	६,०८,०१,०००
५२	कृषि-अभियंत्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	२,११,८४,२००	३,८०,०००	२,१५,६४,२००
५३	पेंशनों की संराशि ..	८,००,०००	२५,०००	८,२५,०००
५४	राज्य-व्यापार की योजनायें	२६,७८,१३,२००	५००	२६,७८,१३,७००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण ..	८३,८८,४२,४००	..	८,८८,४२,४००
	योग	२,४८,०८,८५,८००	५२,४९,६७,४००	३,३६,५८,५३,२००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १,२,३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०

३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६० पारित किया जाय।

श्री राजनारायण—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी,)

श्री अध्यक्ष—जब तक विभाजन हो न जाय और उसका निर्णय न हो जाय तब तक यह सदन बैठेगा यानी ५ बजे के बाद भी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अनुदान सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए हैं, यह हमें याद रखना है।

श्री राजनारायण—सर्व सम्मति से कोई भी स्वीकृत नहीं हुआ। वह तो आपसी समझौते के कारण ऐसा हुआ।

श्री अध्यक्ष—आप अपने मत को बदल भी सकते हैं।

श्री राजनारायण—यह ठीक है, मगर हमको उन्हीं कांग्रेस वालों के सरीखे मत बनाइये।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में— १६२,

विपक्ष में —४।)

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं और तारीख ३१ मार्च, गुरुवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे बृहस्पतिवार, ३१ मार्च, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२५ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५० पर)

जिलाधीश आजमगढ़ ने अपने ४ जुलाई, सन् १९५९ के पत्र, जिसके साथ चक्की भूसाडोही के किसानों द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था, में जिन बातों का उल्लेख किया था उनमें एक विवादग्रस्त भूमि में पैमाइश तथा अभिलेख क्रियाओं के किये जाने के सम्बन्ध में थी । उक्त पत्र में जिलाधीश, देवरिया का ध्यान राजस्व परिषद् द्वारा उक्त क्षेत्र में उक्त क्रियायें करने के सम्बन्ध में दिये गये आदेश का उल्लेख किया था तथा जिलाधीश, देवरिया के इस सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित पत्र, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि उक्त कार्य के निमित्त आय-व्ययक संबंधी तखमीने तैयार किये जा रहे थे, का भी उल्लेख करते हुये यह प्रार्थना की थी कि पैमाइश तथा अभिलेख क्रियाएं शीघ्र प्रारम्भ की जायं । इसका उत्तर जिलाधीश, देवरिया ने अपने १८ जुलाई, १९५९ के पत्र में यह दिया कि उक्त तखमीने तब तक भी परिषद् तथा उनके पत्र व्यवहार के अन्तर्गत थे तथा भूमि परिच्छेदन का कार्य आय-व्ययक संबंधी तखमीनों की स्वीकृति प्राप्त होने पर तुरन्त प्रारम्भ किया जायगा ।

दूसरी बात जो जिलाधीश, आजमगढ़ ने लिखी थी, वह जब तक कि उक्त विवादग्रस्त क्षेत्र में पैमाइश तथा अभिलेख क्रियाएं समाप्त न हो जायं, "यथावत् स्थिति" (Status quo) रखने के सम्बन्ध में थी । उन्होंने लिखा था कि किसानों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र से यह मालूम होता है कि उक्त भूमि में यथावत् स्थिति नहीं रक्खी गई तथा परगनाधीश, सलेमपुर ने वहां परताल करने के समय नये कब्जे लिखे हैं जिससे किसानों को आपत्ति हो सकती है तथा शान्ति भंग हो सकती है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि दफा १४५ जाब्ता फौजदारी के जो दो मुकदमें वहां चल रहे थे उनमें पैमाइश इत्यादि क्रियाओं के पूरा होने तक कार्यवाही रोक दी जाय । जिलाधीश, देवरिया ने अपने उक्त पत्र में इस सम्बन्ध में यह उत्तर दिया कि उन्हें ऐसा मालूम हुआ है कि परगनाधीश सलेमपुर ने अपने दौरे पर कोई नया कब्जा दर्ज नहीं किया । फौजदारी के जिन दो मुकदमों में कार्यवाही रोक दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधीश, आजमगढ़ ने लिखा था, जिलाधीश, देवरिया ने यह बताया कि उक्त मुकदमों का तत्कालीन परगनाधीश ने पहले ही २७-५-५९ को फैसला दे दिया था । जिस पक्ष को उस फैसले में आपत्ति थी उसने सेशन में अपील कर दी तथा तत्सम्बन्धित पत्रावलियां उक्त अदालत को भेज दी गई हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५४ पर)

१९५९ की हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट परीक्षा में विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या व प्रतिशत

	हाई स्कूल परीक्षा १९५९								इंटरमीडियेट परीक्षा १९५९					
	अंग्रेजी अ प्रथम	अंग्रेजी ब प्रथम	अंग्रेजी (अ ब) द्वितीय	जीव विज्ञान प्रथम	जीव विज्ञान द्वितीय	सामान्य विज्ञान प्रथम	सामान्य विज्ञान द्वितीय	गणित प्रथम	गणित द्वितीय	अंग्रेजी अ प्रथम	अंग्रेजी अ द्वितीय	अंग्रेजी ब प्रथम	अंग्रेजी ब द्वितीय	अंग्रेजी (अ ब) तृतीय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	९२,७४५	९,३९४	८४,७१५	२८,५७१	३०,२७५	७,९६१	६,६५५	१,३५,८५७	९४,२७०	३४,०२३	४१,७४४	३,८५४	२,९९३	४५,८०२
प्रतिशत	५६.२	५५.७	४६.६	४८.९	५७.३	६६.४	५५.५	७७.८	५४.०	४९.५	६०.७२	५४.४५	४२.३	६६.६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६१ पर ।)

फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में अब तक हुये चकबन्दी के कार्य की प्रगति का विवरण

१--२५३ ग्रामों में चकबन्दी कमेटी बनी है ।

२--२०८ ग्रामों की खतौनी की जांच का कार्य समाप्त हो चुका है ।

३--१०३ ग्रामों में नक्शे तरमीम किये गये ।

४--१५२ ग्रामों में तस्दीक खतौनी होकर फेहरिस्त नाबालिगान वगैरा बनाई गई ।

५--४६ ग्रामों में पड़ताल समाप्त हो चुकी है ।

६--१४ ग्रामों में पड़ताल के बाद खतौनी व खसरा के उद्धरण बांटे जा चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६८ पर)

अलीगढ़ बस स्टेशन के कम्पाउण्ड के अन्दर की घटना का विवरण

दिनांक १२--२--६० को ७ बजे शाम थाना बन्नादेवी पर योगेन्दर पाल सिंह हेड टाइम कीपर रोडवेज, अलीगढ़ ने तहरीरी सूचना दी कि तारीख १२--२--६० को शाम को लगभग ६ बजे श्री बलबीर सिंह, ठा० साहब सिंह साकिन महाबरी खुर्जा लाइन में टिकट ले रहे थे कि अतीकुल रहमान को जेब टटोलते हुए पकड़ लिया तो श्री मुरारी लाल वर्मा कन्डक्टर, श्री बुद्धा चपरासी व श्री बलबीर सिंह उसे पकड़ कर आफिस में ले आये। तलाशी से उसके पास से एक ब्लेड मिला, उसने अपनी गलती की माफी मांगी। हम उसे मय ब्लेड के मुरारी लाल वर्मा कन्डक्टर व बुद्धा चपरासी द्वारा थाना भेज रहे थे कि अतीकुल रहमान रोने लगा, शोर सुन कर पिट्ठी, मुन्ना, अब्दुल सतार व स्वालीन कहीं से आ गये। पिट्ठी के हाथ में चाकू, मुन्ना के हाथ में लाठी, सत्तार के हाथ में हाकी स्वालीन के हाथ में सोडे की बोतल थी। पिट्ठी ने अतीकुल रहमान को छोड़ने के लिये कहा। मैंने वहां छोड़ने के लिये मना किया और कहा कि हम तो पुलिस में देंगे। इतने में विजयसिंह सिपाही आ गया, वे हमसे व सिपाही से बहस की बातें करने लगे, इतने में और आदमी भी आ गये। सत्तार ने हाकी, मुन्ना ने लाठी चलाई जो विजय सिंह सिपाही के लगी और स्वालीन ने बोतलें फेंक कर मारी जिनके शीशे श्री जे० आर० ब्रेव, ड्राइवर के लगे। पिट्ठी, मुन्ना, सत्तार व स्वालीन मजमे को देख कर भागे। रूबी सिनेमा के सामने वाले दरवाजे पर सरूपा मेहतर था, उसने पिट्ठी, मुल्जिम को पकड़ा। पिट्ठी ने उसके पेट में चाकू मारा और सत्तार व मुन्ना ने हाकी व लाठी चलाई। सरूपा गिर गया था किन्तु होश में था। मुल्जिमान भाग गये। अतीकुल रहमान को पकड़े रहे। अतीकुल रहमान ने भी भागने की कोशिश की थी। मारपीट पर काबू कर लिया गया था। अतीकुल रहमान को पकड़ कर थाने लाये।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९७२ पर)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त प्रवर समिति का सभापति, जिसे* उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९, निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को प्राधिकृत किया गया हूं । अतः मैं समिति का प्रतिवेदन, उसके द्वारा संशोधित विधेयक सहित प्रस्तुत करता हूं ।

२--यह विधेयक विधान सभा में २० अगस्त, १९५९ को पुरःस्थापित किया गया । सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट करने का संकल्प (नत्थी 'क') न्याय मंत्री ने २७ अगस्त, १९५९ को प्रस्तुत किया ।

३--विधान परिषद् ने संकल्प पर ४, ७ तथा ८ सितम्बर, १९५९ को चर्चा की और उपर्युक्त संकल्प पर ८ सितम्बर, १९५९, को सहमति प्रकट की । (नत्थी 'ख')

४--विधान परिषद् से प्राप्त संदेश ९ सितम्बर, १९५९, को विधान सभा में पढ़कर सुनाया गया और विधान सभा ने १० सितम्बर, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये अपने १६ सदस्यों को चुना तथा ११ सितम्बर, १९५९ को श्री अध्यक्ष ने श्री राममूर्ति को समिति का सभापति मनोनीत किया ।

५--समिति की कुल ९ बैठकें हुईं ।

६--समिति की प्रथम बैठक कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये २८ सितम्बर, १९५९ को हुई । इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि उन संस्थाओं का साक्ष्य जो इस सम्बन्ध में प्रार्थना करें, ले लिया जाय ।

७--समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्ष्य को उनके सम्मुख अंकित तिथियों में सुना :

(१)	तराई कृषक संघ, काशीपुर (जिला नैनीताल) ..	२६-१०-५९
(२)	सब लेजीज आफ गवर्नमेंट लेजीज, बाजपुर ..	२६-१०-५९
(३)	गवर्नमेंट लेजीज, बाजपुर	२६-१०-५९
(४)	इण्डियन शुगर मिल्स यूनियन, लखनऊ ..	२६-१०-५९

प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का सारांश इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है । (नत्थी 'ग')

८--समिति ने यह भी निश्चय किया कि तराई भावर (जिला नैनीताल) के फार्मों का निरीक्षण किया जाय और तदनुसार समिति ने २० मार्च, १९५९ को उन फार्मों का निरीक्षण किया ।

९--समिति ने २६-१०-५९, २७-१०-५९, २८-१०-५९, ५-११-५९, ५-२-६० ६-२-६० तथा ६-३-६० की बैठकों में विधेयक पर खण्डशः विचार किया । समिति की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण विधेयक की इबारत के बाद छपा है ।

१०--संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन ११ दिसम्बर, १९५९ तक प्रस्तुत किया जाना था। समिति के लिये उसका समय २१ दिसम्बर, १९५९, को ३१ मार्च, १९६० तक बढ़ाया गया ।

११--समिति ने प्रतिवेदन पर विचार करके उसे मार्च, १९६० को स्वीकार किया ।

१२--विधेयक में समिति द्वारा किये गये मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

(१) जहां भी "अच्छी औसत प्रकार की भूमि" शब्द प्रयोग किये गये थे उनके स्थान पर शब्द "अच्छे प्रकार की भूमि" रख दिये गये और ५ रुपये प्रति एकड़ से अधिक

---

*उत्तर प्रदेश सरकार के साधारण गजट, दिनांक २९ अगस्त, १९५९ के अनुपूरक भाग ७ में प्रकाशित ।

मौरूसी दर वाली भूमि को अच्छे प्रकार की भूमि मानने के बजाय ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक मौरूसी दर वाली भूमि को अच्छे प्रकार की भूमि माना गया। यह भी व्यवस्था की गई कि ४ रुपये प्रति एकड़ से अधिक और ६ रुपये प्रति एकड़ तक मौरूसी दर वाली भूमि के डेढ़ एकड़ और ४ रुपये प्रति एकड़ या उससे कम मौरूसी दर वाली भूमि के २ एकड़ अच्छे प्रकार की भूमि के १ एकड़ के बराबर समझे जायेंगे।

(२) "परिवार" शब्द की परिभाषा इस प्रकार संशोधित कर दी गई कि उसमें जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित संबंधियों का, जो स्वयं अपने-अपने पृथक् अधिकार में खातेदार न हों, समावेश किया गया :

(क) पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो,

(ख) आश्रित पिता तथा आश्रित माता,

(ग) धारक के ऐसे पुत्र तथा पुत्र के पुत्र जो उससे पृथक् न हुये हों और उनकी पत्नी या विधवा,

(घ) अविवाहिता पुत्री तथा पृथक् न हुये पुत्र की अविवाहिता पुत्री ।

(३) जो यह व्यवस्था थी कि अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में १५ अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गये भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन विचार में नहीं लाये जायेंगे, उसके सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि १५ अगस्त, १९५९ ई० के बाद के नहीं बल्कि २० अगस्त, १९५९ ई० के बाद के हस्तान्तरणों तथा विभाजनों पर विचार नहीं किया जायगा ।

(४) धर्मांतर वक्फ, न्यास या निबंध के अधिकार की भूमि की ही तरह दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के अधिकार की भूमि को भी जो १ मई, १९५९ के पहले से उसके पास या अधीन रही हो, अधिकतम सीमा के आरोपण से विमुक्त कर दिया गया ।

(५) पूरे वर्ष गाड़ियों के यातायात के लिये प्रयुक्त होने वाली फार्म की सड़कों को भी अधिकतम सीमा के आरोपण से विमुक्त कर दिया गया ।

(६) २० अगस्त, १९५९ के पूर्व निबंधित हो चुकी सहकारी समितियों की भूमि के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि जो भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व ऐसी समितियों की जोत का भाग रही हो वह अतिरिक्त भूमि होते हुये भी उसका बन्दोबस्त ऐसी सहकारी समितियों से इस शर्त पर किया जा सकता है कि वे राज्य सरकार को उसके बदले में ऐसा प्रतिफल देंगी जो नियत किया जाय ।

(७) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित सहकारी समितियों के साथ अतिरिक्त भूमि का जो बन्दोबस्त किया जायगा उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि उनको उतनी ही भूमि मिले कि यदि वह सभी सदस्यों में बराबर-बराबर बांटी जाय तो किसी को ३ १/८ एकड़ से अधिक भूमि न मिले ।

(८) शास्तियों के सम्बन्ध में जो यह व्यवस्था थी कि अर्थ दंड ५०० रु० तक हो सकता है उसको बढ़ाकर १,००० रु० तक कर दिया गया ।

१२---समिति ने विधेयक में जो संशोधन किये हैं वे प्रायः सब ही सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये थे अतः सरकार के संशोधनों को पृथक् से नहीं छापा गया है ।

१३---समिति के सदस्य सर्वश्री महाराज सिंह भारती व हरदयाल सिंह तथा जयबहादुर सिंह, भीखालाल व भूप किशोर तथा नवरंग सिंह ने विमति टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं जो प्रतिवेदन के साथ छापी जाती हैं ।

राममूर्ति
सभापति ।
२१-३-६०

विमति टिप्पणी

योजना आयोग के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा ३० एकड़ होनी चाहिये । जहां सारे देश में ६९ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर हैं वहां उत्तर प्रदेश में खेती पर ७४.२ प्रतिशत व्यक्ति निर्भर करते हैं । पंजाब व राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तुलना में प्रति व्यक्ति पीछे कहीं अधिक जमीन है और उन्होंने अधिकतम जोत की सीमा ३० एकड़ रखी है । जैसा कि दिल्ली में अधिकतम जोत सीमा निर्धारण विधेयक की प्रवर समिति की रपट से स्पष्ट है । इस प्रदेश में किसी भी सूरत में एक परिवार को ३ हलों की लाभप्रद जोत से अधिक भूमि नहीं मिलनी चाहिये, जो औसत उपजाऊ भूमि के २० एकड़ के बराबर होती है । ४० एकड़ की सीमा अत्यधिक है और फिर मौरूसी दर की आड़ में जैसे ८० एकड़ तक ले जाना और भी गलत है । असिंचित और कम उर्वर भूमि ड्योढ़ी अर्थात् ३० एकड़ तक दे दी जाय । ६ रु० से अधिक मौरूसी दर की भूमि उत्तर प्रदेश में नगण्य संख्या में उपलब्ध है और वह भी बड़ी जोतों में मिलती आसान नहीं । अतः ४० एकड़ की सीमा भ्रामक है और उसे साथ ६० व ८० एकड़ समझना चाहिये । यही नहीं परिवार संख्या ५ से आगे बढ़ने पर प्रति व्यक्ति ८ एकड़ के स्थान पर ४ एकड़ मिलनी चाहिये और इसी प्रकार अधिकतम सीमा २४ एकड़ के बजाय १२ एकड़ ही होनी चाहिये । कम उपजाऊ भूमि इससे ड्योढ़ी की जा सकती है ।

जहां तक परिवार की परिभाषा का संबंध है वर्तमान परिभाषा अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार बनकर ८० एकड़ तक भूमि ले सकता है और उसके लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि उसने लिखित रूप में भूमि का बंटवारा करा लिया हो । जबानी खानदानी समझौते के आधार पर भी परिवार का एक सदस्य स्वयं एक परिवार बन सकता है । २० अगस्त, १९५९ परिवार के बंटवारे की अंतिम तिथि निश्चित करना भी अनुचित है ।

भारतीय संसद ने १०-२-५९ को अधिकतम भूमि सीमा आरोपण विधेयक लाने की घोषणा की थी। तत्पश्चात् लोगों को अपनी भूमि बचाने के लिये सतर्क होना स्वाभाविक था। अतः वर्तमान विधेयक में २० अगस्त, १९५९ तिथि बंटवारे की घोषित करने में कोई औचित्य नहीं । यहां एक बात और दृष्टव्य है । उत्तर प्रदेश में वृहत् जोत-कर अधिनियम के उद्देश्य व कारणों में यह कहा गया था कि भूमि के बंटवारे में यह विधेयक सहायक होगा और उसमें परिवार की परिभाषा इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु जो की गई है कम से कम अब सरकार का इस विधेयक में उसमें दी गई परिवार की परिभाषा से हटाना कोई औचित्य नहीं रखता ।

धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत गैर-कानूनी हस्तान्तरण की उपेक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा वरन् यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि सीमा से अधिक जो भूमि ली जायगी वह उसी भूमि से ली जानी चाहिये जो हस्तांतरणकर्ता के पास कृषि भूमि के रूप में उपलब्ध हो । उक्त धारा की उपधारा (३) में सरकार को किये गये हस्तांतरण के स्थान पर "सरकार द्वारा एक्वायर की गई भूमि का ही" अपवाद रखना उचित होता ।

धारा ३ की उपधारा (१) में बाग भूमि को मुक्त नहीं करना चाहिये क्योंकि देशी आम, महुआ, जामुन आदि के बाग लोग नहीं लगा रहे हैं । लाखों एकड़ भारी आमदनी देने वाले कलमी आम, नींबू, नारंगी व सिटरस जाति के अन्य फल, लुकाट, लीची, अमरूद आदि के बाग लगाये गये हैं जिसके कारण बांटने के लिये भूमि नहीं के बराबर रह गई है ।

उक्त धारा की उपधारा (४) में निवास गृह से अनुबद्ध क्षेत्र की सीमा निश्चित होना आवश्यक है और उपधारा (६) में चाय, काफी, रबड़ की रोपस्थियां भी मुक्त नहीं होनी चाहिये। ऐसे किसानों को उक्त खेती में लाभ है और प्रोसेसिंग में यदि कठिनाई हो, सहकारिता का सहारा लेकर उसे दूर किया जा सकता है । उपधारा (७) में जड़ी-बूटियों के उगाने का काम लाभप्रद रूप से सीलिंग के अन्तर्गत भी हो सकता है । दूसरे विधेयक में औषधियों का विवरण

नहीं दिया गया । अतः राज्य सरकार की इच्छा पर इस विषय को छोड़ना उचित नहीं । उपधारा (८) की मुक्ति भी न्याययुक्त एवं श्रेयस्कर नहीं । उपधारा (१०) में दी गई मुक्ति निरर्थक एवं अहितकर है । सीलिंग के अन्तर्गत भी बहुत अच्छी गोशाला चलाई जा सकती है । उपधारा (१३) में भूदान यज्ञ समिति को मिली भूमि का वितरण भी सरकार अन्य भूमि की भांति कर दे तो अच्छा है ।

उपधारा (१४) का रखना भी निरर्थक एवं सारहीन है क्योंकि सरकारी समझौतों के अन्तर्गत भूमि उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना दी गई है । अतः वह सरकार के कानून से मुक्त नहीं और उसका लगान आदि अन्य किसानों की भांति ही लिया जाता है । उपधारा (१५) में बैंक को उसका रुपया तो सरकार चुका दे लेकिन भूमि सीलिंग से अधिक सरकारी बैंक के पास भी नहीं रहनी चाहिये । उपधारा (१६) में कुक्कुट पालनादि का कार्य विशेषत सीलिंग के अन्तर्गत ही चल सकते हैं । मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं । साथ ही अन्य प्रयोजन की घोषणा राज्य सरकार को देना भी उचित न होगा । उपधारा (१७) विधेयक की आत्मा के विरुद्ध है । अतः निकाल दी जानी चाहिये अन्यथा सरकारी पक्ष के लोग इसका दुरुपयोग करेंगे । उपधारा (१८) को निश्चयात्मक होना चाहिये ताकि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक भूमि सड़कों के रूप में मुक्त न कराई जा सके ।

फूलों की खेती पूर्णतया लाभप्रद होनेके कारण सीलिंग के अन्तर्गत ही रहनी चाहिये, इस तरह की छूट से भूमि का दुरुपयोग होगा ।

धारा १६ भी निरर्थक है और हटा देना चाहिये था क्योंकि सीलिंग के अन्तर्गत बाग वगैरह लगाये जा सकते हैं क्योंकि यह भी कृषि की भांति लाभप्रद है ।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य भूमिहीनों और अलाभकर जोतों को लाभकर बनाने के लिये भूमि देना होना चाहिये, उसको जान-बूझकर विकृत किया गया है । परिणामस्वरूप इसकी धारायें विधेयक में प्रस्तुत की गई हैं जिनके द्वारा जो थोड़ी भूमि सरकार को मिलेगी उसमें सरकारी फार्म खुल जायेंगे और उन फार्मों का प्रबन्धक भी पुराने भूमि मालिकों को बनाया जा सकेगा । अलाभकर जोत वाले किसानों को कोई भूमि मिलेगी नहीं, वह केवल १५ एकड़ से कम भूमि का उपयोग केवल उस दशा में कर सकेंगे जब कि उनकी संख्या १५:२० होगी और अपनी समस्त भूमि को मिलाकर सहकारी खेती करने के लिये तैयार होंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता । भूमिहीन मजदूरों को भी कोई भूमि नहीं मिलेगी, वह भी सहकारी खेती द्वारा ही उस भूमि का उपयोग कर सकेंगे और उनके उपयोग की सीमा एक एकड़ से लेकर ३ १।८ एकड़ तक रखी गई है जो न तो लाभप्रद होगी न सहकारिता की सम्भावनायें ही बढ़ायेंगी ।

धारा २५ निरर्थक है अतः इसे हटा देना चाहिये अन्यथा इसका दुरुपयोग होगा । जिस भूमि को एक्वायर करने की दरख्वास्त पहले से किसी ने नहीं दे रखी है उसे अनावश्यक रूप से नियंत्रित करके दे देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है ।

धारा २७ की उपधारा (१) अवैधानिक है क्योंकि यह विधि के समक्ष भेदभाव की नीति बरतती है । जमीन के स्थान पर रुपये का हिस्सा देने पर मुक्ति प्रदान करना सर्वथा अनुचित एवं अवैधानिक है ।

धारा ३१ के अन्तर्गत नदी के गर्भ से निकली भूमि पर केवल सरकार का अधिकार होना चाहिये और उसके बांटने में प्राथमिकता उन लोगों को दी जाय जिनकी भूमि नदी में कट चुकी है ।

धारा ४५ को हटाना भी नितान्त आवश्यक है अन्यथा वे लोग जो अब तक टैक्स देते थे उसी भूमि के स्वामी और वृहत्-जोत-कर विधेयक की सीमा में आते हुये भी टैक्स से मुक्त हो जायेंगे ।

चूंकि भूमि जीवनोपार्जन का साधन और राष्ट्र से ऊपर उसका स्वामित्व किसी का नहीं हो सकता, अतः मुआवजा का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिये और चूंकि सीलिंग के अन्तर्गत पर्याप्त भूमि कृषि तथा दूसरे प्रयोग के लिये छोड़ी जा रही है अतः पुनर्वास का भी प्रश्न नहीं उठता परन्तु वैधानिक कठिनाइयों को देखते हुये चूंकि मुआवजा देना ही पड़ेगा, अतः उसकी राशि कम से कम होनी चाहिये और किसी भी सूरत में एक्वायर की गई भूमि की तुलना में अधिक नहीं होनी चाहिये।

पक्के कुयें, नलकूप, सिंचाई की नालियों आदि के संबंध में मुआवजा तभी दिया जाना चाहिये जब वे प्रयोग में आ रही हों और कावजे का सिद्धान्त उनकी पूर्ण आयु के अनुसार अवमूल्यन के सिद्धान्त पर होना चाहिये न कि प्रतिशत के अनुसार।

उपर्युक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार का मन्शा भूमि की सीलिंग करने का नहीं था किन्तु प्रदेश की व देश की जनता के समक्ष भूमि की सीलिंग की पुकार को भी शान्त करना था। अतः केवल खाना पूरी करने के हेतु इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। यदि यह विधेयक संशोधित नहीं किया जाता है तो प्रथम तो बांटने के लिये इस विधेयक के अनुसार भूमि उपलब्ध ही नहीं होगी और थोड़ी-सी भूमि यदि उपलब्ध भी हुई तो उस पर सरकारी फार्म बनेंगे। जनता के लिये उसका मिलना इस बिल के अनुसार असम्भव सा प्रतीत होता है। संक्षेप में यह विधेयक पूर्णतः प्रतिक्रियावादी और अनिच्छा-पूर्वक बनाया गया है, जिसका परिणाम है कि इस पर जो खर्चा होगा वह प्राप्त होने वाली भूमि के अनुपात में उसके मूल्य से कई गुना ज्यादा होगा।

महाराज सिंह भारती,
सदस्य, विधान परिषद्।

दिनांक २५ मार्च, १९६०।

हरदयालसिंह,
सदस्य, विधान सभा।

विमति टिप्पणी

जोतों को हदबन्दी उन उग्रवादी भूमि-सुधारों में है जिनको आवश्यकता देश का राष्ट्रीय आन्दोलन सदा से महसूस करता चला आ रहा है। इसको सिफारिश कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने १९५२ में तथा उसके बाद योजना आयोग ने अपनी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्ट में की थी। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव ने राज्यों की कांग्रेस सरकारों को यह आदेश दिया था कि १९५९ के अन्त तक इस सम्बन्ध में कानून बन जाने चाहिये।

२—स्वयं शासक दल के इन स्पष्ट आदेशों तथा योजना आयोग की इन बार-बार की गई सिफारिशों के बाद भी इस सम्बन्ध में अब तक कानून का न बन पाना काफी खेदजनक बात है। किन्तु इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, जो २० अगस्त, १९५९ से राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के विचाराधीन है, उन उद्देश्यों से कोसों दूर है जिनकी पूर्ति के लिये योजना आयोग और कांग्रेस भूमि सुधार समिति ने जोतों की हदबन्दी की सिफारिश की थी। राज्य के विधान मण्डल के दोनों सदनों में न केवल विरोधी पक्ष के अपितु बहुत से कांग्रेसी विधायकों ने भी प्रारम्भिक वाद-विवाद के समय उपर्युक्त विधेयक की कड़े शब्दों में आलोचना की।

३—हमें आशा थी कि इस वाद-विवाद के बाद जब विधेयक प्रवर समिति के सम्मुख जायगा समिति के सदस्य उसके दोषों को दूर करके उसे अपने उद्देश्यों के अधिक अनुरूप बनाने की चेष्टा करेंगे, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने बहुत से संशोधन प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये। किन्तु हमें खेद है कि न सिर्फ हमारे लगभग सभी संशोधन अस्वीकृत कर दिये गये बल्कि विधेयक को और भी प्रतिक्रियावादी दिशा में संशोधित करके उसको एक दम निरर्थक बना दिया गया है और अपने घोषित उद्देश्यों को ठीक उल्टी दिशा में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसी दशा में हमारे सामने केवल एक ही मार्ग रह गया है। समिति के बहुमत के दृष्टिकोण से पूर्णरूपेण असहमत होने के कारण अपनी विमति टिप्पणी लिख दें।

जोतों की हद बन्दी के उद्देश्य

४—जोतों की हदबन्दी के किसी भी विधेयक के लिये योजना आयोग की भूमि सुधार उप-समिति ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं जिनसे हम पूर्णतया सहमत हैं :—

"(क) भूमि प्राप्त करने की व्यापक आकांक्षा की पूर्ति।

(ख) भूमि के स्वामित्व तथा प्रयोग में मौजूद उग्र असमानता में कमी करना।

(ग) कृषिजन्य आय की असमानता में कमी करना।

(घ) निजी उद्यमों में रोजगार पाने के क्षेत्र का प्रसार करना।"

योजना आयोग की लैंड रिफार्म पैनेल की रिपोर्ट (अ) पृष्ठ ९९।

५—जोतों की हदबन्दी से इतनी भूमि किसी भी हालत में प्राप्त नहीं हो सकती कि हर भूमिहीन और अर्द्ध भूमिहीन को उसकी गुजर बसर के लिये काफी भूमि दी जा सके। इसलिये हमारा यह स्पष्ट मत है कि जो कुछ भी भूमि प्राप्त हो उसको भूमिहीनों तथा गरीब किसानों के प्रयोग के लिये ही सुरक्षित रखा जाय। किन्तु विधेयक में "अधिकतम लोक-हित साधन" तथा "अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों" के नाम पर इस बात की गुंजाइश छोड़ दी गई है कि अतिरिक्त भूमि के एक अंश को भूमिहीनों तथा अर्द्ध भूमिहीन गरीब किसानों में वितरित करने के बजाय अन्य कार्यों के लिये ले लिया जाय। हम समझते हैं कि यह गलत है और हमारी राय में विधेयक के घोषित उद्देश्यों को बिलकुल योजना आयोग की भूमि सुधार उप-समिति द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।

हदबन्दी के लागू होने का क्षेत्र

६—हमारा दृढ़ मत है कि जोतों की हदबन्दी राज्य के हर भाग में तत्काल लागू की जाय। इसके लिये आवश्यक है कि विधेयक में से धारा २ के उन उपखण्डों को हटा दिया जाय जिनके अनुसार शहरों और कस्बों की कृषि भूमि, कुमायूं डिवीजन के बहुत बड़े भाग तथा देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र को हदबन्दी से तत्काल मुक्त रखा गया है। हमारा यह भी मत है कि यदि इन क्षेत्रों में हदबन्दी लागू करने में कोई कानूनी कठिनाई हो तो उसे तत्काल दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये और इस कठिनाई को बहाना बना कर इन क्षेत्रों में हदबन्दी को अनिश्चित काल के लिए टाल नहीं देना चाहिये। हमारे राज्य का यह दुःखद अनुभव है। नागर क्षेत्र जमीन्दारी विनाश विधेयक का अधिनियम बनाने में कई वर्ष लग गये और कुमायूं जमीन्दारी विनाश विधेयक ४–५ वर्ष बीत जाने पर भी आज तक कानून नहीं बन पाया है। ऐसी हालत में यह आशा नहीं की जा सकती कि सरकार विधेयक की धारा २ के अनुसार उपर्युक्त क्षेत्रों में जोतों की हदबन्दी को शीघ्र लागू करेगी। इस प्रकार लम्बे अर्से तक जोतों की हदबन्दी को टाल देने का नतीजा यह होगा कि इन क्षेत्रों के बड़े भू-स्वामी सजग हो जायेंगे और अपनी भूमि के फर्जी बटवारे करके भविष्य में हदबन्दी लागू करना निरर्थक बना देंगे।

परिवार की परिभाषा और फर्जी बटवारों की समस्या

७—जब से नागपुर कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्ताव पास हुआ है देश भर में बड़े भू-स्वामियों ने बड़े पैमाने पर अपनी जोतों के फर्जी बटवारे अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों में करने शुरू कर दिये। इन फर्जी बटवारों का उद्देश्य हदबन्दी से अपनी भूमि बचाकर उसे एक दम निरर्थक बना देना है। अतएव इन फर्जी बटवारों पर रोक लगाने तथा नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव पास होने के बाद से हुए तमाम भूमि के हस्तान्तरणों को अवैध घोषित कर देने की मांग उस समय से उठ रही है।

८—फर्जी बटवारों को रोकने के लिये परिवार की परिभाषा सही ढंग से की जानी अत्यन्त आवश्यक है। एक परिवार के बालिग तथा नाबालिग सदस्यों की कुल भूमि को चाहे वह एक खाते में हो अथवा पृथक् खातों में, हदबन्दी के लिये एक साथ शामिल माना जाना चाहिये।

९—मूल विधेयक तथा प्रवर समिति द्वारा संशोधित उसके प्रारूप दोनों में फर्जी बटवारों को रोकने के लिये आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई है। नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद से २० अगस्त, १९५९, तक हुए फर्जी बटवारों को बिलकुल नजरअन्दाज कर दिया गया है। २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निबन्धित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन अथवा २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन किसी वाद के अन्तर्गत होने वाले उसके बाद के बंटवारों को भी वैध जान लिया गया है। परिवार की परिभाषा ऐसे ढंग से की गई है कि यदि उसका कोई भी सदस्य स्वयं अपने पृथक् अधिकार से खातेदार होगा तो उसे पृथक् परिवार माना जायगा।

हम समझते हैं कि इन खामियों के रहते जोतों की हदबन्दी से बहुत कम भूमि प्राप्त हो सकेगी और जो कानून भी बनेगा वह राज्य के लाखों भूमिहीन तथा अर्द्ध भूमिहीन परिवारों की आशाओं के साथ क्रूर उपहास होगा।

भूमि का वर्गीकरण

१०—जोतों की हदबन्दी के लिये भूमि का उसकी पैदावार के आधार पर वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। विधेयक में इस प्रकार के वर्गीकरण के लिये लगान की दरों को एकमात्र आधार माना गया है यद्यपि जिन क्षेत्रों में लगान की दरें पैदावार की तुलना में बहुत कम हैं उनके संशोधन करने की व्यवस्था भी है। किन्तु पिछले बन्दोबस्त के बाद से सिंचाई अथवा यातायात के साधनों के प्रसार, विकास खण्डों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं, प्राकृतिक परिवर्तनों, मनुष्यों के प्रयत्न अथवा उपेक्षा इत्यादि के फलस्वरूप अधिकांश जगहों पर भूमि की पैदावार

में परिवर्तन हो गये हैं जिनके आधार पर लगान की दरों में परिवर्तन नहीं किये गये हैं। विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हर जगह पर लगान के आधार पर भूमि के वर्गीकरण के समय पैदावार में हुये परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाय और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर लिये जायं। इसलिये हमारी राय में विधेयक में भूमि के वर्गीकरण के लिये की गई व्यवस्था दोषपूर्ण है।

११---किन्तु पैदावार में हुये परिवर्तनों के आधार पर भूमि के वर्गीकरण में संशोधन करने का तरीका सीधा-सादा और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिये। चकबन्दी की तरह का जटिल और परेशान करने वाला तरीका अपनाने के हम खिलाफ हैं। इस प्रकार का तरीका अपनाने में न सिर्फ हदबन्दी करने में दसियों वर्ष लग जायेंगे बल्कि भ्रष्टाचार के कुप्रभाव से गरीब जनता की रक्षा करना असम्भव हो जायगा।

१२---प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक में अच्छे प्रकार की भूमि उसे माना गया है जिसका मौरूसी लगान ६ रु० प्रति एकड़ से अधिक हो। इसी तरह ४ रु० से अधिक और ६ रु० प्रति एकड़ की भूमि द्वितीय श्रेणी की तथा ४ रु० या कम प्रति एकड़ लगान की भूमि तृतीय श्रेणी की मानी गई है। द्वितीय श्रेणी की भूमि का डेढ़ तथा तृतीय श्रेणी की भूमि का २ एकड़ अच्छे प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर माना गया है। ५ व्यक्तियों के औसत परिवारों के लिये अधिकतम सीमा प्रथम श्रेणी की भूमि के लिये ४० एकड़, द्वितीय श्रेणी की भूमि के लिये ६० एकड़ तथा तृतीय श्रेणी की भूमि के लिये ८० एकड़ होगी। परिवार के सदस्यों की संख्या ५० से बढ़ने पर प्रति व्यक्ति प्रथम श्रेणी की भूमि के ८ एकड़, द्वितीय श्रेणी की भूमि के १२ एकड़ तथा तृतीय श्रेणी की भूमि के १६ एकड़ और दिये जायेंगे किन्तु इस प्रकार से अधिक से अधिक क्रमशः २४, ३६ तथा ४८ एकड़ भूमि दी जा सकती है। अतएव बड़े परिवारों के लिये अधिकतम जोत क्रमशः ६४, ९६ तथा १२८ एकड़ होगी।

१३---मूल विधेयक में अच्छे प्रकार की भूमि उसे माना गया था जिसका मौरूसी लगान ५ रु० प्रति एकड़ से अधिक हो। ३ रु० से अधिक और ५ रु० प्रति एकड़ तक की भूमि द्वितीय श्रेणी की तथा ३ रु० या कम प्रति एकड़ लगान की भूमि तृतीय श्रेणी की मानी गई थी। प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत संशोधन का नतीजा यह होगा कि ५ रु० से ६ रु० प्रति एकड़ तक के लगान की भूमि जो पहले अच्छे प्रकार की भूमि मानी जाती अब द्वितीय श्रेणी की मानी जायगी तथा ३ रु० से ४ रु० प्रति एकड़ लगान की भूमि जो पहले द्वितीय श्रेणी की मानी जाती, अब तृतीय श्रेणी की मानी जायगी। इसके फलस्वरूप जिन खातेदारों के पास ५ रु० से ६ रु० प्रति एकड़ तथा ३ रु० से ४ रु० प्रति एकड़ लगान की भूमि होगी उनकी प्रयोज्य अधिकतम जोत का क्षेत्रफल बढ़ जायगा और उनसे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त भूमि कम हो जायगी।

१४---हमारी राय में ४ रु० प्रति एकड़ से अधिक की भूमि को पृथक् श्रेणी की, २ रु० से अधिक तथा ४ रु० प्रति एकड़ तक की भूमि द्वितीय श्रेणी की तथा २ रु० या कम लगान की तृतीय श्रेणी की मानी जानी चाहिये। द्वितीय श्रेणी के सवा एकड़ तथा तृतीय श्रेणी के भूमि का डेढ़ एकड़ अच्छी प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर माना जाना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो जोतों की हदबन्दी के बाद पर्याप्त अतिरिक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि ६ रु० प्रति एकड़ लगान की भूमि कुल कृषि भूमि का मुश्किल से चौथाई भाग है, लगभग तीन-चौथाई कृषि भूमि इससे कम लगान की है और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में आती है।

१५---अधिकतम जोत का क्षेत्रफल निर्धारित करते समय हमारी समझ में निम्नलिखित दो सिद्धान्तों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये था :

(क) एक औसत परिवार के पास कम से कम इतनी भूमि अवश्य छोड़ दी जानी चाहिये कि वह एक जोड़ी बैल और परिवार की श्रमशक्ति का प्रयोग करके परम्परागत रूप से आवश्यक बाहरी श्रम शक्ति की सहायता से कुशलतापूर्वक खेती कर सके तथा साधारण वर्ष में इस भूमि की उपज से वह एक औसत किसान के जीवन स्तर को कायम रख सके।

(ख) भूमि पर जन संख्या के दबाव, भूमि की आकांक्षा रखने वाले नितान्त भूमिहीन और अर्द्ध भूमिहीन किसानों की संख्या, भूमि की उपलब्धि आदि को ध्यान में रखते हुये अधिकतम जोत का क्षेत्रफल इतना अधिक भी निर्धारित नहीं किया जान. चाहिए कि प्र र्याप्त मात्रा में भूमि प्राप्त न हो सके।

१६--मूल विधेयक तथा प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक दोनों में उपर्युक्त सिद्धान्तों को बिलकुल ठुकरा दिया गया है और केवल इस बात को ध्यान में रखकर अधिकतम जोत तय की गई है कि बड़ी जोत वालों को अधिक से अधिक भूमि कैसे दी जाय।

१७--मूल विधेयक में अलाभप्रद जात ३ १/८ एकड़ से नीचे की जोत को माना गया है। जमीन्दारी उन्मूलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक जोड़ी बैल से खेती करने वाले परिवार के लिये लाभप्रद जोत का कम से कम क्षेत्रफल ६ १/४ एकड़ माना था। ऐसी हालत में ५ व्यक्तियों के औसत परिवार के लिये अच्छी भूमि के १२ १/२ से अधिक पर अधिकतम सीमा आरोपित करने का कोई भी औचित्य नहीं दिखायी देता।

१८--किसानों का अनुभव और देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का यह स्पष्ट मत है कि १५ एकड़ से अधिक भूमि का एक औसत किसान परिवार हल बैल से परम्परागत रीति से खेती कर के कुशलतापूर्वक प्रबन्ध नहीं कर सकता। हाल में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रमुख अर्थशास्त्री डाक्टर बलजीतसिंह ने भी यही मत प्रकट किया है।

१९--हमारे राज्य में जोतों के आकार के आधार पर कृषि परिवारों के वितरण के आंकड़े यह बताते हैं कि १२ १/२ एकड़ से अधिक जोत वाले कृषि परिवारों की संख्या कुल कृषि परिवार की संख्या का लगभग ५ प्रतिशत है। यदि इन पांच प्रतिशत परिवारों में से ५ से अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों को निकाल दिया जाय, जिन्हें १२ १/२ एकड़ से अधिक (३० एकड़ प्रति परिवार तक हमारी सिफारिश के अनुसार) भूमि दी जायगी तो यह अनुपात और भी कम हो जायगा। अतएव ५ या कम व्यक्तियों वाले परिवारों के लिये अच्छी प्रकार की भूमि के १२ १/२ एकड़ पर अधिकतम जोत की सीमा आरोपित करने पर राज्य के केवल ३-४ प्रतिशत कृषि परिवार ही उससे प्रभावित होंगे।

२०--हमारा अनुमान है कि यदि ५ व्यक्तियों के औसत परिवार के लिये अच्छी भूमि के १२ १/२ एकड़ पर अधिकतम जोत की सीमा आरोपित की गई तो ३० से ४० एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो सकेगी। इससे राज्य के साढ़े सात लाख नितान्त भूमिहीन परिवारों में से प्रत्येक को ३ १/८ एकड़ भूमि देने के बाद भी उन अलाभप्रद जोत वाले परिवारों के लिये कुछ भूमि बच रहेगी जिनके प्रत्येक के पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि है।

२१--इसके विपरीत यदि ५ व्यक्तियों के औसत परिवारों के लिये अच्छी भूमि के ४० एकड़ को अधिकतम जोत माना गया तथा १२८ एकड़ तक की अधिकतम जोत एक परिवार के लिये निर्धारित की गई तो खुद सरकारी अनुमान के अनुसार मुश्किल से ५-६ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त होगी, जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिनके लिये जोतों की हदबन्दी की आवश्यकता है।

२२--पांच व्यक्तियों से अधिक के परिवारों को अच्छी प्रकार की भूमि के लिये प्रति व्यक्ति २ १/२ एकड़ से, जो अधिक से अधिक ७ १/२ एकड़ हो सकता है, अधिकतम जोत की सीमा और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार ८ या अधिक व्यक्तियों के बड़े परिवारों के लिये तीनों प्रकार की भूमि की अधिकतम जोत की सीमा क्रमशः २०, २५ तथा ३० एकड़ हो जायगी। अतएव यदि हमारी सिफारिशों को मान लिया जाय तो ३० एकड़ से अधिक किसी भी परिवार के पास किसी भी किस्म की भूमि न होगी।

हमारे सुझाव के अनुसार प्रयोज्य अधिकतम जोत निम्नलिखित होगी:

भूमि की श्रेणी	प्रयोज्य अधिकतम जोत का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	
	५ व्यक्तियों तक के परिवार के लिये	८ या अधिक व्यक्तियों के बड़े परिवारों के लिये
अच्छे प्रकार की भूमि (लगान ४ रु० प्रति एकड़ से अधिक)	१२ १/२	१२ १/२+७ १/२=२०
द्वितीय श्रेणी की भूमि (लगान २ रु० से ४ रु० प्रति एकड़ तक) ..	१५ ५/८	१५ ५/८+९ ३/८=२५
तृतीय श्रेणी की भूमि (लगान २ रु० या कम प्रति एकड़) ..	१८ ३/४	१८ ३ ४+११ १/४=३०

२३---हमारी राय में किसी भी खातेदार को लिखित रूप में आश्वासन देने पर बाग लगाने के लिये अधिक से अधिक ढाई एकड़ भूमि और दी जा सकती है और इसके लिये १० एकड़ तक भूमि देने का कोई भी औचित्य नहीं है।

यंत्रीकृत फार्म

२४---विधेयक में कानून लागू होने के पहले के लगातार ३ वर्षों तक ट्रैक्टर से जोती जोतों को यन्त्रकृत फार्म मान लिया गया है। माल विभाग के स्थानीय अधिकारियों---लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार इत्यादि से यह प्रमाणित करवा कर कि उसका खेत ट्रैक्टरों से ३ साल से जोता जा रहा है----चाहे ट्रैक्टर उसका अपना हो या मांगा हुआ कोई भी खातेदार अपने खेत को यन्त्रकृत फार्म घोषित करवा सकता है।

२५---यन्त्रकृत फार्म की उपर्युक्त परिभाषा अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक है क्योंकि अभी तक विश्व के किसी भी देश में केवल ट्रैक्टरों से जोते खेत को ही यंत्रकृत नहीं माना गया है। किसी भी खेत पर जब तक कुल कृषि कार्यों का यदि अधिकांश नहीं तो कम से कम काफी बड़ा भाग यन्त्रों की सहायता से नहीं किया जाता उस खेत को यंत्रकृत फार्म नहीं माना जाता।

२६---यंत्रकृत फार्म की जो परिभाषा विधेयक में दी गई है उसके अन्तर्गत हमारे राज्य की अधिकांश बड़ी जोतें आ जायेंगी और बड़े खातेदार रिश्वतें देकर अपनी-अपनी जोतों को यंत्रकृत घोषित करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधेयक ने इन यंत्रकृत फार्मों के लिये जो विशेष व्यवस्था की है वह उनके सर्वथा अनुकूल है।

२७---यंत्रकृत फार्मों की अतिरिक्त भूमि पर राजकीय फार्म बना दिये जायेंगे जिनके प्रबन्ध के लिये प्रबन्धक नियुक्त करने में उनके मौजूदा मालिकों (धारकों) को अधिमान दिया जायगा। अमल में होगा यह कि इन फार्मों के मौजूदा मालिक (धारक) अपने मौजूदा फार्मों के एक भाग के "मालिक" होंगे और बचे हुये भाग के "प्रबन्धक"। इन "प्रबन्धक-धारक" व्यक्तियों के लिये यह अधिक कठिन नहीं होगा कि कुल फार्म का खर्च सरकार के मत्थे मढ़ कर, राजकीय फार्मों में घाटा दिखाकर एक ओर तो अपने निज के भाग से अधिक मुनाफा कमायें और दूसरी ओर राज्य के कोष से निश्चित वेतन लेते रहें। राजकीय फार्मों के लिये "घाटा" कोई नई चीज न होगा, क्योंकि जो राजकीय फार्म अब तक बने हैं वे लगभग सब के सब घाटे पर चल रहे हैं।

२८—इन तथाकथित यंत्रकृत फार्मों का उत्पादन राज्य के औसत कृषि उत्पादन से अधिक है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। अतएव इन फार्मों के लिये विशेष व्यवस्था करने का कोई औचित्य हमारी समझ में नहीं आता।

हदबन्दी से छूट

२९—१९ श्रेणियों की भूमि को हदबन्दी से विमुक्त रखा जा रहा है। बेला, चमेली या गुलाब की खेती के अन्तर्गत भूमि को भी हदबन्दी से बरी कर दिया गया है। हम समझते हैं कि इनमें से कम से कम कुछ श्रेणियों को, जिनका जिक्र हम नीचे कर रहे हैं, हदबन्दी से विमुक्त रखना उचित न होगा।

३०—हम समझते हैं कि बागों के अन्तर्गत भूमि की भी हदबन्दी होनी चाहिये। यदि सरकार चाहती है कि बागों को काटा न जाय और इनकी जमीन को साफ करके किसी अन्य कार्य में न लाया जाय तो वह ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसके अन्तर्गत बागों की अतिरिक्त भूमि को केवल बाग की तरह ही इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया जाय।

३१—भूतपूर्व शासकों, जिनकी रियासतें भारतीय संघ में विलीनीकृत हो चुकी हैं, की भूमि पर हदबन्दी लागू करने में जो वैधानिक अड़चनें पड़ेंगी उनसे हम परिचित हैं। किन्तु चूंकि हम जोतों की हदबन्दी को देश के हित में अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य सुधार समझते हैं इसलिये हमारी राय में राज्य सरकार को इन वैधानिक अड़चनों को दूर करने के लिये संघ सरकार से मिल कर आवश्यक कदम उठाने चाहिये। केवल इसलिये कि कुछ वैधानिक कठिनाइयां मौजूद हैं, एक आवश्यक सुधार सदा के लिये टाला नहीं जा सकता।

३२—सहकारी बैंकों द्वारा बंधक ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित भूमि को अधिकतम जोत सीमा आरोपण से विमुक्त कर देने का मतलब यह होगा कि उन्हें अन्धाधुन्ध जमीन खरीदने की अनुमति दे देना। इन बैंकों की भूमि आमतौर से बिना जोते खाली पड़ी रहती है। होना यह चाहिये कि इन बैंकों को भूमि क्रय करने का तो अधिकार हो किन्तु यदि इनके पास किसी समय अधिकतम जोत से ज्यादा भूमि हो जाय तो उन्हें एक निश्चित समय के अन्दर अपनी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के लिये बाध्य किया जाय।

३३—विशेषित फार्मों (Specialized Farms) कुक्कुट-पालन, दुग्धशाला अथवा अन्य इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त भूमि को भी हदबन्दी से विमुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। इन सबके लिये आम तौर से १०-१२ एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि इस उपखण्ड को ऐसे ही रहने दिया गया तो बहुत से बड़ी जोत वाले भूस्वामी अपनी अतिरिक्त भूमि को "विशेषित फार्म" घोषित कर देंगे। विधेयक में इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है कि ऐसे "विशेषित फार्म" किसी निश्चित तारीख से पहले मौजूद होने चाहिये।

३४—उपखण्ड १७ के अन्तर्गत सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि जितनी भूमि वह चाहे हदबन्दी से मुक्त करके चाहे जिस व्यक्ति को दे दे। हम समझते हैं कि सरकार को इस प्रकार के व्यापक अधिकार अपने हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष कार्य के लिये किसी भी भूमि पर प्रतिकर देकर कब्जा कर लेने का अधिकार सरकार के पास अन्य कानूनों के अन्तर्गत पहले से ही मौजूद है।

मुआवजे का प्रश्न

३५—जो अतिरिक्त भूमि बड़ी जोत वालों से ली जायगी उन्हें भूमिधरी लगान का ४० गुना तथा सीरदारी लगान का २० गुना मुआवजे के रूप में दिया जायगा। यदि यह लगान मौरूसी दर से कम होंगे तो अन्तर का २० गुना और दिया जायगा। हम समझते हैं कि मुआवजे की ये दरें अत्यधिक हैं और हमारी राय में जमींदारी उन्मूलन के समय जिन दरों से मुआवजा दिया गया था वही दरें जोतों की हदबन्दी के लिये भी लागू की जानी चाहियें।

अतिरिक्त भूमि का क्या हो ?

३६--जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हदबन्दी के बाद प्राप्त अतिरिक्त भूमि को केवल भूमिहीनों और अर्द्ध भूमिहीनों में वितरण के अतिरिक्त और किसी अन्य कार्य के लिये प्रयोग नहीं करना चाहिये। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे देश के शासक दल को हर कृषि सुधार सम्बन्धी विधेयक बनाते समय "सार्वजनिक प्रयोग" अथवा "सामुदायिक प्रयोजन" के नाम पर किसानों से भूमि ले लेने की बीमारी सी हो गई है। जोत चकबन्दी अधिनियम के मातहत हर गांव में सार्वजनिक प्रयोग के लिये भूमि ले लेने की व्यवस्था है और अब अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक में दोबारा अतिरिक्त भूमि के एक अंश को सामुदायिक प्रयोजनों के लिये ले लेने की व्यवस्था की जा रही है। इसका नतीजा यह होगा कि भूमिहीनों और गरीब किसानों के लिये प्रयोग में आ सकने वाली भूमि कम हो जायगी।

३७--सहकारी कृषि के सिद्धान्त के रूप में प्रबल समर्थक होते हुए भी हम किसी प्रकार का दबाव डाल कर किसानों को उनकी स्वेच्छा के बगैर सरकारी कृषि समितियों में शामिल करने के स्पष्ट रूप से विरोधी हैं। हम समझते हैं कि इस प्रकार से सहकारी समितियां बनाना सहकारिता के सिद्धान्त की हत्या करना है। अतएव हमारी राय में अतिरिक्त भूमि को पहले भूमिहीनों और गरीब किसानों में वितरित करके उनके नाम इस भूमि के पट्टे कर देना चाहिये। इसके बाद नई भूमि पाने वाले किसानों को समझा बुझाकर और सहकारिता के लाभ बताकर इन समितियों में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिये।

३८--उपर्युक्त प्रकार से भूमि वितरित करते समय निम्नलिखित क्रम में अधिमान दिया जाना चाहिये---

(क) भूमिहीन खेत मजदूर।

(ख) अलाभकर खातेदार।

(ग) भूमिहीन खेत मजदूरों की निबन्धित सहकारी कृषि समितियां।

(घ) अलाभकर खातेदारों की निबन्धित सहकारी कृषि समितियां।

नई प्राप्त भूमि पर पाने वाले किसानों या समितियों को सीरदारी अधिकार दे दिया जाना चाहिये।

सलाहकार उपसमिति

३९--योजना आयोग की भूमि सुधार उपसमिति की यह स्पष्ट सिफारिश थी कि भूमि सुधार के कार्यों में अधिक से अधिक जन-सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। किन्तु जिस रूप में आज विधेयक हमारे सामने है उससे स्पष्ट है कि जोतों की हदबन्दी लागू करने के कार्य में शासक दल किसी भी दौर में किसी भी प्रकार का जन सहयोग प्राप्त करने की जरा भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि विधेयक में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है।

४०--हमारी राय में विधेयक में अन्त में एक नया अध्याय जोड़ कर हर तहसील में ऐसी सलाहकार उपसमितियों के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिनके सदस्य सम्बन्धित तहसील में कार्य करने वाले समस्त राजनैतिक दलों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि हों। नियत अधिकारियों के लिये हर कार्य में इन समितियों से सलाह लेना तथा यदि इन समितियों के सदस्य कोई जांच करना चाहें तो इसके लिये हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करना अनिवार्य होना चाहिये। हम समझते हैं कि जन-सहयोग हासिल करने का यह सब से उत्तम तथा व्यावहारिक तरीका होगा।

पैरा ४१ सभापति के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

४२—अपनी इस विमति टिप्पणी को प्रवर समिति तथा राज्य के माननीय विधायकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हम आशा करते हैं कि हमारे सहयोगी विधायकगण इन पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेंगे तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक को राज्य के लाखों भूमिहीन और गरीब किसानों की आशाओं के अधिक अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे। यदि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया तो हमारे राज्य में हदबन्दी केवल कागज पर रह जायगी और उसका कोई भी लाभ भूमि के लिये आकांक्षा रखने वाली राज्य की सबसे शोषित और उत्पीड़ित जनता नहीं उठा पाएगी।

जयबहादुरसिंह,
सदस्य, विधान परिषद्

२१-३-६०

भीखालाल,
सदस्य, विधान सभा

भूपकिशोर,
सदस्य, विधान सभा

विमति टिप्पणी

माननीय अध्यक्ष महोदय,

संयुक्त प्रवर समिति ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ ई० ।

सेवा में,

निवेदन है कि आपके दफ्तर से मुझको यह कापी १८ मार्च, १९६० को सायंकाल ४ बजे मिली जबकि यह वायदा था कि ११ मार्च, १९६० को मिल जायगी ।

२—उसी दिन मैं पटना अखिल भारतवर्षीय स्वतंत्र पार्टी के सम्मेलन में १९ तथा २० को शिरकत करने जा रहा था । मुझे समय पर्याप्त रूप में न मिल सका; फिर भी जो समय मिल सका उस पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह बिल असेम्बली में पेश न किया जाय इसलिये कि हमारा यह मत है कि भारत ऐसे कृषि प्रधान देश के लिये अधिकाधिक अन्न उत्पादन ही बढ़ती हुई आबादी को अन्न, वस्त्र पहुंचाने तथा बेरोजगारी को घटाने में एक-मात्र और साधन होगा ।

बड़े किसानों से भूमि लेकर भूमिहीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में वितरण कर देने अथवा भूमि पाने की लालच में इन भूमिहीनों द्वारा बनायी गयी निरुत्साह सहकारी समितियों से खेती कराने में उत्पादन कार्य को भारी क्षति पहुंचेगी और अन्न का महान संकट देश पर पड़ेगा ।

आपका,

दिनांक २२-३-६० । नौरंगसिंह ।

विधेयक में मेरे मत के अनुसार निम्नांकित बढ़ाया या घटाया जाना आवश्यक है:

धारा ४ (१)—जैसा कि समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, उसके बाद निम्नांकित स्पष्टीकरण बढ़ाया जाना चाहिये—

इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिये खातेदार के परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम अभिलिखित भूमि की गणना खातेदार की जोत में उसी समय की जायगी जबकि परिवार का वह सदस्य खातेदार के साथ मुश्तरका इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पूर्व लगातार तीन वर्ष से अपने नाम की अभिलिखित भूमि का प्रबन्ध करता रहा हो ।

धारा ४ (२) ख—के आगे का प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिये ।

धारा ५ (२)—इस खंड में शब्द "२० अगस्त, १९५९ ई०" के बजाय शब्द "इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक" कर दिया जाना चाहिये ।

धारा ५ (३) ग—बिलकुल हटा दिया जाना चाहिये ।

धारा ६ (१६)—में शब्द "अनन्य रूप से तथा" कुक्कुट पालन के बीच में शब्द "मत्स्य पालन" बढ़ा देना चाहिये ।

धारा ७—इस धारा के अन्तिम शब्द "यदि तथा उसके पश्चात् (क ख)" बिलकुल हटा दिया जाना चाहिये ।

धारा १० (२)—में शब्द "दस दिन" के बजाय "२५ दिन" कर दिया जाना चाहिये ।

धारा १६ (२)—में शब्द "२१ दिन" के बजाय "३० दिन" कर देना चाहिये।

धारा २२ (१)—में शब्द "नकदी में" के बाद के शब्द "या बन्धों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः बन्धों के रूप में जो भी नियत किया जाय" हटा दिया जाना चाहिये।

धारा २३ (३)—में शब्द "अवधारण के दिनांक तक" के बाद शब्द "यदि धनराशि नकदी में देय हो और बन्धों के मोचन के दिनांक तक यदि धनराशि बन्धों में देय हो" हटा दिया जाना चाहिये।

धारा २४ (१)—के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा देना चाहिये।

प्रतिबन्ध

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को किसी यंत्रकृत फार्म की भूमि को राजकीय फार्म के रूप में चलाये जाने का आदेश देने का अधिकार तभी होगा जबकि ऐसे आदेश देने के दिनांक से तीन वर्ष पूर्व लगातार उस यंत्रकृत फार्म की आमदनी व मुनाफा का औसत उस फार्म के २० मील के अन्दर स्थित किसी राजकीय फार्म से कम होता रहा हो।

धारा २७ (४)—यह खंड बिलकुल हटा देना चाहिये।

धारा २६ (ख)—के पश्चात् निम्नांकित प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

प्रतिबन्ध

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बाग भूमि को अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित किये जाने का आदेश प्रदान करने से पहले नियत अधिकारी खातेदार को नोटिस देगा कि वह नोटिस पाने के दिनांक से ३० दिन के अन्दर आपत्ति कर सके और साक्ष्य प्रस्तुत कर सके कि वस्तुतः वह भूमि बाग भूमि है और उसकी हैसियत बाग भूमि की बद्ध नहीं हुई है।

(ख) ऐसी बाग भूमि को अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित किये जाने से पूर्व नियत प्राधिकारी के लिये बाध्य होगा कि बाग भूमि के वारक व्यक्ति को समुचित अवसर प्रदान करे कि वह व्यक्ति उक्त भूमि में ६ मास के अन्दर पुनः बाग लगा सके।

नियत प्राधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि समय-समय पर उक्त आवश्यक अवधि २ मास के लिये बढ़ा दे किन्तु कुल अवधि एक साल से अधिक पाने का हकदार वारक व्यक्ति किसी हालत में नहीं होगा।

दिनांक २२-३-६०।

नौरंगसिंह

विमति टिप्पणी

बहुमत द्वारा जो प्रारूप विधेयक का बना है उससे सहमत होना कदापि सम्भव नहीं। इसी उद्देश्य से कुछ कहना आवश्यक हो गया है। अन्यथा इस विधेयक पर कुछ चर्चा करके अपना तथा दूसरों का समय नष्ट करना है। इस विधेयक के गर्भ से लेकर जन्म होने तक बड़ी-बड़ी आशायें लगी हुई थीं। उन आशाओं पर केवल पानी ही नहीं फिरा है बल्कि व्यर्थ में एक भय का वातावरण उत्पन्न करके सरकार के कुछ कार्यालयों और भूमि सम्बन्धी कर्मचारियों को भ्रष्ट होने में सहायता मिली है। साथ ही फर्जी कागजात तैयार करने तथा मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिला है।

इस विधेयक को सदन में लाने का उद्देश्य बहुत ऊंचा बतलाया गया है। उन उद्देश्यों से मतभेद की बहुत कम गुंजायश है। परन्तु उन उद्देश्यों को छूने में भी यह विधेयक कानून का रूप लेकर सफल हो सकेगा, यह कठिन है। सबसे प्रमुख उद्देश्य भूमि का उन लोगों के पास पहुंचाना है जो लाखों परिवार भूमिहीन हैं तथा वह लोग भी जिनके पास नाममात्र के लिये भूमि है। विधेयक यदि प्रवर समिति में न आया होता और सदन के सम्मुख आते ही पारित हो गया होता तो शायद कुछ लाख एकड़ भूमि अवश्य प्राप्त होती और वह भूमिहीनों को प्राप्त होती। परन्तु सरकार विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते ही समय प्रवर समिति में उसे भेजने के विचार के साथ आई। सामान्यतः विधेयक की त्रुटियों को दूर करने के लिये बहुत ब्यौरे के साथ विचार करना, संशोधन परिवर्धन करना प्रवर समिति का कार्य होता है। इसी को सामने रख कर विरोधी दलों ने प्रवर समितियों में इस विधेयक को भिजवाने की चेष्टा की। विरोधी दल जहां इस भावना से प्रेरित होकर प्रवर समिति में भेजे जाने में सचेष्ट थे वहां सरकारी पक्ष इस विधेयक में जो कुछ रहा सहा प्राण था उसे निष्प्राण करने के लिये ले जाना चाहता था। सरकार अपने प्रयत्न में सफल हुई और मूल विधेयक के पारित होने से जितनी भूमि पुनर्वितरण के लिये निकलने वाली थी उससे कई गुना कम, वर्तमान विधेयक के द्वारा जिसे प्रवर समिति ने सुधार कर भेजा है मिलेगी।

सहकारी खेती के लिये भी भूमि प्राप्त होने का सपना विधेयक में है। इसी प्रकार गांवों के सार्वजनिक प्रयोग के लिये। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यह निश्चित तथा स्पष्ट मत है कि यदि सहकारी खेती को लोकप्रिय बनाना है और देश में उसके विरुद्ध फैले हुए व्यापक भ्रम को दूर करना है तो उसे उदाहरण के तौर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न देशों में हदबन्दी द्वारा प्राप्त भूमि पर सहकारिता का सफल प्रयोग किया जाय ताकि उसकी सफलता को देखकर उस महान् कार्य को गति और बल मिल सके। यह स्पष्ट हो सके कि सहकारिता का अर्थ कोई जोर, दबाव अथवा वर्तमान व्यवस्था से निकृष्ट व्यवस्था की ओर नहीं जाना है बल्कि पूर्णतः अपनी इच्छा के अनुसार मिल कर ग्रामवासियों के जीवन को सुखमय तथा भरा पूरा बनाने का प्रयास है। यह तो तभी हो सकता था जब कि हदबन्दी के बाद भूमि इतनी मात्रा में उपलब्ध होती कि कम से कम प्रत्येक जिले में दस बीस फार्म ऐसे खोले जाते। यह फार्म अवश्य ही भूमिहीनों की मिल्कियत होते परन्तु उन भूमिहीनों द्वारा बनी हुई सहकारी समितियों को हर प्रकार से सहायता करके सरकार इन फार्मों को उत्पादन में सफल करके सारे देश का ध्यान इस ओर करती। फिर आज के फैले हुये व्यापक भ्रम को दूर कर देश में कृषि व्यवस्था का एक नया अध्याय आरम्भ होता। दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति बनाने में यह विधेयक असमर्थ रहेगा। इसलिये कि अनेक कठिनाइयां जो इस विधेयक में भूमि मिलने के मार्ग में उत्पन्न की गयी हैं उन्हें पार करना असम्भव है। हां, इन उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ छोटी-मोटी सफलता मिले तो इतने बड़े कदम उठाने के बाद उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

अब मैं उन बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिनके कारण अतिरिक्त भूमि नहीं मिल पायेगी और ऐसा अधिनियम बनाकर एक प्रकार से जोत-हदबन्दी को बदनाम कर दिया जायगा।

सब से पहले मैं उस परिवर्तन को सामने लाना चाहता हूं जिसे समिति के बहुमत ने स्वीकार किया है। मूल विधेयक में ५ रुपये प्रति एकड़ मालगुजारी लगने वाली भूमि को 'अच्छी प्रकार' की भूमि माना गया था। उसे बदल कर अब ६ रु० से अधिक प्रति एकड़ मालगुजारी की भूमि को 'अच्छी प्रकार' की भूमि मान लिया गया है। इसी प्रकार ६ रु० से ४ रु० तक अथवा ४ रु० से नीचे। इस प्रकार हम देखेंगे कि मूल विधेयक में ४० एकड़ भूमि पर ५ रु० से अधिक मालगुजारी होने पर मिलती और ५ रु० से ४ रु० के बीच में ६० एकड़ तथा ३ रु० से कम पर ८० एकड़। परन्तु समिति के निश्चय के अनुसार ६ रु० से ४ रु० तक ६० एकड़ और ४ रु० से नीचे ८० एकड़ भूमि मिलेगी। इस प्रकार मूल विधेयक के ४० एकड़ को अब यह कहना चाहिए कि ४७, ७० तथा ९४ एकड़ मालगुजारी के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा होगी। और ठीक इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों के लिये जो प्रस्ताव है बढ़ जायगा। मालगुजारी विभाग के अनुसार इस प्रकार ३ लाख के आसपास भूमि मिलने का अनुमान है। परन्तु इसके बाद जो शर्तें विधेयक में हैं उन्हें देखते हुये यह सपना मालूम होता है।

अब उनमें से प्रमुख बाधाओं को मैं सामने रखना चाहता हूं:

१—उन सभी बागों की जमीन को मुक्त कर दिया गया है जो १ मई तक बाग की श्रेणी में आ गये। और बाद में भी बाग लगाने की सुविधा के नाम पर कुछ भूमि मुक्त की जा सकेगी।

२—कुछ विशेष प्रकार के फार्मों को मुक्त कर देने का अनियन्त्रित अधिकार सरकार के हाथ में रहेगा तथा फार्मों के मालिकों को सरकारी फार्म के मैनेजर बना देने की व्यवस्था है।

३—२० अगस्त, १९५९ तक के जबानी पारिवारिक समझौते से पृथक् खाता मान लेने की व्यवस्था जिसके अनुसार परिवार का कोई सदस्य अपने को किसी समय २० अगस्त, १९५९ से पहले पृथक् कह कर अपने लिये अधिकतम भूमि जो नियत है प्राप्त कर सके।

४—केवल उक्त तीन विमुक्तियों द्वारा जितनी भूमि उचित अथवा अनुचित तरीके से वर्तमान भूमिपतियों के पास रह जायगी यह स्पष्ट है। इन सबका प्रभाव उसी अतिरिक्त भूमि पर पड़ेगा जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है कि पूरे प्रदेश में तीन लाख एकड़ के लगभग अतिरिक्त भूमि प्राप्त होने का अनुमान है। इस पर विचार करने के लिये प्रस्तावित खंड ४, ५ और ६ को देखने की आवश्यकता है।

१५ से २० अगस्त की तिथि को बदल देने का अर्थ समझने में मैं असमर्थ रहा। मुझे सन्देह है कि इन ५, ६ दिनों में बड़े पैमाने पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी भूमि का निस्तारण किया है। यह व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रभाव में वर्तमान शासन है। उस तिथि को न केवल यह कि १ जनवरी, १९५९ कराने में मुझे सफलता नहीं मिली बल्कि १५ अगस्त, १९५९ जो मूल विधेयक में था उसको भी रक्षा न हो सकी। यह भी एक कारण अतिरिक्त भूमि के घट जाने का है।

समिति के इस विचार से भी मैं सहमत न हो सका जिसके अनुसार प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न प्रकार से इस अधिनियम को लागू करने की विधि तथा तिथि सरकार के हाथ में छोड़ने की व्यवस्था है। हमारे प्रदेश में इसके कारण आज ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ऐसे नियम और अधिनियम लागू हैं जो बहुत प्राचीनता की याद दिला कर परिवर्तन की पुकार करते हैं। परन्तु किसी न किसी कारण उन हजारों भूमि जोतने वालों के कष्ट को दूर नहीं किया जा सका जो ऐसे क्षेत्रों के रहने वाले हैं।

मैं यह भी नहीं समझ सका कि समिति ने इस बात को मानने से क्यों इंकार किया कि अतिरिक्त भूमि के निर्णय करने में उस गांव के किसी व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार दें कि

वह अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो कर कह सके। उन भूमिहीनों को यह अधिकार अवश्य मिलना चाहिए जो ऐसे गांवों के हों जहां की अतिरिक्त भूमि के संबंध में निर्णय हो रहा हो।

कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों की ओर ही इस समय ध्यान दिला सका हूं। अन्य अनेक ऐसे स्थान हैं जिनके सम्बन्ध में कहा जा सकता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि समिति ने मेरे इस सुझाव को मानने से क्यों इन्कार कर दिया कि २० एकड़ अधिकतम एक परिवार को जिसकी संख्या पांच और ३० एकड़ तक अधिक संख्या के परिवार होने पर भूमि की सीमा निर्धारित की जाय ताकि विधेयक के उद्देश्य की रक्षा हो सके। यह कहा जा सकता है कि शहरी आय के अनुपात में ग्रामीण आय को रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है परन्तु यह निर्विवाद है कि ग्रामीण आय शहरी आय के मुकाबले में अभी काफी दिनों तक कम रहेगी क्योंकि इस दिशा में कोई सफल प्रयत्न नहीं हो रहा है। और प्रदेश के ग्रामीणों की स्थिति अपने ही देश के अन्य प्रदेशों से पिछड़ी हुई है। वह वर्तमान नीति के चलते आगे भी पिछड़ी रहेगी। यदि मुट्ठीभर लोगों को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहर के उद्योगपतियों की समता में लाने की चेष्टा की जायगी तो अपने देश का भविष्य अन्धकारमय होगा। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। ७० और ८० प्रतिशत के बीच कृषि पर आश्रित यहां की जन-संख्या है। किस प्रकार इस पूरी जनसंख्या को एक निम्नतम जीवनयापन की सुविधा राज्य प्रदान कर सकेगा, यही आज की मुख्य समस्या है। उद्योग द्वारा गांवों को सुखी करने का सपना पूरा हो इस पवित्र विचार से किसे इंकार होगा? हमारे प्रदेश के उद्योगपति ग्रामीण धंधे जो पहले से भी थे उन्हें नष्ट कर देने पर तुले हैं और जाने-अनजाने सरकार उनके साथ है। फिर एक ही साधन है जिसका उचित उपयोग करके हम बहुत संख्यक देशवासियों को कमर सीधी करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अतिरिक्त पूंजी की विशेष आवश्यकता इसमें नहीं है। इसकी टेक्निक को ग्रामीण अशिक्षित वर्ग बखूबी जानता है। प्रश्न यह है कि इसका समुचित बटवारा हो तथा इसके साथ इसके उपयोग करने का ढंग बदले। फिर उत्पादन की वृद्धि हो और अन्न संकट जैसी विपत्ति से राष्ट्र को छुटकारा मिले। २० और ३० एकड़ की सीमा आरोपण से भी समस्या सुलझ नहीं जायगी। परन्तु इतनी भूमि मिल सकेगी जिससे हम उन ग्रामवासियों की कुछ सेवा कर सकेंगे जो सैकड़ों वर्ष से दयनीय जीवन बिता रहे हैं। यदि सौ में एक का स्टैन्डर्ड कुछ कम भी हो जाय और २० या २५ को जीवनयापन का साधन मिल सके तो प्रत्येक समझदार आदमी दूसरे को पसन्द करेगा। यही विचार सामने रख कर मैं न तो १२ एकड़ और न समिति की वर्तमान सीमा को पसन्द करता हूं।

उत्पादन की दृष्टि से भी १० से २५ एकड़ का अनुभव है कि सर्वोत्कृष्ट उपज प्राप्त हो सकती है। जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के ६०७ पन्ने पर कुछ देशों का जिक्र है। अन्यत्र भी देखने से यह निर्विवाद है कि १० से २० एकड़ की खेती अधिकतम उपज देने में समर्थ हुई है। इसलिए इस भ्रम को बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि गांव के लोगों का जीवनस्तर इस विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत गिर जायगा। सरकार और सम्पन्न वर्ग एक बार यह सोचे कि आज कृषक को अपने उपज का मूल्य कैसे मिल जाय। शायद भूमि के अन्तर से अधिक प्राप्तियां उन्हें हो जायेंगी। जिस जनतंत्र का समाजवाद से नाता हो उसे वर्तमान विषमता को मिटाने पर ही जीवित रहना है। इसका प्रारम्भ गांवों से होगा इसमें किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। हां, मैं एक बात को फिर एक बार वर्तमान शासन को याद दिलाना चाहता हूं जिसे १४ अगस्त, १९४६ को जमींदारी विनाश के प्रस्ताव के साथ एक प्रस्ताव उद्योगों को भी हस्तगत करने के लिए दिया गया था। यदि इस प्रस्ताव की ओर रत्तीभर भी शासन का ध्यान होता तो शायद आज उसे भूमि सम्बन्धी विषमता दूर करने में बड़ी सहायता मिलती। वह प्रस्ताव इस प्रकार है :

"इस असेम्बली का यह मत है कि समाज के कल्याण के लिये पूंजीवाद का उसके सभी रूपों में अन्त अनिवार्य है और उसे यह विश्वास है कि उत्पादन, विनिमय और

वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण करने के लिए यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र कार्यवाहियां की जायेंगी ।"

मावजा के संबंध में जब समिति ने विचार किया मैं उपस्थित न रह सका । मुझे खेद है कि उस सम्बन्ध में विचारों में असहमत होते हुए भी मैं कुछ लिख न सकूंगा ।

गेंदासिंह,
सदस्य, विधान सभा ।

२३ मार्च, १९६० ।

सत्यमेव जयते

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३ एल०ए०—१९६०—८४५ ।